Wednesday, 24 August, 1960

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४५, १९६०/१८८२ (शाक)

[१६ से २६ अगस्त १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र १८८२ (शाक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
21-7-89
Fumigated
On 9.11.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शाक)

(खण्ड ४५ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

द्वितीय माला, खंड ४५–अंक ११ से २०––१६ से २६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक ११–मंगलवार, १६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४ से ३९७, ४०० से ४०७, ४०९, ४१० और ४१२ . . . १२५९––८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९८, ३९९, ४०८, ४११ और ४१३ से ४३७ . . . १२८५––१३००

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७९७ . . . १३००––१३३७

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . १३३७

जानकारी का प्रश्न . . . १३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १३३८

राज्य सभा से सन्देश . . . १३३८

समवाय (संशोधन) विधेयक––

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १३३९

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य . . . १३३९

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक––पुरस्थापित कार्य मंत्रणा समिति . . . १३३९

तिरेपनवां प्रतिवेदन . . . १३३९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) . . . १३३९––४७

सभापति तालिका . . . १३४७

वर्ष १९५७–५८ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें . . . १३४८––५५

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विचार करने का प्रस्ताव . . . १३५६––७१

खंड २ से ५, अनुसूची और खंड १ पारित करने का प्रस्ताव . . . १३७०––७१

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक––

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . १३७१––७४

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के नये टोकन कार्ड . . . १३७४––७७

दैनिक संक्षेपिका . . . १३७८––८५

अंक १२–बुधवार, १७ अगस्त, १९६०/२६ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ––

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ . . . १३८७––१४०७

	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	१४०८-१४०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४७, ४५१ और ४५३ से ४८५	१४०६--२८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६८ से ८१६ और ८१८ से ६०७	१४२८--७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४७६
राज्य सभा से सन्देश .	१४७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ (गेस्ट्रो-एन्ट्रेराइटिस) महामारी	१४७७-७८
सदस्य के निरोध के बारे मे वक्तव्य .	१४७८--८०
दक्षिण पूर्व रेलवे पर लाइन टूटने के बारे में वक्तव्य	१४८०
समिति के लिये निर्वाचन--	
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	१४८१
विधेयक--पुरस्थापित--	
(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक , १६६०	१४८१
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १६६०	१४८१-८२
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१४८२--६४
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	१४६५--१५११
दैनिक संक्षेपिका .	१५१२--१५१६
अंक १३--गुरुवार, १८ अगस्त, १६६०/२७ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ से ४६१ और ४६३ से ५००	१५२१--४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४६२ और ५०१ से ५३६ . .	१५४४--६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ६०८ से १००३ और १००५ से १०१६	१५६३--१६११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६१२-१३
राज्य सभा से सन्देश . .	१६१३
वर्ष १६६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के बारे में विवरण	१६१४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१६१४
तालचेर की हडीधुआ कोयला खान में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	१६१४-१५

विधेयक-पुरस्थापित— पृष्ठ

(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक १६१५

(२) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक १६१५

विधेयक पारित—

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६१५–१६

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १६१६

पलाई सेन्ट्रल बैंक के मामलों के बारे में . १६१७

सभा का कार्य १६१७–१८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन— के बारे में प्रस्ताव . . . . १६१८—४२

नागा पहाड़ियां और तुएनसाग क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव १६४३—६७

दैनिक संक्षेपिका . . १६६८—७६

अंक १४—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६०/२८ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४५, ५४६ से ५५१ और ५६३ . . . १६७७—१७००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३७, ५४२, ५५२ से ५६२ और ५६४ से ५७७ १७००—१७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० से १०६५ . . १७१३—१७४९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १७५०

सभा का कार्य . . . १७५०

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . . १७५०—६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १७५०—५६

खंड २ से १० और १—पारित करने का प्रस्ताव . . . १७५६—६५

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . १७६५—७७

सड़सठवां प्रतिवेदन १७७७

सदस्य की गिरफ्तारी—

आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प—अस्वीकृत १७७८—१८०४

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प कल्प १८०४—०७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौवनवां प्रतिवेदन १८६०

दैनिक संक्षेपिका १८०८—१३

अंक १५—शनिवार, २० अगस्त, १९६०/२९ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ५८२, ५८८ से ५९१, ५९३ और ५९४ . १८१५—३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८३ से ५८७, ५९२ और ५९५ से ६१७ १८३६—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १२०० १८५२—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८९६

राज्य सभा से सन्देश १८९६-९७

कांगो में लियोपोल्डविल—हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में तैनात भारतीय चालक वृन्द से सम्बन्धित घटना के बारे में वक्तव्य . १८९७-९८

पलाई बैंक के बारे में वक्तव्य १८९९—१९०१

सभा का कार्य १९०२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन . १९०२

तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर की शुद्धि १९०२—३

समिति के लिये चुनाव—

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड १९०३

कार्य मंत्रणा समिति—

चव्वनवां प्रतिवेदन . . . १९०४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १९०४—४८

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि १९४८

कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाना) संशोधन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९४८—५४

खंड २ और १—पारित करने के लिये प्रस्ताव १९५४

निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९५५

दैनिक संक्षेपिका १९५६—६३

अंक १६—सोमवार, २२ अगस्त, १९६०/३१ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६१९, ६२१ से ६२५, ६२७, ६३०, ६३२, ६३३, ६३७, ६३८, ६४१, ६४३, और ६४५ से ६४७ १९६५—९०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२६, ६२८, ६२९, ६३१, ६३४, ६३५, ६३६, ६३९, ६४०, ६४२, ६४४ और ६४८ से ६५१ . १९९१--९७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०१ से १२६७ . १९९७--२०२८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०२८

वित्तीय समितियां १९५९-६० (एक समीक्षा)--सभा पटल पर रखा गया--

बाल विधेयक २०२९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य-- सभा पटल पर रखे गये २०२९

सदस्य की रिहाई २०२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काली मिर्च के वायदे के सौदे . २०२९-३०

निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक--स्थगित २०३०

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २०३०--६६

पलाई सेंट्रल बैंक के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा २०६६--७६

दैनिक संक्षेपिका २०७७--८२

अंक १७--मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०/१ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५६, ६५९ से ६६२, ६६६, ६६७, ६७०, ६७३ और ६७४ . . . २०८३--२१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७, ६५८, ६६३ से ६६५, ६६८, ६६९, ६७१, ६७२ और ६७५ से ६८५ २१०७--१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३६२ २११६--५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१५७

राज्य सभा से सन्देश २१५७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया २१५८

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . २१५८--२२००

पलाई सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा २२०१--११

दैनिक संक्षेपिका . २२१२--१७

पृष्ठ

अंक १८—बुधवार, २४ अगस्त, १९६०/२ भाद्र, १८८२ (शक)

मौखिक प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ से ६९७ . . . २२१९–४६

लिखित प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ७४८ . . . २२४६–७२

१३६३–१४६०

अतारांकित प्रश्न संख्या . . . . . २२७२—२३१२

निधन सम्बन्धी उल्लेख २३१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन . . २३१२

अनुपस्थिति की अनुमति . . . २३१२–१३

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २३१३—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३६२—६८

अंक १९—गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०/३ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७६५ . . . २३६९—९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ से ७९६ . . . २३९१—२४०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५२६ और १५२८ से १५४४ २४०५–३८

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २४३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ २४३८–४२

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २४४२–९९

समिति के लिये निर्वाचन के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड २४९९

दैनिक संक्षेपिका २५००

अंक २०—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०/४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ से ८०३, ८०५ से ८०८ और ८१० २५०७–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, ८०९ और ८११ से ८२३ २५३०–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६३० २५३६–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५७२

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बांसपानी में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका . . . २५७३

सभा का कार्य २५७३–७४

तृतीय पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . . . २५७४—८३

निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . २५८४—९७

खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव . . . २५९६–९७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन . . . २५९७

विधेयक पुरस्थापित—

१. विधि-व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ तथा १५ का संशोधन) [श्री हेमराज का] . . . २५९७

२. विधान परिषद (रचना) विधेयक, १९६० [श्री श्रीनारायण दास का] . . . २५९८

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा ३०२ का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का) . . . २५९८

४. हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा २३ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] . . . २५९८

५. जल तथा वायु को दूषित करने से रोकना (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक १९६० [श्री झूलन सिंह का] . . . २५९८-९९

६. खान (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १२, ६४ आदि का संशोधन) [श्री झूलन सिंह का] . . . २५९९

७. कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९क का रखा जाना) [श्री झूलन सिंह का] . . . २५९९

८. श्रमिक दुरुपयोग (निषेध) विधेयक, १९६० [श्री झूलन सिंह का] . . . २५९९–२६००

सामाजिक प्रथाय (व्यय में कमी) विधेयक [श्री झूलन सिंह का] —वापिस लिया गया—

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . २६००—०९

वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक [श्री मोहन स्वरूप का]—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २६०९—१५

दैनिक संक्षेपिका . . . २६१६—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1031(Ai)LSD—28-9-60—135

लोक-सभा

बुधवार, २४ अगस्त १९६०

२ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी बैंकरों का आगमन

†*६८६. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री गोरे :

क्या वित्त मंत्री १६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, अमरीका तथा पश्चिमी जर्मनी के प्रमुख बैंकरों का एक शिष्ट-मण्डल भारत में आर्थिक आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये यहां आया था ;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्ट-मण्डल के साथ आर्थिक आवश्यकताओं के किन-किन पहलुओं पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) यदि शिष्ट-मण्डल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हो तो वह क्या है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

1011(Ai)LSD—1.

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) हमारे योजना कार्यक्रमों की आवश्यकताओं समेत देश के आर्थिक विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई ।

(ग) प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में पहले ही रखी जा चुकी हैं ?

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या मिशन ने विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमें कुछ सहायता देने का आश्वासन दिया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मिशन का प्रतिवेदन पुस्तकालय में उप लब्ध है। ऐसा मिशन कोई आश्वासन नहीं दे सकता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : सरकार ने सहायता के लिये मिशन को जो सुझाव दिये हैं उनका स्वरूप और ब्यौरा क्या है और मिशन का क्या विचार है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हम कोई सुझाव नहीं देते । मिशन यहां आया था और उसने सरकार, विभिन्न विभागों और गैर सरकारी लोगों के साथ चर्चा की तथा विभिन्न परियोजनाओं में गया । उस अधार पर उस ने प्रतिवेदन दिया है जिसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को उपलब्ध हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह गैर-सरकारी मिशन था और इसकी सिफारिशों का विभिन्न सरकारें किस सीमा तक समर्थन करेंगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : इस सरकार के लिये यह कहना कठिन है कि अन्य सरकारें क्या करेंगी ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या बैंकरों ने हमारे देश के सरकारी क्षेत्र के लिये किसी सहायता का प्रस्ताव किया है और उस क्षेत्र को कितनी सहायता दी जाएगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जब तक मुझे याद है मिशन ने किसी एक या दूसरे को सहायता देने के बारे में कुछ नहीं कहा ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : प्रतिवेदन में कहा गया है कि तीसरी योजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से परियोजना वार सहायता दी जा सकती है । क्या ऐसी बात है और क्या सरकार तीसरी योजना के लिये पूरा धन आवंटित करने के लिये उन पर जोर डालने का विचार करती है, या क्या केवल परियोजना वार आवंटन किये जायेंगे ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जो सरकारें हमें सहाता देती हैं, यह फैसला करना उनका काम है और हमें उन्हीं सरकारों के साथ बातचीत करना होगा । उस समय इन बातों पर जोर दिया जा सकता है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या बैंकरों के मिशन द्वारा विश्व बैंक के प्रधान को दिये गये प्रतिवेदन के फलस्वरूप अमेरिका से गैर सरकारी धन विनियोजन अधिक होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : हमेशा यह आशा की जानी चाहिये कि जितने धन की आवश्यकता होगी, उतना प्राप्त किया जाएगा। इतना ही कहा जा सकता है। क्या होगा और क्या नहीं होगा, यह कहना कठिन होगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : जहां तक प्रतिवेदन का सम्बन्ध है यह स्पष्ट है कि मिशन सरकारी क्षेत्र के लिये भारत को आवंटन देने के लिये प्रोत्साहन नहीं करेगा। क्या भारत सरकार इसे स्वीकार करेगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह सच नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया है कि उस ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच कोई भेद नहीं किया।

†**श्री हेम बरुआ** : जब यह मिशन यहां से गया, तो क्या इसमें हमारी दूसरी योजना की कुछ आलोचना की और यदि हां, तो क्या उन आलोचनाओं का उन देशों के रुख पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, जिन्होंने यह मिशन भेजा था ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं नहीं समझता कि ऐंसी कोई आलोचना की गई थी, जिसका बुरा प्रभाव होता।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या यह मिशन अपने देशों के बैंकिंग उद्योग से संबद्ध गैर सरकारी व्यक्तियों की ओर से था ? क्या सरकार यह नहीं सोचती कि यह इस देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है और यदि हां, तो इस को ठीक करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय मंत्री को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है इसीलिये वह यह गलत बात कह रहे हैं। मिशन उन तीन व्यक्तियों का व्यक्तिगत नहीं था, जो यहां आये थे। मैं ने एक प्रश्न के उत्तर में इसके बारे में बताया था। यह विश्व बैंक की ओर से भेजा गया था और इसने कहा कि क्या हम उस से सहमत हैं और हम उससे सहमत हो गये। हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस मिशन ने सुझाव दिया था कि तीसरी योजना को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि इसके उद्देश्य अत्याधिक बड़े हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखा है। उससे आगे जाने का कोई लाभ नहीं।

†**श्री हेम बरुआ** : जब यह मिशन यहां से गया, तो उसने हमारी योजना की आलोचना की और वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। उसने कहा कि योजना बहुत बड़ी है और उसे कम कर देना चाहिये आदि।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि माननीय सदस्य स्पष्टतः बतायें कि उन्होंने क्या कहा है, तो मैं उसके बारे में कुछ बता सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम केवल प्रतिवेदन के बारे में विचार कर रहे हैं। अगला प्रश्न

अलीगढ़ विश्वविद्यालय

\+

*६८७. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सूपकार :
श्री आसर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भक्त दर्शन :
श्री खुशवक्त राय :
श्री वाजपेयी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त चटर्जी जांच समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो संभवतः कब तक जांच पूरी हो जायेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि समिति में कुछ और सदस्य नियुक्त किये गये हैं और यदि हां, तो कितने और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या विश्वविद्यालय के उपकुलपति अथवा अन्य कोई अधिकारी जांच समिति की बैठकों में भाग ले रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) १९६० के अन्त तक।

(ग) जी, हां। समिति को अधिक व्यापक रूप देने के लिये दो अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

(घ) जी, हां। अभी तक हुई लगभग सभी बैठकों में उपकुलपति उपस्थित थे।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जब शिक्षा मंत्री जी ने इस सदन को यह आश्वासन देते हुये यह कहा था कि हम विश्वविद्यालय के उप कुलपति को यह कहेंगे कि वह बैठकों में भाग न लें और उस के पश्चात् वह बैठकों में भाग ले रहे हैं और उस कारण विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अधिकारी, जिन के द्वारा बहुत सी जानकारी प्राप्त हो सकती है, अब वह जानकारी नहीं देना चाहते, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने को विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री अ० मु० तारिक : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं कहूंगा कि इस मामले की अभी यह जांच समिति जांच कर रही है। मैं आपका इस बारे में निदेश चाहता हूं कि क्या इस सभा के लिये विषय चर्चा करना उचित है जब कि एक जांच समिति नियुक्त की जा चुकी है जो इस पर विचार कर रही है।

†अध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न एक या दो शब्दों में होना चाहिये। औचित्य प्रश्न स्पष्ट है। माननीय सदस्य इसे न्यायिक निकाय समझते हैं, परन्तु यह न्यायिक निकाय नहीं है। सरकार द्वारा या उप कुलपति द्वारा नियुक्त कुछ व्यक्ति जांच कर रहे है। हम ब्योरे में नहीं पड़ रहे हैं। माननीय सदस्यों को यह कहने का अधिकार है कि दो अधिक सदस्य क्यों सम्मिलित किये गये हैं और उप कुलपति को इसका प्रधान क्यों होने दिया गया है जबकि आरोप विश्वविद्यालय के विरुद्ध हैं। ये सब संगत बातें हैं और इसलिये औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†डा० का० ला० श्रीमाली : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, संविधान ३(१) के अनुसार, उप कुलपति, कार्यपालिका परिषद द्वारा नियुक्त किसी भी बैठक में उपस्थित हो सकता है और भाषण दे सकता है। उप कुलपति को ऐसी बैठकों में सम्मिलित होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यह भी कहूंगा कि यदि विज़िटर ने समिति नियुक्त भी कर दी है तो भी विश्वविद्यालय की उन बैठकों में समिलित होने के लिये अपना एक प्रतिनिधि नामांकित करने का अधिकार होता है। इसलिये इस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यह नहीं कहा कि उप कुलपति को कहा जायगा कि वह बैठकों में उपस्थित न हों। इस मामले में मैं कुछ करने में असमर्थ हूं। मैंने तो यही कहा है कि यदि उप कुलपति के विरुद्ध आरोप हैं,तो बैठकों में उपस्थित न होना उसके विवेक की बात है। मैं उसे बैठकों में आने से रोक नहीं सकता क्योंकि उसे बैठकों में आने का अधिकार है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जो गवाहियां इस सम्बन्ध में यह जांच समिति ले रही है तो उस रिपोर्ट में से गवाहियों को हटाया जा सकता है, क्या ऐसा अधिकार भी उप कुलपति को है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं आपका प्रश्न समझा नहीं हूं। क्या आपका यह मतलब है कि वाइस चांसलर को हटा दें ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह है कि जो गवाहियां इस जांच समिति के सामने दी जा रही हैं, क्या उप कुलपति या विश्वविद्यालय की समिति को यह अधिकार होगा कि उनमें से कुछ को हटा दें ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं, यह अधिकार उप कुलपति को नहीं कि कोई गवाही उसमें से हटा दें।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सत्य है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल श्री साह को वाइस चांसलर के मकान के सामने सायंकाल के समय पीटा गया और जो व्यक्ति इस सम्बन्ध में पकड़े गये हैं, उनमें से एक वह भी व्यक्ति है जो कि वाइस-चांसलर के मकान में रहता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे कोई इल्म नहीं है। यह पुलिस का मामला है और पुलिस को इसके बारे में पूछा जाना चाहिये।

श्री खुशवक्त राय : मैं जानना चाहता हूं कि उप कुलपति के इस जांच समिति में बैठने के कारण जो साक्षियां मिलनी चाहियें, वे क्या मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस वक्त इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है और जबतक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई राय इस मामले में नहीं दी जा सकती है। जैसा मैंने निवेदन किया है कि उप कुलपति चाहें तो इस कमेटी में बैठ सकते हैं, ऐसा करने से उनको एक्ट के मुताबिक कोई रोक नहीं सकता है।

श्री ब्रजराज सिंह : शिक्षा मंत्री महोदय के इस वक्तव्य को देखते हुये कि कानून में यह व्यवस्था है कि उपकुलपति चाहें तो इस कमेटी की बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं और उनके इस आश्वासन को देखते हुये जो कि उन्होंने इस सदन में दिया था कि उनकी यह इच्छा है कि स्वयं उप-कुलपति के खिलाफ कोई चार्जिज होंगे तो वह नहीं बैठेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने या केन्द्रीय सरकार ने उपकुलपति को कोई ऐसी राय दी है कि इस सिद्धान्त को देखते हुये वह इस कमेटी में न बैठें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने इस सभा में वक्तव्य दिया है और कहा है कि उपकुलपति को बैठकों में उपस्थित न होने का स्व-विवेक है, यदि उसके विरुद्ध आरोप हैं। इस सामान्य प्रक्रिया का सब जगह पालन किया जाता है।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इस वर्ष के अन्त तक इस जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच जाएगी और शायद उसके ऊपर अमल करते करते कई महीने और लग जायेंगे, तो इस बीच में अगर वहां पर कोई दुर्घटनायें होती हैं या कोई अनियमितता होती है, तो इस तरह की घटनाओं को रोकने की क्या कोई व्यवस्था की जा रही है ? जैसा कि श्री प्रकाश वीर शास्त्री जी ने अभी उल्लेख किया है कि वहां पर मारपीट हुई है तो इस तरह की घटनाओं की रोकथाम करने के लिये, इस तरह की आशंकाओं को टालने के लिये वहां कोई अन्तर्कालीन व्यवस्था की जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह ला एंड आर्डर का प्रश्न है। अगर कोई मारपीट होती है यूनिवर्स्टी में तो फिर जिस तरह से और लोगों के साथ डील किया जाता है उसी तरह से उनके साथ भी डील किया जाना चाहिये। जिन को मारापीटा जाता है, उनको इसकी इत्तिला पुलिस को देनी चाहिये और फिर उस पर कार्रवाही हो सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं कि इस प्रकार की मारपीट या ऐसी कोई बात होने वाली उचित जांच में बाधक होती हैं ? यदि इससे हस्तक्षेप होना है तो यह केवल शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न नहीं रहता। यदि जांच रोक दी जाती है, तो यह शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न नहीं। परन्तु यदि यह हस्तक्षेप नहीं करती तो यह शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न होता है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस मामले में मुझे सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य को कोई जानकारी है तो वह कृपया मुझे भेज दें और मैं उसे समिति के नाम भेज दूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या उनके काम में कुछ हस्तक्षेप हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या यह सच नहीं है कि पहले ऐसे ही जांच समिति या दूसरे विश्वविद्यालयों के बारे में नियुक्त की गई थीं और उन जांचों में उपकुलपति हमेशा सम्मिलित होते थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने कहा है कि अधिनियम में उपबन्ध है कि उपकुलपति को बैठकों में आने का अधिकार है । वह बैठक में न आये यह उसके स्व-विवेक का मामला है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : अन्य दो सदस्य कौन हैं और क्या वे उपकुलपति की प्रत्येक प्रार्थना पर नियुक्त किये गये थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अन्य दो सदस्य हैं श्री पी० एन० सप्रू तथा श्री शमीरी । उपकुलपति ने इन दो सदस्यों को नियुक्त करने के पूर्व मेरा अनुमोदन प्राप्त किया था ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे पहले प्रश्न का वास्तविक मंतव्य यह था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो जांच हो रही है, उसमें जो लोग सच्ची राय देना चाहते हैं उनके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को प्रकट कर सकें ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो जांच होगी, वह बिल्कुल स्वतंत्र होगी, किसी प्रकार की रुकावटें नहीं होंगी । अगर आपके सामने कोई ऐसी मिसालें हों कि रुकावटें आ रही हैं तो आप मुझे बतायें और मैं कमेटी के सामने इस मामले को रखूंगा ।

†**श्री सूपकार** : यह आशा की जाती थी कि प्रतिवेदन अगस्त के अन्त या सितम्बर. के पहले सप्ताह तक तैयार हो जाएगा । अब हमें बताया गया है कि वह इस वर्ष के अन्त तक तैयार होगा । क्या इस विलम्ब का कारण यह है कि संबद्ध अधिकारी कुछ हद तक सहयोग नहीं दे रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, नहीं । कुछ विलम्ब इस कारण हुआ है कि समिति ने त्यागपत्र दे दिया था और समिति को पुनः अपना कार्य संभालने में विलम्ब हो गया था । आशा है कि प्रतिवेदन सितम्बर के अन्त तक तैयार हो जायगा ।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि समिति की एक बैठक हैदराबाद में हुई थी ; यदि हां, तो उस का क्या कारण था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति का प्रधान हैदराबाद में रहता है और संभवतः उस ने हैदराबाद में बैठक रखना सुविधाजनक सोचा हो । प्रधान जहां चाहें वहां उसे बैठक बुलाने से कोई रोक नहीं सकता ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस चैटर्जी जांच आयोग ने अभी तक कितने महानुभावों की गवाहियां ली हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अब इस की फेहरिस्त तो मेरे पास नहीं है लेकिन जहां तक मुझे पता है काफी लोग गये हैं गवाहियों के तौर पर इस पिछली मीटिंग में ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति को मुदलियर समिति ने शामिल करने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, सरकार ने उस अनुभव से लाभ उठाने का क्यों प्रयत्न नहीं किया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिकूल प्रभाव पड़ा या नहीं, यह विधि की दृष्टि से बड़ा प्रश्न है। इस का उत्तर न दिया जाय।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि मारपीट की घटना के कारण, विश्वविद्यालय के अन्य प्राध्यापकगण आगे आने और गवाही देने से डरते हैं, यदि हां, तो उन को क्या रक्षण दिया जाता है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि वे डरते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं उन में उत्साह कैसे भर सकता हूं। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध अन्तःकरण वाला है और वह समझता है कि गलत काम किया गया है तो मैं समझता हूं कि समिति के सामने जा कर उस की सूचना देना उस का सार्वजनिक कर्तव्य हो जाता है। उपकुलपति की अनुपस्थिति से उसे क्यों डरना चाहिये ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुन्शी ने इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी थी और क्या यह जांच समिति उस रिपोर्ट को प्राप्त कर के भी उस से कुछ लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : दी होगी, मुझे मालूम नहीं है। अगर जांच समिति चाहे वह रिपोर्ट तो उस के बारे में मुझे लिखे।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि यह समिति जो सिफारिश करेगी, उन पर अन्तिम निर्णय केन्द्रीय सरकार करेगी या विश्वविद्यालय की एग्ज़ेक्टिव काउंसिल करेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : नियमों के अनुसार यह रिपोर्ट एग्ज़ेक्टिव काउंसिल के पास जायगी। लेकिन गवर्नमेंट भी जरूर जो सिफारिशें होंगी, उन के ऊपर गौर करेगी।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या यह रिपोर्ट लोक सभा में भी आयगी ?

†**श्री मा० कृ० भट्टाचार्य** : क्या यह समिति सर इब्राहीम रैहमतुल्ला की अध्यक्षता में नियुक्त पिछली जांच समिति की सिफारिशों पर ध्यान देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति के पास जो कुछ भी संगत सामग्री है उस सब की वह जांच करेगी।

बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी मोनोग्राफ

६८८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर दूसरे मोनोग्राफ की प्रतियां तैयार करने में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(ख) देरी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) विवरण लोक सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मोनोग्राफ की हस्तलिपियां प्राप्त हो गई हैं और उन का परीक्षण किया जा रहा है। यह बता सकना सम्भव नहीं है कि ये कितने समय में प्रकाशन के लिये तैयार हो जायगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रकाशन में देरी कुछ ऐसे कारणों से हो गई है जिन पर काबू पा सकना संभव नहीं है जैसे पुस्तकों की तैयारी, उस के बाद उन के परीक्षण तथा प्रकाशन के लिये तैयार होने से पूर्व किये जाने वाले पुनरीक्षण आदि में लगने वाला समय ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस मोनोग्राफ के सम्बन्ध में सरकार की क्या राय है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : प्रयोग के सम्बन्ध में ? पहले यह तैयार हो जाय तब प्रयोग किया जा सकता है और फिर सरकार राय कायम कर सकती है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : पहला सैट बन चुका है, यह दूसरा सैट बन रहा है । पहले सैट के बारे में क्या राय है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो आप ने पूछा था वह था सैकिंड सैट आफ मोनोग्राफ्स के डिफ्रेंट एसपैक्ट्स । मैं यही आप से निवेदन करना चाहता हूं कि वे तैयार हो रहे हैं और जहां तक उन के प्रयोग का सम्बन्ध है, उस के बारे में बाद में ही राय कायम की जा सकती है, जब वे तैयार हो जायं । दूसरे के बारे में अगर आप नोटिस देंगे तो मैं बता दूंगा ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इन मौनोग्राफ्स का सम्बन्ध है यह केवल चित्र के सदृश कोई चीज़ है या इस में कोई भाषा भी लिखी जायगी और अगर भाषा लिखी जायगी तो क्या जितनी भाषायें हम ने स्वीकार की हैं अपने संविधान में, उन सब भाषाओं में भी ये बनाये जायेंगे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, वे बनाये जा सकते हैं । हिन्दी में होंगे । लेकिन बाद में अंग्रेज़ी में भी और दूसरी भाषाओं में भी बनाये जा सकते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : बनाये जा सकते हैं, यह बात तो ठीक है । मगर मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कोई निर्णय किया गया है कि वे सभी भारतीय भाषाओं में बनाये जायेंगे या अभी इस के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि यह सेट किस भाषा में बन रहे हैं और उन को दुबारा बनाने का प्रश्न क्यों खड़ा हुआ ? क्या पहले वाले सेट ठीक नहीं साबित हुए ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह दूसरे विषयों के ऊपर हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं ने भाषा के बारे में पूछा कि वे किस भाषा में बन रहे हैं ।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सभी हिन्दी में तैयार होंगे । अगर वे अंग्रेज़ी में होंगे तब भी वे हिन्दी में तैयार किये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में यातायात

\+

†*६८९. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री २४ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विशेष अवसरों पर यातायात के विनियमन के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर क्या सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दिल्ली में विशेष अवसरों पर यातायात व्यवस्था सम्बन्धी समिति की सिफारिशें पांच श्रेणियों में आती हैं, अर्थात् :—

(१) सड़क प्रणाली में सुधार

(२) उत्सवों के आयोजकों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय ;

(३) सार्वजनिक संबंध

(४) उत्सव के स्थान पर तथा वहां तक जाने वाले मार्गों पर यातायात का विनियमन; और

(५) यातायात पुलिस का प्रशिक्षण तथा उपकरण ।

२. जहां यातायात को मोड़ दिया जाय ऐसी सड़कों के निर्माण तथा कुछ वर्तमान सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाने के बारे में प्लैन तैयार किये जा चुके हैं । शीघ्र ही कुछ व्यपवर्तन सड़कों का निर्माण आरम्भ किया जायगा और वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन के पूर्ण होने की आशा है ।

३. समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं जो उत्सवों के आयोजकों और स्थानीय प्राधिकारियों के बीच गहरा सम्बन्ध स्थापित करेंगी इस काम के लिये कि महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसरों पर समाचारपत्रों और अन्य साधनों के द्वारा काफी पहले यातायात संबंधी प्रबन्ध की व्याख्या की जा चुकी है ।

४. राम लीला ग्राउंड, प्रदर्शनी ग्राउंड, दिल्ली विश्वविद्यालय और गणतंत्र दिवस के अवसर तथा पालम हवाई अड्डे पर प्रसिद्ध विदेशी नेताओं के आगमन के अवसर पर होने वाले उत्सवों के लिये आदर्श यातायात विनियम तथा योजनायें तैयार की जा चुकी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. दिल्ली यातायात पुलिस के लिये विशेष प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम जारी किया गया है। यातायात पुलिस को अधिक चलता बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच शीघ्र आने जाने का प्रबन्ध करने के लिये, अधिक गाड़ियां मंजूर की गई हैं। अधिक बेतार तथा अन्य सामान संबंधी प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण में सड़कों के विकास के लिये तैयार किया गया एक प्लान है। इस प्लान का व्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

†**श्री गो० ब० पंत** : इस समिति के निम्न व्यपवर्हत सड़कों के लिये एक प्रस्ताव पेश किया है शान्ति पथ को गुड़गांव रोड़ से मिलाने वाली एक सड़क का निर्माण मथुरा रोड़ को मिलने वाली एक सड़क का निर्माण।

†**श्री अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि इन की कितनी लागत आएगी ?

†**श्री गो० ब० पंत** : अभी कोई अनुमान नहीं लगाया गया।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो स्कीम है हुकूमत के सामने पुराने रास्तों को वसीय करने की, क्या उस के सिलसिले में वह रास्ते भी ज़ेरे नज़र रक्खे गये हैं जो यहां से पालम को जाते हैं और क्या नई कालोनीज़ को भी नज़र में रक्खा गया है जैसे अशोक होटल के सामने विनय मार्ग, शांति पथ और सत्य पथ हैं।

श्री गो० ब० पन्त : जी हां, मैं समझता हूं कि कमेटी ने सब चीजों को मद्देनज़र रख कर अपनी तजवीज़ें की हैं।

श्री अ० मु० तारिक : मेरे पूछने का मकसद यह है कि चूंकि यह रास्ते उस जमाने में बनाये गये थे जब कालोनीज नहीं बनाई गई थीं तो अब चूंकि वहां पर काफी लोग बसाये जा रहे हैं, उन की मुश्किलात को मद्दे नजर रखते हुए उन को वसीय किया जायेगा।

श्री गो० ब० पन्त : कमेटी ने जो तजवीजें की हैं रास्तों के बारे में, अगर आप चाहें तो उन को मैं आप के सामने पेश कर सकता हूं। उन से अन्दाजा लग जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कदम दिल्ली की ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिये अब तक उठाये गये हैं, उन से स्थिति में कितना सुधार हुआ है।

श्री गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि कुछ बदलाव अच्छी तरह का हुआ है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुरानी दिल्ली के सम्बन्ध में भी इस कमेटी ने क्या कोई रिकमेन्डेशन्स की हैं ? और अगर की हैं तो वे क्या हैं ?

श्री गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि पुरानी दिल्ली की सड़कों के बारे में इस में ज्यादा तजवीजें नहीं हैं क्योंकि पुरानी दिल्ली के अन्दर किसी सड़क को चौड़ी करना या किसी सड़क को बदल कर दूसरी सड़क वहां बनाना बहुत मुश्किल सी बात मालूम होती है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि नये बाजार वाली जो सड़क है जो कि सब से ज्यादा भीड़ भाड़ वाली सड़क है, जिस को माननीय दातार साहब देख भी आये हैं, उस के सम्बन्ध में सरकार की क्या राय है वहां पर यातायात को व्यवस्थित रूप से लाने के लिये ?

श्री गो० ब० पन्त : सरकार की राय यह है कि अगर उस के अगल बगल के रहने वाले जो मकान मालिक हैं वह राजी हों तो उस के लिये कोशिश की जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

ताल्चेर खनन प्रशिक्षण स्कूल

†*६९०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कोयला खानों की प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पांच खनन प्रशिक्षण स्कूल चला रहा है जिन में से एक ताल्चेर, उड़ीसा में है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष में ताल्चेर खनन प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण की सुविधायें बढ़ाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** :(क) इस समय करगली, गिरिदीह, कुरसिया और ताल्चेर में खनन प्रशिक्षण के चार स्कूल हैं। १५ अक्तूबर, १९६० से भूरकुंड में पांचवां स्कूल खोलने का विचार है।

(ख) इस समय ताल्चेर या अन्य किसी प्रशिक्षण स्कूल के विस्तार का विचार नहीं किया गया है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : कोयला खानों के लिये कुल कितने प्रविधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है और हमारे पास कितनी कमी है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इस समय हमारे पास चारों स्कूलों में लगभग ५४२ लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं और भूरकुंड में खोले जाने वाले पांचवें स्कूल के बारे में हम ने तीसरी पंच वर्षीय योजना के पूर्वार्ध की आवश्यकताओं का विचार किया है और उस मात्रा तक यह आवश्यकता पूरी करेगा।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या चालू वर्ष में इन चारों संस्थानों की प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने का कोई विचार है और यदि हां, तो किन स्कूलों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ेगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम विभिन्न स्थानों पर चार स्कूल चला रहे हैं। दूसरा स्कूल भूरकुंड में खोला जा रहा है। स्वभावतः पहले की अपेक्षा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या थोड़ी बढ़ गई है।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : क्या इन विद्यार्थियों को खनन सम्बन्धी उच्च प्रविधिक प्रशिक्षण पाने के लिये विदेश भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : कुछ अन्य कर्मचारी प्रशिक्षण पाने के लिये विदेश भेजे गये हैं परन्तु ये विद्यार्थी तो यहीं पर व्यवहारिक प्रशिक्षण पा रहे हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : ताल्चेर खनन प्रशिक्षण स्कूल के लिये कितना आवंटन किया गया है और पिछले तीन या चार वर्षों में कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मेरे पास इस विशिष्ट स्कूल के पृथक आंकड़े नहीं हैं, किन्तु हम इन सब स्कूलों पर प्रति वर्ष लगभग १३,७४,००० रुपये खर्च कर रहे हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या भूरकुंड का स्कूल इन सब स्कूलों में बड़ा होगा और यदि हां, तो इस में कितने विद्यार्थी होंगे ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मेरे पास इन में की जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं के आंकड़े नहीं हैं, परन्तु यह दूसरे स्कूलों की तुलना में अच्छा स्कूल होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जयपाल सिंह : कितने विद्यार्थी होंगे ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : यद्यपि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, मैं कह सकता हूं कि यहां हमें कुछ लाभ होंगे । यहां खुला-कास्ट खानें और इनक्लाइन हैं और वहां व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में विद्यार्थियों को लाभ होगा ।

†पण्डित द्वा० ना० तिवारी : चारों स्कूलों में प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या क्या है और लक्ष्य क्या है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि लगभग ५४२ विद्यार्थी इस समय प्रशिक्षण पा रहे हैं । पहले संख्या ४०० के लगभग थी ।

†पण्डित द्वा० ना० तिवारी : ताल्चेर में संख्या कितनी है और भविष्य का लक्ष्य क्या है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : ताल्चेर के बारे में मैं कह चुका हूं कि पृथक आंकड़े हमारे पास नहीं हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : आवश्यकता कितनी है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं कह चुका हूं कि हम तीसरी योजना के पहले भाग के लिये प्रविधिकों की आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं और हम बहुत से लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं । हम समझते हैं कि यह वर्तमान के लिये पर्याप्त है ।

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं अधिक स्पष्टीकरण करता हूं । हम ने कुछ हिसाब लगाये थे और यह पाया कि वर्तमान संख्या जो प्रति वर्ष ५४२ है, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की तीसरी योजना के पूर्वार्ध आवश्यकता को पूरी करने के लिये काफी ह । यदि हम समझेंगे कि इसको अधिक करने की जरूरत है, तो उस पर बाद में विचार किया जा सकता है ।

†श्री जयपाल सिंह : उन्होंने केवल राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की आवश्यकता को ध्यान में रखा है । क्या वे अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करते ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इन स्कूलों में नहीं । यह स्कूल मुख्यतया राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हैं ।

इंजीनियरिंग कालेज, दिल्ली का बोर्ड आफ गवर्नर्स

+

†*६९१. { श्री अ० मु० तारिक :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री ८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग कालेज, दिल्ली का बोर्ड आफ गवर्नर्स गठित करने के लिये दिल्ली श्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् से अनुमति प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) और (ख). जी, हां । कालेज संस्था पंजीयन अधिनियम १८६० के अन्तर्गत एक संस्था के रूप में पंजीबद्ध हो चुका है और इसका बोर्ड आफ गवर्नर्स दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है । १६ जून, १९६० को बोर्ड की पहली बैठक हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० मु० तारिक :** पिछले सत्र में माननीय मंत्री ने कहा था कि ब्रिटेन सरकार कुछ सामान और कुछ प्रोफेसर भेजेगी । क्या सामान का कुछ भाग प्राप्त हो चुका है और उस की लागत कितनी है ?

†**श्री हुमायुन् कबिर :** इमारत बनवानी पड़ेगी । तीन विशेषज्ञ यहां आये और उन्होंने प्लान तैयार करने में हमारी सहायता की । मैकेनीकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी के पाठ्यक्रमों के लिये सामान की सूची तैयार हो चुकी है और दिल्ली पालिटेक्निक में इस समान को तैयार करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** बोर्ड आफ गवर्नर्स के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

†**श्री हुमायुन् कबिर :** यह लम्बी सूची है, बोर्ड आफ गवर्नर्स में १५ सदस्य हैं । यदि आप चाहें तो मैं सूची सभा पटल पर रख सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई जरूरी नहीं है ।

साहित्य रत्न परीक्षा

+

*६९२. **श्री नरदेव स्नातक :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नेक राम नेगी :
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहबाद की उत्तमा (साहित्य रत्न) परीक्षा के स्तर को बी० ए० से ऊंचा परन्तु एम० ए० डिग्री के समान नहीं माना गया है; और

(ख) यदि हां, इसका यह अभिप्राय है कि यह हिन्दी आनर्स परीक्षा के समान हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की साहित्य-रत्न परीक्षा का स्तर बी० ए० परीक्षा की हिन्दी के स्तर से ऊंचा पर एम० ए० परीक्षा के स्तर से नीचा माना गया हैं ।

श्री नरदेव स्नातक : यह कौन सी परीक्षा है जो कि बी० ए० से ऊपर और एम० ए० से नीचे है ? उसका नाम बताया जाय ।

डा० का० ला० श्रीमाली : आपने साहित्य रत्न के बारे में पूछा था । यह साहित्य रत्न के बारे में कहा गया है ।

सेठ गोविन्द दास : जैसा कि मंत्री जी ने कहा, साहित्य रत्न परीक्षा का स्तर बी० ए० से ऊचा और एम० ए० से नीचा हैं । परन्तु क्या यह बात सही है कि जब कोई साहित्य रत्न परीक्षा में उत्तीर्ण स्नातक किसी सरकारी नौकरी के लिये दरखास्त देता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाता और उससे पूछा जाता है कि उसने कहां से एफ० ए० पास किया है और वह कहा का ग्रेजुएट है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली: ऐसा कोई उदाहरण आप मेरे सामने लायें तो उसको देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसको बी० ए० से कुछ ऊंचा माना जाता है और एम० ए० से कुछ नीचा। अगर वह इस परीक्षा को एम० ए० के बराबर करना चाहते हैं तो इसके स्तर को कुछ ऊंचा उठाना होगा और अगर इसको बी० ए० के बराबर करना चाहते हैं तो स्तर को कुछ नीचा करना पड़ेगा।

सेठ गोविन्द दास: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं यह जानना चाहता था कि सरकारी नौकरियों के लिये जब वे दरखास्त देते हैं तो क्या उन सरकारी नौकरियों के लिये वे काबिल समझे जाते हैं जिनके लिये बी० ए० की योग्यता होना आवश्यक है?

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री ने कहा है कि कोई उदाहरण नहीं दिया गया। नियम यह है कि यह बी० ए० से ऊपर है परन्तु एम० ए० से कम है। यदि कोई व्यक्ति बी० ए० के लिये अर्ह नहीं है, तो ऐसे मामलों की सूचना उनको दे दी जाए और यदि कहीं कोई भेदभाव हुआ है तो वह उसकी जांच करेंगे।

सेठ गोविन्द दास: अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के स्नातक यदि सरकारी नौकरियों के लिये दरख्वास्त देते हैं तो उस वक्त यह जो स्तर माना गया है इसका कोई खयाल नहीं किया जाता और इस तरह के उदाहरण होंगे तो मैं पेश करूंगा।

डा० का० ला० श्रीमाली: मैं निवेदन कर चुका हूं कि शिक्षा मन्त्रालय ने इस परीक्षा को माना है और होम मिनिस्ट्री ने भी इसको मान लिया है और इसी के मुताबिक एक प्रेस नोट २२ अप्रैल, १९६० को दिया गया है। अगर आपके पास कोई ऐसे उदाहरण हों तो आप लावें जहां कि इस परीक्षा को बी० ए० के बराबर नहीं माना गया है और उनकी जांच की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: खबर भेज दीजिये।

श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कहने का कोई अर्थ होता है कि कोई परीक्षा किसी एक परीक्षा से कम और दूसरी परीक्षा से कुछ ज्यादा है। अगर कोई परीक्षा किसी परीक्षा के बराबर या उससे नीची या ऊंची है, तो उसके बराबर की कोई परीक्षा यूनीवरसिटीज़ में होनी चाहिये जिससे कोई अर्थ निकल सके। इससे कम या ज्यादा है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता।

डा० का० ला० श्रीमाली: अर्थ तो साफ है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कोई न कोई मापदण्ड इस कमेटी ने अपने सामने रखा था। हमारे विश्वविद्यालयों में डिग्रीज़ हैं, उनका ही मापदण्ड इस कमेटी ने अपने सामने रखा और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि यह एम० ए० के बराबर नहीं है, इससे कम है। यह साफ बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें उलझन क्यों हो रही है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य:** क्या भारत सरकार के मन्त्रालयों द्वारा इस विशिष्ट परीक्षा को दी गई मान्यता भारत के किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** बात यह नहीं है। बात यह है कि दक्षिण तथा उत्तर भारत में विभिन्न हिन्दी संगठनों द्वारा लिये जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं की जांच करने के लिये यह समिति नियुक्त की गई थी समिति ने कुछ समान परीक्षाएं बताईं और इन परीक्षाओं को मान्यता दी ताकि रोजगार के मामले में इन लोगों को विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई कुछ डिग्रियों के बराबर समझा जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नरदेव स्नातक : हिन्दी परीक्षाओं के सम्बन्ध में जो उप समिति बनी थी सन् १९५५–५६ में उसके अनुसार ही साहित्य रत्न की परीक्षा को बी०ए० से ऊपर और एम०ए० से नीचे मान्यता दी गयी या किसी अन्य समिति के अनुसार ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह मामला तो कई सालों से चल रहा है, काफी अरसे से चल रहा है। अन्त में एक रिव्यूइंग कमेटी बनायी गयी थी जिसके सदस्य थे; डा० रामधारी दिनकर, डा० युद्धवीर सिंह, श्री एस० एन० चतुर्वेदी, लखनऊ, डा० ए० चन्द्रहासन, अर्नाकुलम, डा० आर० बी० डी० शर्मा, एजुकेशन मिनिस्ट्री। इन लोगों ने इसकी पूरी जांच करने के बाद यह नतीजा निकाला और इस परीक्षा को मान्यता दी।

श्री नरदेव स्नातक : क्या इसके पहले और भी समितियां इस विषय पर विचार करने के लिये बनी थीं।

डा० का०ला० श्रीमाली : जी हां और भी समितियां बैठी थीं। एक में तो डा० मिश्र, श्री चन्द्र हासन, श्री त्रिपाठी और श्री आर० डी० शर्मा थे। और इसके पहले एक और समिति बैठी थी जिसके चेयरमैन श्री सत्य नारायण जी थे। तो इस तरह से कई कमेटीज बनीं। लेकिन जो अन्तिम कमेटी ने निर्णय दिया वह मैंने आपको बताया।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जब साहित्य रत्न परीक्षा का स्तर और उसकी पाठ्य विधि एम० ए० की परीक्षा की पाठ्य विधि से ऊंची स्तर की है तो फिर क्या कारण हुआ कि उसको एम० ए० से नीचे के स्तर की मान्यता दी गयी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं तो इस मामले में दक्ष नहीं हूं। लेकिन जो दक्ष कमेटी ने इस मामले में जांच की उसको मानना पड़ता है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या यह एम० ए० (प्रीवियस) के बराबर है ? क्या इस परीक्षा को पास करने वाला व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय में एम० ए० (प्रीवियस) में दाखिल किया जाएगा ? यदि यह बी० ए० से यह अधिक है तो उसे एम० ए० (प्रीवियस) में दाखिल कर लिया जाना चाहिये।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य को मालूम है कि विश्वविद्यालयों के अपने स्तर और अपने तन्त्र होते हैं जिनसे वे कुछ परीक्षाओं को अन्य परीक्षाओं के बराबर समझते हैं। इस मान्यता का उद्देश्य सीमित है। केवल रोजगार के मामले में सरकार ने इन डिप्लोमाओं और डिग्रियों को कुछ डिग्रियों और डिप्लोमाओं के बराबर मान्यता दी है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई सरकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स से यूनीवरसिटीज़ को भेजा गया है कि इन परीक्षाओं में पास हुए लोगों को उतना ही वेतन दिया जाए जो एक ग्रेजुएट को या एम० ए० को दिया जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ स्टेटों में इनका वेतन का स्तर बहुत कम हो गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : आपके पास कोई विशेष उदाहरण हो तो मुझे बताएं। एक साधारण सवाल का साधारण उत्तर देना तो मेरे लिये सम्भव नहीं है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या कोई आदेश भेजा गया है यूनीवरसिटीज़ को कि इन लोगों को भी उतना ही वेतन दिया जाए जितना बी० ए० पास लोगों को दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : इस प्रश्न का यदि आप नोटिस दें तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री भक्त दर्शन : क्या हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि कौन से विषयों में पाठ्यक्रम में सुधार कर देने से इस परीक्षा को एम० ए० के बराबर मान्यता दी जा सकेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जब कमेटी उनसे मिली थी तो बातचीत हुई थी और उनको बता दिया गया था।

सेठ गोविन्द दास : जब सरकार ने इस परीक्षा को मान्यता दी है, तो क्या सरकार विश्वविद्यालयों को लिखेगी कि इन स्नातकों की यदि एम० ए० या पी० एच० डी० पाठ्यक्रमों के लिये कोई दरखास्त आए तो उसे विश्वविद्यालयों को स्वीकार करना चाहिये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उनको हम लिख तो देंगे। लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं उनको हम इस मामले में आदेश नहीं दे सकते।

श्री जयपाल सिंह : जितने प्रश्न अभी सभा के सामने प्रस्तुत किये गये हैं उनसे यही पता चलता है कि इस परीक्षा का नाम साहित्य रत्न होने की वजह से यह झगड़ा पैदा हो गया है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मान लिया जाए कि एक और परीक्षा हो जिसका नाम सर्वोत्तम साहित्य रत्न रखा जाए, तो क्या उसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा और मान्यता ज्यादा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सुझाव तो आप साहित्य सम्मेलन को दे सकते हैं।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या सरकार इस बात पर पुनर्विचार करने को तैयार है कि साहित्य रत्न की परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है और एम० ए० की परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और तब इस परीक्षा को उस रूप में बराबर की मान्यता प्रदान की जाए ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, यदि सिलेबस की पुनरावृत्ति कर दी जाये और स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो सरकार जरूर इस प्रश्न पर विचार करेगी।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या सरकार ने विश्वविद्यालय के इलावा अन्य किसी परीक्षा या डिग्री को ऐसी मान्यता दी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी, हां।

हार्नेस तथा सैडलरी फैक्टरी, कानपुर

\+

*६६३. { **श्री दी० च० शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हार्नेस तथा सैडलरी फैक्टरी, कानपुर में इस बीच जूते बनाने का सन्यन्त्र स्थापित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अभी नहीं श्रीमान् ।

(ख) कोई देर नहीं हुई है । संयंत्र देने वालों ने संयंत्र देने की जो तारीख बतायी है और जो हमने मंजूर की है वह वर्ष १९६० का अन्त है । इस बीच, संयंत्र की स्थापना के लिये आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है ।

†श्री वी० चं० शर्मा : यह संयंत्र कब से काम करने लगेगा ? संयंत्र दिये जाने के बाद उसे स्थापित करने और चालू करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री रघुरामैया : आशा है कि १९६१ के पूर्वार्द्ध में उत्पादन आरम्भ हो जायगा ।

†श्री वी० चं० शर्मा : जब संयंत्र अधिकतम काम करने लगेगा तब अधिकतम उत्पादन कितना होगा ?

†श्री रघुरामैया : आठ घण्टे की एक पाली में प्रतिदिन ५०० जोड़े बूट तैयार करने की क्षमता की सम्भावना है ।

†श्री वी० चं० शर्मा : ये बूट अब सेना को मुहैया करने के लिये सेना ने क्या व्यवस्था की है ?

†श्री रघुरामैया: अभी हम संभरण और निबटान महानिदेशालय के जरिये असैनिक व्यापारियों से खरीद कर रहे हैं ।

†श्री अंसार हरवानी : क्या यह फैक्टरी केवल सशस्त्र सैनिकों के लिये ही माल तैयार करती है या कुछ कोटा असैनिक व्यापारियों को भी दिया जायगा ?

†श्री रघुरामैया : अभी जो कुछ तैयार किया जाता है वह सेना की जरूरत के लिये ही पूरा नहीं है ।

परीक्षा पद्धति

\+
*६९४. { श्री पद्म देव :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या शिक्षा मंत्री १६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षा पद्धति और शिक्षा प्रणाली के संबंध में अमरीकी परामर्शदाताओं ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर अमरीकी परामर्शदाताओं ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं ।

(१) स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों तथा शिक्षा अधिकारियों के सामने यह तात्कालिक काम पूरा जोर देकर रखा जाये कि वे संस्था, विभाग या विषय आदि किसी भी स्तर पर एक जगह इकट्ठे

†मूल अंग्रेजी में

छात्रों तथा अध्यापन के वास्तविक और विशिष्ट उद्देश्यों की सूची तैयार करें। यह उद्देश्य-सूची लिखित हो और इसमें यह बताया जाये कि छात्रों के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन आवश्यक हैं।

(२) जब इस प्रकार उद्देश्यों की सूची तैयार हो जाये तो उन्हें उन सब लोगों के पास पूरी सिफारिश के साथ भेजा जाये जिनका अध्यापक और अध्ययन से संबंध है जैसे अध्यापक, शिक्षा अधिकारी, छात्र छात्रों के माता पिता तथा अन्य लोग आदि। उसके बाद सम्यकतया अध्ययन मंडल नियुक्त किये जायें जो उन उद्देश्यों को वास्तविक अध्ययन अनुभवों की ही रूप रेखा में परिणत कर सकें।

(३) अध्यापक लोग एक जगह इकट्ठे हों और यह निश्चय करें कि अध्ययन अनुभवों के पाठ्यक्रम की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कौन से मूल्यांकन उपकरण सर्वोत्तम हो सकते हैं।

(४) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक मूल्यांकन एकांश होना चाहिये जो शिक्षा के पुन: अनुस्थापन, मानस-मितिक अध्ययन और परामर्श-कार्य क्रमों के लिये उपयुक्त भूमिका तैयार करे।

श्री पद्म देव: अमरीकी परामर्शदाताओं ने शिक्षा सम्बन्धी जो सुझाव सरकार के सम्मुख रखे हैं, उस सम्बन्ध में सरकार क्या पग उठाने का विचार कर रही है?

डा० का० ला० श्रीमाली: यह मामला पिछली वाइस-चांसलर्ज़ कांफ्रेंस में रखा गया था और उस के ऊपर कुछ निर्णय लिए गए थे। वाइस-चांसलर्ज़ की जो रिपोर्ट है, उस को मैं लाइब्रेरी में रख दूंगा अगर वह नहीं रखी गई है। उस पर क्या कार्यवाही वे करेंगे, यह यूनिवर्सिटीज़ ने विचार किया था और विचार कर रहे हैं।

†**श्री च० द० पांडे**: क्या सरकार का ध्यान इस भयंकर राष्ट्रीय समस्या की ओर दिलाया गया है कि अनेक परीक्षाओं में यहां तक कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट कक्षाओं में भी उत्तीर्ण छात्रों की अपेक्षा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अधिक होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करती है कि या तो अध्यापन पद्धति में कोई दोष है या छात्रों की नयी पीढ़ी में कुछ ह्रास हुआ है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: सरकार इस समस्या पर पूरी तौर से विचार कर रही है। मुझे संदेह है कि माननीय सदस्य को स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। पिछले ८ या १० साल में हाई स्कूल से बी० ए० या बी० एस० सी० स्टैन्डर्ड उत्तीर्ण छात्रों की दर अर्थात् औसत प्रतिशतता एक सी रही है। इसलिए जहां तक उत्तीर्ण-छात्रों की प्रतिशतता का प्रश्न है, साधारणतया कोई ह्रास नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि ५० प्रतिशत उत्तीर्ण भी पर्याप्त नहीं है। हमें स्तर में सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्री च० द० पांडे**: क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में केवल ३० से ३८ प्रतिशत लड़के हाई स्कूल परीक्षा में पास हुए हैं? इसलिये, या तो परीक्षा प्रणाली में कोई दोष है या अध्यापन पद्धति में कोई दोष है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: जब इतने अधिक फेल होते हैं, तब निष्कर्ष स्पष्ट है या तो छात्र काम नहीं करते या अध्यापक काम नहीं करते। हो सकता है कि दोनों का ही दोष हो।

†**श्री रंगा**: पद्धति ही खराब है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : निष्कर्ष स्पष्ट है । जैसा कि मैंने कहा, सरकार अध्ययन के अधिक अच्छे तरीके लागू करने और स्तर ऊंचा करने के लिए बराबर आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

†श्री महंती : क्या हम जान सकते हैं कि ये अमरीकी परामर्शदाता कौन है ? उन्हें क्या फीस दी गई है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : वे गेहूं ऋण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत आये थे । उन्हें कोई फीस नहीं दी जाती । उनके नाम हैं : श्री एडवर्ड चार्नवुड किस्लेक, वैने स्टेट यूनिवर्सिटी, डेट्राट, मीशीगन, अमेरिका, श्री जानटाड काउल्स, पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय, पिट्सबर्ग, पेन्सिल्विेनिया, अमेरिका, और श्रीमती एन्नामेरी ड्रैगोसिन्ज, ऐज्यूकेशनल टेस्टिंग सर्विस, प्रिन्सटन, न्यूजरेसी, अमेरिका ।

†श्री महन्ती : मैं केवल उनके नाम नहीं जानना चाहता था । मैं यह जानना चाहता था कि इन महानुभावों की क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं जिससे हम यह जांच सकें कि क्या इस विषय पर सरकार को परामर्श देने के लिए हमारे देश में व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, वे सभी विश्वविद्यालयों के आदमी हैं और वे विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम करते रहे । अत : वे परामर्श देने के योग्य हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि इस के पहले भी हमारी परीक्षाओं की पद्धति दोषपूर्ण है इस पर कोई बार विचार किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में कई सुझाव भी सरकार के सामने वक्त वक्त पर आते रहे हैं ? क्या सारी परीक्षाओं की पद्धति में कोई न कोई मौलिक परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, उसी तरफ़ प्रयत्न है । यह ठीक है कि परीक्षाओं का मामला काफ़ी अर्से से चल रहा है और यह साधारणतया मान लिया गया है कि जो आधुनिक परीक्षाओं की पद्धति है, वह दोषपूर्ण है । अब क्या तरीके काम में लाये जायें, जिस से यह दोष मिट सके, इसी बात पर कोशिश की जा रही है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि अमरीकी परामर्शदाताओं की रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले उप कुलपतियों ने यह सुझाव दिया है कि संचित रिपोर्टों के आधार पर अर्थात् छात्रों के कार्य के अतिरिक्त मूल्यांकन के साथ साथ अंतिम परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर छात्रों की योजना निर्धारित की जाये और यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को कार्यान्वित करने का सरकार का विचार है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस दल की मुख्य सिफारिशें सभा पटल पर रख दी गयी हैं । मैं यह भी बता चुका हूं कि सरकार इस विषय में क्या कर रही है ।

†श्री हेम बरुआ : उपकुलपतियों की सिफारिशों के बारे में क्या हुआ ? माननीय मंत्री ने बताया है कि उप कुलपतियों ने भी कुछ सिफारिशें की हैं और वह रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जायेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए यह विशिष्ट बात जो बहुत आवश्यक भी है, सुझायी गयी है । यदि उसका कोई सुझाव दिया गया हो तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसे कार्यान्वित करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस विवरण की ओर दिलाना चाहता हूं जो सभा पटल पर रखा गया है। वही मुख्य सिफारिशें हैं जो इस दल ने की हैं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उन्हें देखें।

†श्री रंगा : उन विशिष्ट सिफारिशों के संबंध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसी विशिष्ट सिफारिश के बारे में जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री ने उन्हें वह विवरण देखने के लिए कहा है।

†श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने फिर अमरीकी परामर्शदाताओं की सिफारिशों का उल्लेख किया। मेरा प्रश्न यह था कि अमरीकी परामर्शदाताओं की रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले उप-कुलपतियों ने इसका सुझाव दिया था। उन्होंने उपकुलपतियों के सम्मेलन के बारे में कुछ नहीं बताया। वह अमरीकी दल की रिपोर्ट की आड़ ले रहे हैं।

†डा० का० ला० श्रीमाली : रिपोर्ट मेरे पास है लेकिन मैंने सोचा कि रिपोर्ट की सभी सिफारिशें पढ़कर मैं सभा का समय न लूं। अगर आप चाहें तो मैं उसे पढ़ने के लिए तैयार हूं लेकिन वह एक बहुत लंबी रिपोर्ट है जिसे माननीय सदस्य पुस्तकालय में पढ़ सकते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : दो तरह की रिपोर्टें मालूम होती हैं, एक तो अमरीकी परामर्शदाताओं की रिपोर्ट और दूसरी, सम्मेलन की रिपोर्ट। दोनों ही रिपोर्टें सभा पटल पर रख दी जायें। माननीय सदस्य उन्हें देखें और फिर किसी दिन आगे प्रश्न पूछें।

†डा० का० ला० श्रीमाली : बहुत अच्छा।

जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय विनियोजनों में असमानता

*६९५. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई नीति अपनाई जा रही है कि जीवन बीमा निगम प्रत्येक राज्य से होने वाली आय के अनुरूप ही वहां धन लगाये ; और

(ख) यदि नहीं, तो जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगाये जाने वाले धन में जो असमानता रहती है, उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) निगम उन राज्यों में राज्य सरकार के ऋणों में अधिक विनियोजन करने का प्रयत्न करता है, जहां अन्य विनियोजनों के अवसर अपेक्षाकृत कम होते हैं।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या निगम को यह आदेश दिया गया था कि उन राज्यों में जहां अन्य विनियोजनों के लिए अवसर बहुत थोड़े हैं, राज्य सरकार के ऋणों में अधिक नियोजन किया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : साधारणतया सरकार निगम की विनियोजन नीति में हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि निगम बीमा अधिनियम, १९३८ की परिवर्तित धारा २७-क के उपबन्धों के अन्तर्गत अपने स्वविवेक का उपयोग करता है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार के पास ऐसा कोई विवरण दिखलाने के लिये है जिस में यह बताया गया हो कि प्रत्येक राज्य में अब तक कितना विनियोजन दिया जा चुका है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं विभिन्न राज्यों के प्रतिशत आंकड़े बता सकती हूं किन्तु उस में बहुत समय लगेगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : बिहार में कितना विनियोजन है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में कुल विनियोजन में से बिहार पर विनियोजन ४.४४ प्रतिशत है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या जीवन बीमा निगम सभी राज्यों में एक सी दर से ब्याज लेता है या विभिन्न राज्यों में उसका अपना मापदंड होता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में वित्त मंत्री के भाषण की ओर दिलाती हूं जिस में उन्होंने बताया है कि अधिकतर निधियां सरकारी प्रतिभूतियों, केन्द्रीय और राज्य सरकार के ऋणों, निगमों और स्थानीय निकायों को ऋण आदि में विनियोजित की जाती हैं । किन्तु प्रादेशिक अनुदान में विभिन्न राज्यों में वितरण करना निगम के हाथ में नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या विभिन्न राज्यों में ब्याज की भिन्न भिन्न दरें हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी नहीं ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : किस राज्य में विनियोजन सब से अधिक है और किस राज्य में सब से कम ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उस में राज्य में कुल विनियोजन की प्रतिशत दी हुई है । मैं यह कह सकती हूं कि उत्तर प्रदेश में वह सब से अधिक है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह सच है कि गैर-सरकारी व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये ऋण मंजूर करने में निगम केवल बड़े शहरों में ही अपना कार्य करता है और छोटी जगहों को छोड़ देता है और उस के कारण क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री साधन गुप्त** : वह विनियोजन है ।

†**श्री महन्ती** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि जहां अन्य विनियोजन उपलब्ध नहीं होते, वहां विनियोजन करने के लिए निगम को कहा गया है । असम उड़ीसा आदि जैसे अविकसित राज्यों में विनियोजन की दर क्या है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : १५ राज्य हैं। हम अब राज्यों में जा रहे हैं।

†श्री महन्ती : क्या वे सभा पटल पर विवरण की एक प्रति रखेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री के पास विभिन्न राज्यों में विनियोजनों और आनुपातिक प्रतिशतता का कोई विवरण है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी हां, मेरे पास है।

†अध्यक्ष महोदय : उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाये।

†श्री रघुनाथ सिंह : उस में निहित कुल धनराशि विवरण में शामिल होनी चाहिये, न केवल प्रतिशतता ही हो।

†श्री रंगा : क्या सरकार ने कोई हिदायत दी है या ऐसी कोई नीति बनाई है कि सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा, उन औद्योगिक संस्थाओं को, जो उत्पादक माल तैयार करती हैं, या जिन के द्वारा तैयार किये गये माल की जरूरत दूसरे उद्योगों को पड़ती है, वरीयता दी जायगी या उसे यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अखबारों में भी अपनी पूंजी लगायें ?

†अध्यक्ष महोदय : जिन उद्योगों में जीवन बीमा निगम की निधि लगाई जा सकती है क्या उन में अखबार का उद्योग भी है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह प्रश्न उस के बारे में नहीं है। माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वे एक अलग प्रश्न की सूचना दें।

†अध्यक्ष महोदय : वर्तमान प्रश्न केवल प्रादेशिक विनियोजनों के सम्बन्ध में है। यह बात इस प्रश्न के क्षेत्र के बाहर है।

†श्री अजित सिंह सरहदी : प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या विनियोजन उस राज्य से प्राप्त आय के अनुरूप है। इसलिये विवरण में आय और विनियोजन, दोनों का ही उल्लेख होना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने प्रतिशतता दी है।

†श्री अजित सिंह सरहदी : हम प्रत्येक राज्य से आय की प्रतिशतता पूछते हैं। उन्होंने केवल विनियोजन की प्रतिशतता दी है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : किसी राज्य से प्राप्त आय के अनुसार अपने विनियोजन रखना यह वास्तव में जीवन बीमा निगम के लिये व्यावहारिक नहीं है। मैं पहले ही कारण बता चुकी हूं। मैं उन्हें फिर दोहराना नहीं चाहती।

---

†मूल अंग्रेजी में

विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति

+

*६९६. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री पहाड़िया :
श्री आसर : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंदौर डिवीजन के कमिश्नर साथ साथ विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति का कार्य भार भी संभाले हुए हैं ; और

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पर आपत्ति की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं, इन्दौर डिविजन के कमिश्नर अभी उपकुलपति का पद भार नहीं संभाल रहे हैं ।

(ख) आयोग को इस प्रश्न पर विचार करने का कोई अवसर मिला था ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इन्दौर डिविजन में यह कमिश्नर कितने समय तक विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर रहे और क्या विश्वविद्याशय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय की इस कार्यवाहीं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वास्तव में इस विषय में निर्णय राज्य सरकार को करना है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में, मैं पहले से बता चुका हूं कि विवविद्यालय अनुदान आयोग को इस विषय पर चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिला ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : किन परिस्थितियों में एक डिविजन के रेवेन्यू कमिश्नर को विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया ? क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा भारत सरकार ने उन परिस्थितियों के संबंध में जांच की है जिन के कारण इस विश्वविद्यालय में इस तरह की बातें हुई ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह आवश्यक नहीं था क्योंकि यह पूर्णतः राज्य का विषय था । नियुक्ति कुलपति अर्थात् मध्य प्रदेश के राज्य पाल की शक्ति के अधीन हुई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल यह जानना चाहते हैं । जब केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिये अनुदान देती है, क्या वह इस प्रश्न की जांच करना चाहती है कि उपकुलपति के पद पर उन की नियुक्ति के लिये वह योग्य हैं या नहीं ? कल एक सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को उपकुलपति नियुक्त किया जायगा ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सामान्यतया, विश्वविद्यालय की स्वायत्तशासिता बनाये रखने के लिये हम उपकुलपति के पद पर किसी सरकारी कर्मचारी की, जबकि वह सरकार में किसी पद पर हो, नियुक्ति का समर्थन नहीं करते । इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में यही हमारी सामान्य नीति है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पर आपत्ति की है या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं ने बताया कि नहीं ।

†एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

†अध्यक्ष महोदय : वह एक अनुपूरक प्रश्न है । श्री हरवानी ।

†श्री अंसार हरवानी : क्या भविष्य में यह प्रथा होगी कि जिलाधीश कालेजों के प्रिन्सिपलों के पदों पर काम करेंगे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह अच्छी प्रथा नहीं है और हम इसे बढ़ावा नहीं देना चाहते ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या माननीय मंत्री ने उज्जैन के अपने दौरे में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की इस बात के लिये कड़ी निन्दा की कि उन्हों ने प्रादेशिक आयुक्त को उपकुलपति नियुक्त किया, और क्या उन्हें सलाह दी कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये और यथाशीघ्र एक नियमित उपकुलपति नियुक्त किया जाये ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : वह यह चाहें कि मैं सभा को बताऊं कि मेरे और वहां के शिक्षा मंत्री के बीच क्या बातचीत हुई ।

†एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : श्री रामकृष्ण गुप्त :

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या यह सच है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी पंजाब लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह एक अलग सवाल है । यह विक्रम विश्वविद्यालय के संबंध में उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : किन्तु सिद्धान्त एक ही है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पंजाब के बारे में कुछ जानते हैं क्योंकि वह वहां के हैं । वह एक दूसरा प्रश्न क्यों नहीं रखते ?

†श्री रामकृष्ण गुप्त : मैं वैसा ही करूंगा ।

†श्री आसर : क्या ऐसी प्रक्रिया है कि राज्य सरकार को उपकुलपति की नियुक्ति के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहले अनुमति लेनी पड़ती है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नहीं पूछती । उसे आयोग से पूछने की कोई जरूरत नहीं होती ।

†श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या यह सही है कि उस समय उस यूनिवर्स्टी की हालत ऐसी थी कि उस पद को सम्भालने के लिये कोई तैयार नहीं था और ऐसी हालत में कमिश्नर को वह सौंपा गया था ?

डा० का० ला० श्रीमाली : हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात का उत्पादन

†*६९७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के उत्पादन की योजना बनाने तथा उसे सीधे सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध करने में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है; और

(ख) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक से कितने इस्पात को मांग की गई है जिसकी पूर्ति एक वर्ष से अधिक समय से नहीं की जा सकी है तथा क्यों नहीं की जा सकी है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) उत्पादकों के लिए व्यादेश लोहा और इस्पात नियंत्रक उत्पादकों की उत्पादन क्षमता, उत्पादित वस्तुओं के प्रकार, और उनके पास पड़े हुए शेष आर्डरों की संख्या पर विचार करने के बाद तैयार करता है । १ अप्रैल, १९६० से सरकारी विभाग और स्थानीय निकाय सीधे लोहा और इस्पात नियंत्रक को, बिना किसी कोटा प्रमाणपत्रों के, अपनी मांग भेज सकते हैं और इसी तरह नियंत्रित स्टाक होल्डरों से आर्डर ले सकते हैं । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, अपनी कोई मांग पेश करने से पहले, अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं की तरह कोटा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी है ।

(ख) १ अप्रैल, १९६० को उत्पादकों के पास, जिन में री-रोलर्स भी शामिल हैं, लगभग ९.४ लाख टन के आदेश पड़े हुए हैं । यह करीब छः महीने का उत्पादन है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जो अधिकारी आयोजन करते हैं और जो कार्यान्वित करते हैं उनमें समन्वय किस प्रकार किया जाता है ? वह कौनसा अभिकरण है जो इस बात की ओर ध्यान देता है कि आयोजना के अनुसार ही कार्यान्विति हो ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : आयोजन का समन्वय लोहा और इस्पात नियंत्रक करता है । जो कुछ आयोजित किया जाता है उसे वास्तविक संयंत्रों को चाहे वह एकीकृत इस्पात संयंत्र हो अथवा री-रोलर हो, कार्यान्वित करना होता है । फिर, प्रथा के अनुसार उत्पादन के विवरण लोहा और नियंत्रक के कार्यालय को भेज दिये जाते हैं । इस प्रकार लोहा और नियंत्रक कार्यालय समन्वय की ओर, अर्थात् इस बात की ओर कि कार्यान्विति आयोजन के अनुसार हो, ध्यान देता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मंत्रालय स्वतः क्या निरीक्षण करता है ? क्या इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध है कि कार्य योजना के अनुसार हो रहा है और माल नियमित रूप से भेजा जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक मंत्रालय का सम्बन्ध है, वह लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्य में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता क्योंकि लोहा और इस्पात नियंत्रक के पद पर एक वरिष्ठ अधिकारी रखने से, समन्वय और परिणाम उसका उत्तरदायित्व है । यदि उत्पादक या लोहा और इस्पात नियंत्रक मुख्य कार्यालय को जानकारी भेजने में ही काफी समय ले लेते हैं तो उससे प्रगति की रफ्तार बढ़ने की बजाय वह शायद कम ही हो सकती है ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†श्री पलनियाण्डी : इन इस्पात नियंत्रकों और आयोजकों के रखने के बाद भी दक्षिणी राज्यों में इस्पात और कच्चे लोहे के संभरण में अत्यधिक विलम्ब है जिससे वहां पर उद्योग बन्द हो रहे हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि यह स्थिति ठीक है।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : इस्पात के उत्पादन की योजना के बारे में, क्या मैं जान सकता हूं कि यह कैसी योजना है कि जब तीसरी धमन भट्टी उत्पादन के लिये तैयार होगी, तो कच्चे माल की कमी के कारण इसमें उत्पादन आरम्भ नहीं हो सकता ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : वह एक बिल्कुल भिन्न चीज है। यह तो नियंत्रकों के संगठन तरीके के बारे में है जो कि वे आयोजन करके यह देखते हैं कि कुल में से कौन सी श्रेणी उपलब्ध है। यही एक प्रश्न है कि किसी एक संयंत्र मे एक विशेष यूनिट में उत्पादन आरम्भ क्यों नहीं होता। मैं उसका उत्तर दूंगा परन्तु इस प्रश्न के आधीन नहीं। इस में कठिनाइयां हो सकती हैं जिनके बारे में, यदि एक पृथक प्रश्न पूछा गया, तो मैं निश्चय ही जानकारी एकत्र करूंगा।

†श्री च० द० पांडे : क्या सरकार इस बात को ध्यान में न रख कर कि अमुक परियोजना सरकारी क्षेत्र में है या गैर-सरकारी क्षेत्र में है, प्रत्येक परियोजना के गुण के आधार पर विभिन्न सेक्टरों को इस्पात का आवंटन करने के बारे में विचार करेगी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो एक सुझाव है और अच्छा सुझाव है।

†श्री रघुनाथ सिंह : तीनों इस्पात संयत्रों में द्वितीय योजना का उत्पादन लक्ष्य कब पूरा हो जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : यह इस्पात की योजना और उत्पादन के बारे में है।

†श्री रघुनाथ सिंह : मैं उत्पादन के बारे में पूछ रहा हूं। उनमें उत्पादन लक्ष्य के अनुसार कब होने लगेगा ? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है परन्तु इसमें सन्देह है कि यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है। इस बात की ओर ध्यान न देते हुए और क्योंकि यह प्रश्न सार्वजनिक रुचि का है मैं इतना बता देता हूं कि द्वितीय योजना की अवधि समाप्त होने तक तीनों सरकारी क्षेत्रीय इस्पात संयंत्रों के सब विभिन्न यूनिटों में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। प्रारम्भ में इस में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं और उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार नहीं हो सकता है।

†श्री रघुनाथ सिंह : मेरा प्रश्न है कि जहां तक तीनों इस्पात संयंत्रों मे इस्पात के उत्पादन का सम्बन्ध है, द्वितीय योजना में उनमें लक्ष्य के अनुसार उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा।

†सरदार स्वर्ण सिंह : सामान्यतः अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन करने में किसी भी इस्पात संयंत्र को २ से ३ वर्ष तक लगते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि द्वितीय योजना में निर्धारित लक्ष्य पर कब तक पहुंचा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : द्वितीय योजना काल में लक्ष्य है तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना जिनकी कुछ अधिष्ठापित क्षमता होगी। जहां तक इस्पात संयंत्रों के विभिन्न यूनिटों के चालू होने का सम्बन्ध है, वर्ष की समाप्ति से पहले वे चालू हो जायेंगे। अतः उस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है लक्ष्य की प्राप्ति हो गयी है। वास्तविक रूप से उत्पादन के बारे में विश्व के किसी भी भाग में किसी भी इस्पात संयंत्र को अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन करने में लगभग २ वर्ष लगते हैं। प्राथमिक अवस्था में उसमें कुछ कमी स्वाभाविक है। जहां तक आने वाले महीनों में कमी की मात्रा का सम्बन्ध है, कुछ नहीं कहा जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

†**श्री रंगा** : जो कुछ आप ने कहा है क्या उसका कोई मतलब निकाल सकता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सभवतः स्वतंत्र दल को छोड़ कर सब।

†**श्री रंगा** : ऐसा हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सदन, नई दिल्ली

†*६९८. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री २४ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सदन की वृहद् योजना तैयार हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का व्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान तथा सिक्किम में तांबा

†*६९९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में किये गये अध्ययन से यह पता चला है कि राजस्थान और सिक्किम में बढ़िया किस्म का तांबा आर्थिक लाभ की दृष्टि से निकाला जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : तांबा धातु के उत्पादन के लिये तांबा अयस्क को सिक्किम और खेतरी के भुंग निक्षेप और राजस्थान के दरीबो निक्षेपों में निकाला जा सकता है।

पंजाब की सीमा पर तस्कर व्यापार

७००. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पंजाब सीमा पर तस्कर व्यापार बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जहां तक सरकार को पता है, उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मजगांव गोदी, बम्बई

†*७००. { **श्री आसर :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री परूलकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि सरकार ने मजगांव गोदी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर;

(ग) क्या इस गोदी में नौसेना के जहाज बनाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के जहाज बनाये जायेंगे;

(ङ) क्या मजगांव गोदी के विस्तार की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि इसके लेने के बारे में शर्तों को बताने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इस बारे में विक्रेता की सहमति लेना आवश्यक है क्योंकि इस सौदे में कुछ दायित्व है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां ।

(घ) इस समय ध्वंसक प्रकार के जहाज बनाने का विचार है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) इन पर अभी विचार हो रहा है ।

कोयला धोने के कारखाने

†*७०२. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भोजूडीह और पाथरडीह में कोयला धोने के दो कारखाने स्थापित करने में इस बीच क्या और प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भोजूडीह कोयला धोने का कारखाना : भोजूडीह में कोयला धोने का कारखाने लगाने और उपकरणों के सम्भरण के लिये १.८ करोड़ रुपये का ठेका तै किया गया है जिसमें लगभग १ करोड़ रुपये के विदेशी पकरण होंगे । इसके अतिरिक्त एक मार्शलिंग यार्ड और एक बस्ती पर व्यय होगा ।

कारखाने के लिये अपेक्षित भूमि का ७५ प्रतिशत भाग ले लिया गया है । अस्थायी तौर पर इमारतें बना दी गयी हैं । कारखाने की जगह के पास रेलवे लाइन का कार्य रेलव को सौंप दिया गया है और वह प्रगति पर है । जल संभरण योजना के सम्बन्ध में कुओं का निर्माण प्रगति पर है । कारखाने तक बिजली लाने का कार्य पश्चिमी बंगाल विद्युत् बोर्ड को सौंपा गया है । यह आशा की जाती है कि १९६२ के मध्य तक कारखाने में पूर्ण रूप से काम होने लगेगा ।

पाथरडीह कोयला धोने का कारखाना

कारखाने के निर्माण के लिये टेन्डरों को २-७-१९६० को खोला गया था । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड जांच उनकी जांच की जा रही है ।

कारखाने के लिये प्राप्त की जाने वाली भूमि के क्षेत्र के बारे में तै कर लिया गया है और रेलवे द्वारा अपेक्षित भूमि के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं । बस्ती के लिये नक्शे और प्राक्कलन तैयार हैं । जल सम्भरण योजना और कारखाने और बस्ती तक उपागमन सड़कों पर भी कार्य प्रगति पर है ।

प्रतिरक्षा संगठन के असैनिक कर्मचारियों के लिये सैनिक शिक्षा

†*७०३. **श्री केशव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संगठन से सम्बद्ध प्रत्येक असैनिक कर्मचारी को सैनिक शिक्षा देने की कोई योजना आरम्भ की जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

(ख) प्रतिरक्षा संगठनों में प्रत्येक असैनिक कर्मचारी को सैनिकप्रशिक्षण देने की एक विशेष योजना की आवश्यकता नहीं समझी गयी। सरकारी कार्य की अ पावश्यकता को देखते हुए, सहायक सेना यूनिटों अथवा लोक सहायक सेना शिविरों में ऐच्छिक रूप से प्रवेश के लिये इन कर्मचारियों को अन्य असैनिक सरकारी कर्मचारियों की तरह आज्ञा दी जाती है।

जाली नोट

†*७०४. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आसर :
श्री पांगरकर :
श्री तंगामणि :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी संख्या में जाली नोट चालू हैं;

(ख) क्या यह मालूम करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं कि वे नोट कितने कितने के हैं तथा कुल कितने मूल्य के जाली नोट चालू हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम हुआ है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में बनाये जाने वाले जाली नोटों के अलावा, इन बुरे कामों में में लगे हुए गिरोह बाहर से भी इस प्रकार के जाली नोट लाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई हो तो उसका व्यौरा क्या है और इस अपराध को खत्म करने में कितनी सफलता मिली है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग). चालू जाली नोटों की संख्या, वे नोट कितने कितने हैं और उनका कुल मूल्य है---इस बारे में पता लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि इनका तभी पता लगता है जब वे पकड़े जाते हैं। इस बात को सोचने का कोई कारण नहीं है कि इन चालू नोटों की संख्या किसी प्रकार महत्वपूर्ण है।

(घ) जी, हां। पकड़े गये १०० रुपये वाले कुछ जाली नोटों से पता चलता है कि वे बाहर से आयात किये गये हैं।

(ङ) जाली नोटों के आयात और चलन में कमी करने के लिये सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही में कुछ ये हैं: फारस की खाड़ी क्षेत्र में विशेष प्रकार के नोट चलाना, प्रति व्यक्ति ७५ रुपये से अधिक की भारतीय मुद्रा के आयात पर प्रतिबन्ध, जाली नोटों का पता लगाने में सीमा-शुल्क व पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण और जाली नोटों के सब मामलों में पुलिस द्वारा क्रमबद्ध जांच पड़ताल। इन उपायों से १०० रुपये वाले जाली नोटों के चोरी से लाने में पर्याप्त कमी हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रामाणिक राष्ट्रीय मानचित्रावली[1]

†*७०५. **श्री कालिका सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रामाणिक राष्ट्रीय मानचित्रावली के प्रकाशन के बारे में विस्तार में योजना क्या है;

(ख) क्या मानचित्रावली के प्रकाशन कार्य में वैदेशिक कार्य-मन्त्रालय भी उनके मंत्रालय को सहयोग दे रहा है अथवा उसकी सहायता कर रहा है ;

(ग) क्या मानचित्रावली में तिब्बत भारत के उत्तर में एक देश के रूप में दिखाया जायेगा; **और**

(घ) विभिन्न देशों को तथा उनकी सीमाओं को ठीक ठीक दिखाने के लिये किन स्रोतों पर विश्वास किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९३**]

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) भारतीय और विदेशी नक्शों का सर्वेक्षण ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये कोचिंग क्लासें

†*७०६. { **श्री वै० च० मलिक :**
श्री स० र० अरुमगम् :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७३ के **उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये कोचिंग क्लासें चालू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार का अनुदान स्वीकार कर लिया है; **और**

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं तथा अन्य विश्वविद्यालयों से **क्या** उत्तर प्राप्त हुए हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). जी, हां । इलाहाबाद विश्वविद्यालय । सितम्बर, १९५९ में सब राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह कहा गया था कि वे अपने अपने राज्यों में विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के

†मूल अंग्रेजी में

[1] Standard National Atlas.

विद्यार्थियों के लिये परीक्षा से पूर्व की शिक्षा की व्यवस्था करने की योजना अपनाने के लिये उनकी इच्छा के बारे में पता लगायें। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों का सार है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६४**]

विधि मंत्रियों का सम्मेलन

†*७०७. **श्री हेम राज :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० गं० देव :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री आचार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री महन्ती :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि मंत्रियों का जो सम्मेलन श्रीनगर में हुआ था, उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई तथा क्या क्या सिफारिशें की गईं ;

(ख) कौन कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं ; और

(ग) क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) जून, १९६० में श्रीनगर में हुए विधि मंत्री सम्मेलन में न्यायिक प्रशासन के सुधार सम्बन्धी विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशों पर विचार किया गया। सम्मेलन की कार्यावलि से यह स्पष्ट है कि २ से १७ तक मद विधि आयोग की सिफारिशों के बारे में है और मद १ में उप-मद (४), (५), (६) और (८) को छोड़ कर सब उप-मदें आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। सम्मेलन में कार्यावलि की सब मदों पर विचार किया गया। सम्मेलन में जो सिफारिशें की गयीं, वे निष्कर्ष के सार में सम्मिलित हैं।

(ख) सम्मेलन में निकले निष्कर्षों की कार्यान्विति पर विचार किया जा रहा है।

(ग) कार्यावलि की एक प्रति और प्रत्येक मद पर सम्मेलन में निकले निष्कर्षों का सार सभा पटल पर रखे जाते हैं [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५**]

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ राज्य-क्षेत्रों में इंजीनियरी तथा प्रविधिक कर्मचारी

†*७०८. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों में प्रविधिक कर्मचारियों की सामान्य कमी है;

(ख) क्या सरकार का संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये इंजीनियरी तथा प्रविधिक कर्मचारियों का एक सम्मिलित "पूल" बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (का) ज्य-क्षेत्रों ने समय समय पर प्रविधिक कर्मचारियों की कमी के बारे में बताया है ।

(ख) और (ग) संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये इंजीनियरी और प्रविधिक कर्मचारियों का एक सम्मिलित 'पूल' बनाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, संघ राज्य-क्षेत्रों के चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य विभागों में कुछ गजेटेड पदों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा पदालि में शामिल करने के लिये पग उठाये गये हैं । इसी प्रकार राज्य-क्षेत्रों में गजेटेड इंजीनियरी पदों को केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाओं और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की पदालि में मिलाने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में १०० ओवरसियरों का एक पूल है जिससे तत्कालीन आवश्यकता पूरी करने के लिये संघ राज्य-क्षेत्रों को पदाधिकारी भेजे जाते हैं ।

केरल की सरकारी सेवाओं का एकीकरण

†*७०९. **श्री वें० ईयाचरण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत केरल राज्य की सरकारी सेवाओं के एकीकरण की अपीलों की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी समिति के कुछ सदस्य अभी हाल ही में बदल दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मद्रास-सेवा से लिये गये कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि यह परिवर्तन उनके हितों के लिये हानिकारक है ; और

(घ) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने इन व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिये कोई आदेश जारी किये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** प: (क) राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप केरल राज्य के गैर-गज़ेटेड कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निपटारे में केन्द्रीय रसराक की सहायता करने के लिये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन बनायी गयी समिति की सदस्यता में मई, १९६० से परिवर्तन किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह परिवर्तन केरल सरकार की प्रार्थना पर की गयी जिनकी यह इच्छा थी कि उनके मुख्य सचिव, श्री ए० जी० मेनन, को समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधि रखा जाये। केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि को भी केरल सरकार की प्रार्थना पर बदलना पड़ा क्योंकि उनका यह विचार था कि यह अच्छा होगा यदि वह प्रतिनिधि राज्य परामर्शदाता समिति के पर्यालोचन से सम्बद्ध न हो क्योंकि वह गृह-कार्य मंत्रालय में भी पदाधिकारी था जिनका काम राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप सेवाओं के एकीकरण के मामले के बारे में कार्यवाही करना था।

(ग) मद्रास से आवंटित कर्मचारियों से लगभग १५० अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जब तक समिति के एक सदस्य को मद्रास क्षेत्र की सेवा की दशाओं के बारे में जानकारी न हो, उनके अभ्यावेदन पर समुचित रूप से विचार नहीं किया जा सकता।

(घ) आन्ध्र प्रदेश पदालि के एक वरिष्ठ आई० सी० एस० पदाधिकारी को हाल ही में समिति का एक सदस्य नियुक्त किया गया है जिनको भूतपूर्व मद्रास राज्य में सेवा की दशाओं का ज्ञान है और जिन्होंने मालाबार क्षेत्र में सेवायें की हैं।

कानपुर मिल मालिकों से धन की वसूली

†*७१०. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **वित्त** मंत्री २४ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ फरवरी, १९६० से ३१ जुलाई, १९६० तक की अवधि में कानपुर के मिल मालिकों से कोई और धन वसूल किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना धन वसूल किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) जी, हां।

(ख) बकाया मांग को १०९ लाख रुपये से कम कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले

*७११. { **श्री हेम राज :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मास पूर्व उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी, चमौली और पिथौरागढ़ नाम के जो तीन नये सीमावर्ती जिले बनाये गये थे उनके विकास के लिये कोई विशेष योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विकास योजना पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के कार्यान्वय के लिये कितनी अर्थिक सहायता मांगी है और भारत सरकार ने कितना धन देना मंजूर किया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस योजना के उचित और शीघ्रताशीघ्र कार्यान्वय के लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : दो विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिये हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९६]**

(घ) प्रत्येक नया जिला एक डिप्टी कमिश्नर जो कि उस क्षेत्र का विकास कमिश्नर भी होगा, के अधीन है। वह अपने क्षेत्र के सारे विकास सम्बन्धी विभागों की देखभाल करेगा और उसको इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक सारे अधिकार प्राप्त होंगे। सहायक कमिश्नर, जोकि जिले के उप मण्डलों के अधिकारी हैं उसकी सहायता करते हैं। जिन मामलों पर राज्य सरकार से परामर्श की आवश्यकता होगी उसके बारे में वह मुख्य सचिव से सीधा पत्र व्यवहार करेगा। अभिप्राय यह है कि राज्य सरकार तथा जिला अधिकारी के बीच कोई मध्यस्थाता नहीं होनी चाहिए ताकि मामल शीघ्रता से तथा योग्यता से निपटाये जा सकें।

भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये प्राप्त की गई भूमि

†*७१२. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये भूमि प्राप्त करने के कारण कई व्यक्ति विस्थापित हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं तथा उनसे कुल कितने एकड़ भूमि ली गई थी ;

(ग) इन विस्थापित व्यक्तियों को उसके बदले में क्या रोजगार दिया गया है अथवा देने का विचार है ; और

(घ) कितने व्यक्तियों को उसके बदले में रोजगार दिया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार वर्ण सिंह) :**(क) से (घ). भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये भूमि प्राप्त करने के कारण कुल ३,३५७ परिवार विस्थापित हुए। उनसे कुल १८२८३.१५ एकड़ जमीन ली गयी। उन सब विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्हें काम के योग्य पाया गया, भिलाई इस्पात संयंत्र में रोजगार दिया गया। कुछ को इस्पात बस्ती के अन्दर दुकानें दी गयी हैं। लगभग सभी निष्क्रान्त व्यक्ति कृषक हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें पुनर्वासित करने का दायित्व ले लिया है। पुनर्वासित किये गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

सनिकों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण

†*७१३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैनिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ; और

(ग) यह कब आरम्भ की जायेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं परन्तु उनकी सेवाओं के दौरान जो इन व्यक्तियों को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है उससे उन्हें सेना से छुटकारा मिलने पर असैनिक जीवन में उचित रोजगार मिलने में सहायता मिलती है यद्यपि यह शिक्षा और प्रशिक्षण उन्हें इसलिये दिया जाता है कि वे सेना में अपना कार्य सुचारु ढंग से करें। तथापि, भूतपूर्व सैनिकों को कुछ व्यावसायिक और प्रविधिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे असैनिक जीवन में लाभदायक रोजगार कर सकें।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पाकिस्तान में भारतीय सहकारी समितियों का जमा-धन

*७१४. **श्री पहाड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के विभाजन के समय पाकिस्तान में सहकारी समितियों के जमा-धन के रूप में जो ५२ लाख रुपये की राशि छूट गई थी क्या उसे पश्चिमी पाकिस्तान सरकार से वसूल किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या उक्त राशि का ब्याज भी मांगा जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो ब्याज की दर क्या होगी ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले में पाकिस्तान सरकार से बातचीत की जा रही है।

(ग) और (घ). पाकिस्तान सरकार से कहा गया है कि चूंकि रुपये की अदायगी में देर हुई है इसलिए जितनी देर हुई है उतने समय का ब्याज भी अदा किया जाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार का जवाब मिलने पर ब्याज की दर तय की जायेगी।

जीवन बीमा निगम

†*७१५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ फरवरी, १९६० को वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन के बाद से जीवन बीमा निगम के कितने पदाधिकारियों की पदोन्नति की गई है और यह पदोन्नति किस पदालि से किस पदालि में की गई है ;

(ख) कितने पदाधिकारी वरिष्ठता सूचियों में अपने साथियों से ऊपर पहुंच गये हैं ;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम को विभिन्न तालिकाओं में पदाधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता के विरुद्ध कोई अपील प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितनी अपीलें सरका के पास भेज दी गई हैं तथा सरकार ने अन्तिम रूप से कितनी अपीलें तय कर दी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख).

पदोन्नत किये गये व्यक्ति			उन पदाधिकारियों की संख्या जो वरिष्ठता में अपने साथियों से ऊपर पहुंच गये हैं
से	तक	संख्या	
	१		२
डिप्टी ज़ोनल मैनेजर/सीनियर डिवीज़नल मैनेजर	. ज़ोनल मैनेजर . .	१	शून्य
डिवीजनल मैनेजर	. डिप्टी डिवीज़नल मैनेजर/ सीनियर डिवीज़नल मैनेजर	१	शून्य
असिस्टेंट डिवीज़नल मैनेजर	. डिवीज़नल मैनेजर .	५	५

(ग) जी, हां।

(घ) जी, कोई नहीं क्योंकि उन्हें सरकार के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सोवियत रूस में प्राच्य सम्मेलन

*७१६. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस में होने वाले प्राच्य सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत सरकार कितने प्रतिनिधि भेज रही है; और

(ख) प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) ९ अगस्त से १७ अगस्त, १९६० तक मास्को में हुए पच्चीसवें अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्यवेत्ता सम्मेलन में तेरह प्रतिनिधि भेजे गये थे ।

(ख) १. डा० सुनीति कुमार चटर्जी, नेता ।
२. सिक्किम के महाराजकुमार
३. श्री ए० घोष
४. डा० एम० निज़ामुद्दीन
५. डा० के० चट्टोपाध्याय
६. श्री ए० ए० सुरूर
७. श्री गोपीनाथ शास्त्री
८. डा० ए० सी० चेट्टियार
९. श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी
१०. प्रो० आर० एन० दण्डेकर

†मूल अंग्रेज़ी में

११. डा० कालिदास नाग
१२. श्रीमती कमला रत्नाम
१३. प्रो० इन्दु शेखर

त्रिपुरा में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

†*७१७ { **श्री दशरथ देव :**
　　　 { **श्री हाल्दर :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के अधीन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

†*७१८. **श्री बा० चं० कामले :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)　(१) सशस्त्र सेना के पदाधिकारियों,
　　　(२) सशस्त्र सेना के गैर-पदाधिकारियों,

के बच्चों के लिये शिक्षा के विभिन्न स्तरों में क्या क्या शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं; और

(ख) ये सुविधायें किस आधार पर दी जाती हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). जानकारी सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रतिरक्षा सेवाओं में पदाधिकारियों और अन्य रैंकों के बच्चों को वे सब रियायतें और सुविधायें दी जाती हैं जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य जनता को दी जाती हैं । इसके अतिरिक्त, चार प्रकार के स्कूलों में, जैसे यूनिट स्कूल, के० जी० स्कूल, लारेंस स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलीटरी कालिज (जिसका भूतपूर्व नाम सैनिक स्कूल था), प्रतिरक्षा सेवा के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये कुछ विशेष रियायतें और सुविधायें दी जाती हैं । इन स्कूलों और उपलब्ध रियायतों और सुविधाओं का व्यौरा ७ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न के उत्तर में दिये गये आश्वासन की कार्यान्विति में १६ नवम्बर, १९५९ को संसदीय-कार्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है । उस विवरण में तीनों सेवाओं के पदाधिकारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये अंशदायी योजना का भी व्यौरा है जिसे १ अक्तूबर, १९५९ से कार्यान्वित किया गया है । पदाधिकारियों के अतिरिक्त, कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये एक अंशदायी योजना पर सरकार को भेजने से पूर्व सेवाओं के सदर मुकाम में विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

मनीपुर में जनता की सरकार

†*७१६. श्री ब्रज राज सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री प्र० के० देव :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम बरुआ :
श्री तंगामणि :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में असेम्बली मांग समन्वय समिति द्वारा उत्तरदायी सरकार के लिये आरम्भ किये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में आन्दोलन आरम्भ होने के बाद से आज तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति आम कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और कितने निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत;

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है तथा वहां सत्याग्रहियों को सब से कड़ी सज़ा क्या दी गई है;

(घ) कितने व्यक्ति अब भी जेल में हैं;

(ङ) क्या अभी आन्दोलन जारी है; और यदि हां, तो उसका रूप क्या है; और

(च) क्या सरकार पृथक नागालैंड बनाने के सरकार के निर्णय को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पुनर्विचार करने तथा उत्तरदायी सरकार के लिये मनीपुर के लोगों की मांग को स्वीकार करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) कुल ४६६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) ८ व्यक्तियों को छोड़ कर जिन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया है, बाकी सब अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन निकाले गये आदेश के उल्लंघन में गिरफ्तार किये गये थे।

(ग) २१६ व्यक्तियों को सजा दी गयी है। अधिकतम सजा ६ मास के कठोर कारावास और ५० पये जुर्माने की और जुर्माना न देने पर एक मास के कठोर कारावास की दी गई है।

(घ) १३४।

(ङ) जुलाई, १६६० के अन्तिम सप्ताह से प्रदर्शनकारियों की कार्यवाहियां लगभग रुक गयी हैं।

(च) नागालैंड के बारे में निश्चय से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है।

बुनियादी शिक्षा साहित्य समिति

*७२०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरस्कार पाने वाली पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में बुनियादी शिक्षा साहित्य समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो ये पुस्तकें किन-किन भाषाओं में प्रकाशित की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अभी तक नहीं। पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम द्वारा धन का विनियोजन

†*७२१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वित्त** मंत्री ३ मार्च, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम को यह सलाह देने की संभावना पर विचार किया है कि वह किसी ऐसे उपक्रम में अपना धन न लगाये जिसका राजनैतिक दलों से सीधा सम्बन्ध हो; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). इस मामले में सरकार के विचार बता दिये गये हैं जो कि जीवन बीमा निगम धन का विनियोजन करते समय ध्यान में रखता है।

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६

†*७२२. **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ मार्च, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०२ के उत्तर के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के सुझावों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख). सुझावों पर अभी राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

कोणार्क तथा रत्नगिरि में पुरातत्वीय संग्रहालय

†*७२३. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री बैं० च० मलिक : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोणार्क तथा रत्नगिरि में पुरातत्वीय संग्रहालय के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इन दोनों संग्रहालयों के प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख). **कोणार्क संग्रहालय :** प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

रत्नगिरि संग्रहालय : प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण

†*७२४. { **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पांगरकर :
श्री सूपकार :
श्री कालिका सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री विभूति मिश्र :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री आसर :
श्री हेम राज :
श्री हेम बरुआ :
डा० क० ब० मेनन : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में भारत-पाकिस्तान तथा भारत-चीन सीमाओं पर कितने विमानों ने भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण किया ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : भारतीय आकाश सीमा का १८ बार अतिक्रमण हुआ इन में से एक युद्ध-विराम रेखा के बारे में है और अन्य चीन गणराज्य के साथ सीमा के बारे में ।

(ख) युद्ध विराम रेखा के अतिक्रमण का मामला सेना प्राधिकारियों द्वारा जम्मू तथा काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संगठन दल के साथ उठाया गया है । बाकी के बारे में, चीन सरकार को विरोध-पत्र भेज दिया गया है ।

पदाधिकारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति

†*७२५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को मिला कर कितने पदाधिकारियों को इस वर्ष अदक्षता के कारण अनिवार्य रूप से अवकाश ग्रहण करना पड़ा ;

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को दण्ड स्वरूप सेवा निवृत्त किया गया है ; और

(ग) इस विषय में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अदक्षता के कारण अनिवार्य रूप से अवकाश ग्रहण के हर मामले में दंड दिया जाता है।

(ग) प्रक्रिया केन्द्रीय असैनिक सेवाओं और अन्य सेवाओं के लिये तदनुरूप नियमों के वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमों में दी गई है ।

हरीके नामक गांव में बम विस्फोट

†*७२६. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर के निकट हरीके नामक गांव में बम विस्फोट के सम्बन्ध में, जिस के फलस्वरूप एक लड़का मारा गया था तथा अन्य बुरी तरह से घायल हुआ था, की जाने वाली जांच में क्या कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या बातें पता लगी हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी, हां । जांच न्यायालय का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में जांच न्यायालय की कार्यवाही का सार और उपपत्तियां दी गई हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-स्टेनवाक परियोजना

†*७२७. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा गैस की खोज में असफल होने के कारण भारत-स्टेनवाक परियोजना को बन्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस का व्यौरा क्या है और कुल कितनी हानि होने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) जी, हां ।

(ख) व्यौरा तैयार किया जा रहा है और फिर हानि का अनुमान लगाया जायेगा ।

उच्च शिखर रक्षक उपकरण

†*७२८. **श्री केशव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिखरों पर इस्तेमाल के लिये पाला-विरोधी मरहम तथा रक्षक उपकरण को स्थानीय रूप से बनाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख) उच्च शिखरों पर इस्तेमाल के लिये सैनिकों को दिये गये रक्षक उपकरणों में से अधिकांश देश में निर्मित हैं । सेवा में पाला-विरोधी कोई मरहम नहीं बनाई गई है क्योंकि उस के तत्वों का पता नहीं है । उच्च शिखरों पर अत्यधिक ठंड के भय से बचने के लिये कुछ उपचार, जैसे ओष्ठों को फटने से बचाने के लिये 'लिप साल्व' और पैरों को बचाने के लिये 'फुट -पाउडर' निर्धारित किये गये हैं ।

मिस्र के न्यूबियन स्मारक

†*७२९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो न्यूबियन स्मारक उच्च स्तरीय असवान बांध के पानी में डूबने वाले हैं उन्हें बचाने के लिये विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ क्या भारत भी योगदान दे रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : इस बारे में भारत सरकार ने कुछ प्रस्ताव किये हैं ।

दुर्गापुर में कोयला धोने का कारखाना

†*७३०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात परियोजना का कोयला धोने का संयंत्र धुले हुए कोयले के उत्पादन के लिये तैयार है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस ने उत्पादन-कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) कोयला धोने के इस कारखाने का वर्तमान दैनिक उत्पादन क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कोयला धोने वाले कारखाने ने २ अप्रैल, १९६० से कोयला धोना आरम्भ किया है ।

(ग) आवश्यकता के अनुसार ६०० से ९०० टन तक धुला हुआ कोयला ।

भारतीय नौसेना के जहाजों की सद्भाव यात्रा

†*७३१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के जहाज प्रत्येक वर्ष सद्भाव यात्रा पर विदेश जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब और अगली बार कौन से जहाज इस सद्भाव यात्रा पर भेजे जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि बेड़े के ग्रीष्मकालीन परीक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, १९६० के दौरान में भारतीय बेड़े के कुछ जहाज मलाया, सिंगापुर और इंडोनेशिया की सद्भाव यात्रा कर अभी वापस आये हैं, इस समय भारतीय नौसेना के जहाजों को सद्भाव यात्रा पर विदेश भेजने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

"आनन्द बाजार पत्रिका" में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन

†*७३२. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **वित्त** मंत्री १६ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९६० तक जीवन बीमा निगम को आनन्द बाजार पत्रिका लिमिटेड, कलकत्ता से कितना धन प्राप्त हुआ; और

(ख) शेष धन वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) ३० जून, १९६० तक ६,४०,००० रु० ।

(ख) निगम अपने कानूनी परामर्शदाताओं के परामर्श से उचित कार्यवाही कर रहा है ।

अंग्रेजी-हिन्दी का प्रामाणिक शब्दकोष

*७३३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री १६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी, इलाहाबाद ने अंग्रेज़ी-हिन्दी के प्रामाणिक शब्दकोष के संकलन और प्रकाशन में अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) उक्त समिति को यह काम कब सौंपा गया था ;

(ग) इस संस्था को अब तक प्रत्येक वर्ष कितना धन दिया गया ;

(घ) शब्दकोष का संकलन संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ङ) उक्त संस्था को शेष कार्य के लिये और कितना अनुदान देने का विचार है ?

---

† मूल अंग्रेज़ी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ङ).विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सोसाइटी ने सरकार द्वारा स्थापित समन्वय समिति के सुझावों के अनुसार संशोधित कर के अंग्रेज़ी हिन्दी कोष के ए से एम तक के शब्द भेज दिये हैं । एन और ओ के शब्द भी जांच के लिये सोसायटी से आ गये हैं । प्रैस कापी की सामग्री को अन्तिम रूप से जांचने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की गई है । डी और ई के सारे शब्द तथा एफ के अधिकांश शब्द समिति द्वारा जांचे जाने के लिये तैयार हैं । जी और एच के शब्दों पर काम हो रहा है ।

(ख) सितम्बर १९५३ में ।

(ग) १९५३–५४ . .	३०,००० रुपये
१९५४–५५ . .	१५,००० रुपये
१९५५–५६ . . .	३५,००० रुपये
१९५६–५७	२०,००० रुपये

(घ) कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती पर कोष के काम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ङ) सोसाइटी को और अधिक अनुदान देने का प्रश्न परीक्षाधीन है ।

पुरातत्व विभाग का पश्चिमोत्तर सर्कल

†*७३४. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्व विभाग के पश्चिमोत्तर सर्कल के मुख्य कार्यालय को दिल्ली से बाहर किसी स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जायेगा ;

(ख) क्या कार्यालय के लिये स्थान निश्चित कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कहां ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) उपयुक्त स्थान के किराये पर मिलते ही ।

(ख) जी, हां ।

(ग) देहरादून ।

वाई० एम० सी० ए०, लन्दन को अनुदान

*७३५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वाई० एम० सी० ए०, लन्दन को ४ लाख रुपये दिये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त संस्था को निकट भविष्य में इतनी ही राशि और दिये जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशों की अन्य संस्थाओं को भी इस प्रकार धन दिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) वाई० एम० सी० ए०, लन्दन को यह धन किस काम के लिये दिया गया है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) ४ लाख रुपये मंजूर किये गये थे जिसमें से अब तक दो लाख रुपये दिये जा चुके हैं।

(ख) जी, हां। यह रकम कर्ज के रूप में दी जायेगी।

(ग) जी, हां। लन्दन विश्वविद्यालय को लन्दन में पुरुषों के रहने के लिये एक हाल बनाने को ३०,००० पौण्ड दिये गये हैं।

(घ) लन्दन में भारतीय विद्यार्थियों के रहने की जगह बढ़ाने के लिये वाई० एम० सी० ए०, इण्डियन स्टुडेण्ट्स की इमारत में एक एक्सटेंशन ब्लाक बनाने के लिये।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

†*७३६. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० म० देव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इंडिया आफिस लाइब्रेरी के बारे में ब्रिटिश सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या लिखा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :(क) एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) तीनों सम्बन्धित सरकारों के बीच वचनों के अनुसार इस समय पत्र की बातों को बताया नहीं जा सकना।

दिल्ली में अपराध

†*७३७. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री आसर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पुन्नूस :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम गरीब :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री तंगामणि :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री शिव दत्त उपाध्याय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में दिल्ली में अपराधों में वृद्धि के कारणों का पता लगाया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिये कौन से उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). दिल्ली में अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, अपराधों में अधिकतम कमी करने के लिये विशेष उपाय किये गये हैं। एक नियन्त्रण-कक्ष स्थापत किया गया है। पैदल और साइकिलों पर गश्त लगाने के अतिरिक्त चलती फिरती गाड़ियां भी निरन्तर चलती रहती हैं। विशिष्ट कार्यों के लिये विशेष पुलिस दस्ते भी बनाये गये हैं।

बाल साहित्य

*७३८. **श्री मा० ला० द्विवेदी** : : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल साहित्य की पुस्तकों के लिये पुरस्कार देने के लिये क्या तरीका अपनाया गया है; और

(ख) चतुर्थ पुरस्कार प्रतियोगिता के लिये अब तक कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पुरस्कार प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू और सिन्धी की रचनाएं तो सीधी शिक्षा मन्त्रालय में ही स्वीकार की जाती हैं और क्षेत्रीय भाषाओं की रचनाएं सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा। प्रतियोगिता के अन्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक रचना की परीक्षा तीन स्वतन्त्र समीक्षकों की मण्डली द्वारा की जाती है। राज्य सरकारों और साहित्य अकादमी की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा मन्त्रालय ने विभिन्न भाषाओं के लिये अलग अलग समीक्षक मण्डलियां नियुक्त की हैं। सभी भाषाओं की रचनाओं की परीक्षा सामान्यतया दो बारियों में की जाती है--प्राथमिक रूप से और अन्तिम रूप से पर यदि किसी विशिष्ट भाषा की प्रतियोगी रचनाओं की संख्या १५ से कम हो तो एक ही बारी में परीक्षा होती है। समीक्षकों द्वारा सर्वोत्तम मानी जाने वाली पुस्तकें तथा उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट बाल-साहित्य समिति को पेश की जाती है।

(ख) चतुर्थ श्रेणी पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन १९५८-५९ में किया गया जिसमें रचनाओं की संख्या इस प्रकार है :--

१.	असमी	३१
२.	बंगाली	१३१
३.	गुजराती	१०५
४.	हिन्दी	२०८
५.	कन्नड़	२३
६.	काश्मीरी	एक भी नहीं
७.	मलयालम	२७
८.	मराठी	११५

†मूल अंग्रेजी में

९.	उड़िया	९
१०.	पंजाबी	५
११.	सिन्धी	४
१२.	तमिल	२४
१३.	तेलुगू	३२
१४.	उर्दू	१९

सरकारी ठेकों के बारे में विधान

†*७३९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर : }

क्या विधि मंत्री ७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी पक्षों तथा सार्थों के साथ किये गये सरकारी ठेकों के पुनरीक्षण तथा उनके सम्बन्ध में पुनर्वार्ता के लिये अमरीकी पद्धति पर विधान बनाने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : इस प्रस्ताव पर विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों के विचार मांगे गये हैं। कुछ मन्त्रालयों और विभागों से उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं। सब उत्तरों के प्राप्त हो जाने और उनकी जांच हो जाने के बाद निर्णय किया जायेगा।

एक यूरोपीय फर्म से गोला बारूद आदि की खरीद

†*७४०. { **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री वी० चं० शर्मा : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २४ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २९५२ में एक यूरोपीय फर्म से गोला बारूद आदि की खरीद की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समितिका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, नहीं। समिति ने साक्ष्य लेने का काम पुर कर लिया है और अब यह प्रतिवेदन तैयार कर रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा का स्तर

†*७४१. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या गृह-कार्य मंत्री १९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की शिक्षा तथा सामान्य ज्ञान के स्तर में गिरावट को रोकने के लिये संघ लोक सेवा आयोग शिक्षा मन्त्रालय से जो बातचीत कर रहा था, उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

लौह अयस्क

†*७४२. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, राउरकेला तथा भिलाई के इस्पात संयंत्रों में इस्पात, तथा कच्चा लोहा बनाने के लिये कम से कम किस स्तर का लौह अयस्क चाहिये ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न खान मालिकों से ६० प्रतिशत लोहा वाला अयस्क सप्लाई करने का जो ठेका किया था उसके विरुद्ध उन्होंने ४० प्रतिशत लोहा वाला अयस्क ही सप्लाई किया और इन इस्पात संयंत्रों ने उसे स्वीकार कर लिया ; और

(ग) क्या ऐसे सम्भरण कर्ताओं को तथा विश्लेषण करने वाले केमिस्टों को दण्ड देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) धन भट्टियों को सुचारू रूप से चलाने के लिये अधिकतम लोहे वाला अयस्क चाहिये। अतः परियोजना प्रतिवेदनों से केवल लौह-अयस्क की श्रेणी का पता चलता है। राउरकेला के परियोजना प्रतिवेदन से ६२ प्रतिशत लोहे वाले अयस्क का पता चलता है जिसमें सिलिसा अधिकतम १.५ प्रतिशत और एलुमिना अधिकतम २.५ प्रतिशत हो। दुर्गापुर और भिलाई में ६० प्रतिशत लोहे वाला अयस्क काम दे सकता है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, राउरकेला और दुर्गापुर में बढ़िया अयस्क के संभरण का मामला हुआ है। लौह अयस्क में २०—२५ प्रतिशत तक फाईन था जो लम्पी अयस्क के साथ मिला हुआ था।

(ग) ऐसे मामलों में जहां सम्भरण ठेके से निम्न स्तर का किया गया है, मामले को संभरण-कर्ताओं के साथ उठाया गया है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लोहा तथा इस्पात

†*७४३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि लघु उद्योग बोर्ड ने लोहे तथा इस्पात की कम सप्लाई के बारे में शिकायत की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गत तीन वर्षों में लघु उद्योगों को कुल कितना लोहा तथा इस्पात आवंटित किया गया; और

(ग) जितनी मात्रा आवंटित की गई, उस में से वस्तुतः कितनी दी गई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आवंटन और संभरण निम्न प्रकार है :

	(टनों में)	
	आवंटन	संभरण
१९५७—५८ .	५२,५१०	४२,८२८
१९५८—५९ .	१०७,९५०	४८,०१४
१९५९—६०	२७५,५९९	४२,२६५+

+इन आंकड़ों में केवल कुल राज्यों के लिये पूरे वर्ष का संभरण और बाकी के लिये केवल अक्तूबर, १९५९ तक का संभरण शामिल है ।

इसके अतिरिक्त १-१-५९ से ३१-३-६० तक की अवधि में ८,५०० टन वस्तु-विनिमय और राज-सहायता प्राप्त आयात में से दिया गया हैं ।

धातु मिश्रित तथा औजारी इस्पात संयंत्र परियोजना के बारे में प्रतिवेदन

†*७४४. **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेकराम नेगी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित धातु मिश्रित तथा औजारी इस्पात संयंत्र परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है तथा सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां । प्रतिवेदन अभी प्राप्त हुआ है और उसकी जांच हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल

†*७४५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम राज :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के जरिये देश के अधिक से अधिक युवकों को सैनिक शिक्षा देने के लिये जिन उपायों पर विचार किया जा रहा था, उनकी कार्यान्विति में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : मार्च, १९६० के बाद से निम्नलिखित प्रगति हुई है ।

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल : २२,४५४ और सेनाछात्रों की मंजूरी दी गयी है ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल राइफल्स : जुलई, १९६० के अन्त तक लगभग ६७,००० और कैडेट भरती किये गये हैं । देश भर में यूनिटों से कुल कैडेटों की संख्या के आंकड़े प्रतीक्षित हैं परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि वर्तमान संख्या १ अगस्त, १९६० की संख्या से बहुत अधिक है ।

पदाधिकारी प्रशिक्षण यूनिट (राष्ट्रीय सेनाछात्र दल): अब तक ११६ कैडेट भर्ती किये गये हैं । इन यूनिटों की स्वीकृत संख्या ७५० कैडेटों की है जो कि ३ वर्षों में पूरी की जायेगी ।

सहायक सेनाछात्र दल : वर्ष १९६०—६१ में लगभग १,५०,००० कैडेटों के आयोजित विस्तार के विरुद्ध, जुलाई, १९६० तक लगभग १३,००० कैडेट भर्ती किये गये हैं ।

कुछ राज्यों में प्रगति उतनी नहीं है जितनी अन्यों में परन्तु हाल ही में एक या दो कम प्रगति वाले राज्य में अच्छी तरक्की के चिह्न मिले हैं ।

इथोपिया में भारतवासियों द्वारा विनियोजन

†*७४६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अब तक इथोपिया में भारतवासियों ने गैर-सरकारी तौर से कितना धन लगाया है; और

(ख) क्या यह धन विनियोजन दोनों सरकारों के बीच हुए किसी समझौते के अनुसार किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां । भारत सरकार को मालूम है कि मेसर्ज बिरला ब्रादर्स ने इथोपिया सरकार के सहयोग से इथोपिया में एक सूती कपड़ा मिल लगाई है । फरीदकोट के राजा का भी इथोपिया में एक रुई का फार्म चलाने का प्रस्ताव है ।

(ख) ये गैर-सरकारी उपक्रम हैं । तथापि, आदिस अबाबा में भारतीय राजदूतावास बातचीत, ठेकों को अन्तिम रूप दिये जाने आदि के बारे में, यदि उन से कहा जाये तो, सहायता करता हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम

*७४७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या शिक्षा मंत्री १६ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है किन्तु आर्थिक सहायता के अभाव में वह उसे आरम्भ नहीं कर पा रही है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को आर्थिक सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में विद्यमान माध्यमिक शिक्षा पद्धति में कोई गड़बड़ किये बिना राज्य विश्वविद्यालयों में तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना लागू करने के लिये सहमत थी पर वह यह चाहती थी कि उस पर आने वाले १९२ लाख रुपये के अनुमानित अनावर्त्ती व्यय के लिए केन्द्र शत प्रतिशत सहायता दे । विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन से परामर्श करके भारत सरकार ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और योजना को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया ।

२. बाद में राज्य सरकार ने अपने पहले के अनुमानों में संशोधन किया और चाहा कि बढ़े हुए अनावर्त्ती खर्च ही नहीं अपितु आवर्त्ती खर्च के लिए भी केन्द्रीय सरकार से शत प्रतिशत सहायता मिले । इस प्रकार कुल अनुमानित खर्च ८९१ लाख रुपये आता था । इन संशोधित मांग प्रस्तावों को विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन ने स्वीकार नहीं किया है ।

सोने का पकड़ा जाना

†*७४८. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री साधन गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ जुलाई, १९६० को सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने कलकत्ता पत्तन पर "एस० एस० रूप एवरेटे" नामक जहाज से ५ लाख रुपये का सोना पकड़ा था;

(ख) क्या इसके पूर्व इसी जहाज से कुछ और सोना पकड़ा गया था; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख). १६ अगस्त, १९६० तक एम० वी० "रूथ एवरेटे" जहाज से अथवा जहाज के चालक के पास से २९,९०९ तोला सोना पकड़ा गया है। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें पकड़े गये सोने का ब्यौरा है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९८**]

(ग) कलकत्ता सीमा-शुल्क प्राधिकारी मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुछ चालक गिरफ्तार किये गये हैं। समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा १६७(१२-क) के अधीन जहाज के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

समुद्र सीमा शुल्क नियम के कलक्टरों की भर्ती

†१३६३. **श्री न० म० देब :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वर्तमान समुद्र सीमा शुल्क विभाग के कितने सहायक कलक्टरों में कितने सीधे भर्ती किये गये थे;

(ख) कितने ऐप्रेजरों के ग्रेड से पदोन्नत किये गये थे; और

(ग) कलक्टरों के ग्रेड में पिछले आठ वर्षों से कितने नये पद बनाये गये थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अठारह ।

(ख) बाईस ।

(ग) कलक्टर-ग्रेड २ के तीन पद पिछले आठ वर्षों में पत्तनों के लिये बनाये गये थे।

महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिये जल व्यवस्था

†१३६४. **श्री पांगरकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिये जल व्यवस्था करने के लिये केंद्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत कितने कुंओं की मंजूरी दी गई थी; और

(ख) कितनी राशि मंजूर की गई थी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में जुए के मामले

†१३६५. { श्री पांगरकर :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के पूर्वार्ध में दिल्ली में जूए के अपराध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ख) उन में से अब तक कितनों को दंड मिला है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) १७९२ ।

(ख) १५५८ ।

दिल्ली में लड़कियों की शिक्षा

†१३६६. श्री पांगरकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल से ३० जून, १९६० तक, वर्ष १९५९ की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में, दिल्ली में अविवाहित लड़कियों के भगाये जाने के कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): १ अप्रैल से ३० जून, १९६० के अन्दर एक मामले की रिपोर्ट मिली थी। १९५९ के इसी अवधि के बीच भी एक ऐसा मामला हुआ था। दोनों लड़कियां बरामद हो चुकी हैं ।

तम्बाकू की खेती

†१३६७. श्री पांगरकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा प्रदेश में तम्बाकू की खेती से उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी आय हुई थी?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : चूंकि विशिष्ट क्षेत्र में पैदा हुआ तम्बाकू शुल्क दिये बिना प्रदेश के अन्दर या बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने दिया जाता है और शुल्क लाइसेंस वाले से लिया जाता है जो अन्त में घरेलू उपभोग के लिये इसे साफ करता है, किसी प्रदेश विशेष में पैदा हुए किसी फसल विशेष के तम्बाकू से प्राप्त राजस्व के बिल्कुल सही आंकड़े बताना संभव नहीं है। तथापि १९५९-६० में मराठवाड़ा प्रदेश में पैदा हुए, तम्बाकू से संभावित आय का अनुमान लगभग ४·५० लाख रुपये लगाया गया है ।

सोने का तस्कर व्यापार

†१३६८. श्री पांगरकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के पूर्वार्ध में भारत में कितना सोना चोरी छिपे लाया गया और उस का मूल्य कितना था ; और

(ख) किन सीमाओं से यह तस्कर व्यापार हुआ ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा १९६० के पूर्वार्ध में चोरी छिपे लाते हुए पकड़े गये सोने की मात्रा और मूल्य क्रमशः २१,८२५ तोले तथा २७,८०,६९० रुपये के लगभग था ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) सोना भारत-गोम्रा, भारत-पाकिस्तान, भारत-बर्मा और दियू सीमाओं और नगर में भी विभिन्न समुद्री पत्तनों और हवाई अड्डों पर पकड़ा गया था ।

विद्यार्थियों के लिये कुल विदेशी मुद्रा

†१३६९. श्री सूपकार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० के वर्षों में विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को वास्तव में कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ;

(ख) कुल कितने विद्यार्थियों ने यह मुद्रा ली; और

(ग) क्या वे विद्यार्थी, जो विदेशों में कुछ समय काम करते हैं, और अपने घर रुपया भेजते हैं, उस का कोई हिसाब रखा जाता है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

	१९५७–५८	३२६ लाख रुपये
	१९५८–५९ . . .	३६७ लाख रुपये
	१९५९–६० . . .	४१५ लाख रुपये
(ख)	१९५७	३४६३
	१९५८	३१०७
	१९५९	३४८३

(ग) जो विद्यार्थी विदेशों में कुछ समय का काम करते हैं, उन्हें उन की विदेश में की गई कमाई को काट कर थोड़ी विदेशी मुद्रा दी जाती है । अतः वे घर पर अधिक नहीं भेज सकते । घर में धन भेजने के बारे में विनियम नियंत्रण अभिलेखों में कोई पृथक् हिसाब नहीं रखा जाता ।

आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, लखनऊ

†१३७०. श्री सरजू पांडे : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक लखनऊ के आसफुद्दौला के इमामबाड़ा की मरम्मत के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :

(१)	१९५९–६०	४,३१७ रुपये
(२)	१९६०–६१	४,०८० रुपये

स्त्रियों के लिये पोलीटैक्निक

†१३७१. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्त्रियों के लिये पृथक् पोलीटैक्निक स्थापित करने का फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). लड़कियों के लिये प्रविधिक स्कूल और पोलीटैक्निक खोलने की एक व्यापक योजना, बनाई जा रही है। यह प्रस्ताव है कि प्रविधिक स्कूल १४ वर्ष की आयु की लड़कियों और पोलीटैक्निक १७ वर्ष की आयु की लड़कियों के लिये हों।

पुरातत्व विभाग के सर्कल सुपरिन्टेंडेंट

†१३७२. **श्री नरसिंहन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने अवसरों पर सर्कल सुपरिंटेंडेंट भारत के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के साथ रहे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :

१९५६–५७ . .	९
१९५७–५८ . . .	१३
१९५८–५९ . . .	१५

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अनुदान

†१३७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में होस्टलों के निर्माण के लिये अलीगढ़ विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कितना ऋण या अनुदान दिया गया है ;

(ख) उक्त अवधि में विद्यार्थी सहायता निधि स्थापित करने के लिये उक्त विश्वविद्यालय को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ग) उक्त उद्देश्य के लिये १९६०-६१ में कितना ऋण या अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) वर्तमान होस्टलों में सैनिटरी फिटिंग और जल-संभरण की व्यवस्था करने के लिये १·५० लाख रुपये की राशि दी गई है।

(ख) शून्य।

(ग) १९६०–६१ में विश्वविद्यालय को दी गई या दिये जाने की संभावना की अनुदान राशि इस प्रकार है :—

होस्टलों के निर्माण के लिये .	५,००,००० रुपये
विद्यार्थी सहायता निधि के लिये .	१०,००० रुपये
कुल .	५,१०,००० रुपये

दिल्ली में आनरेरी मजिस्ट्रेट

†१३७४. **श्री कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रथम श्रेणी की शक्तियों वाले आनरेरी मजिस्ट्रेटों (अवैतनिक दंडाधीशों) के क्या नाम हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक कितनी अवधि के लिये आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था ; और

(ग) उन की नियुक्ति की तिथियां क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) तथा (ग).

नाम	नियुक्ति की तिथि
१. श्री उत्तम सिंह	४–८–४७
२. श्री एच० पी० गुप्ता	४–१२–४७
३. श्रीमती जी० एन० सिंह	१२–४–५०
४. श्री गुरबख्श सिंह	१७–८–५३
५. श्री एम० ई० खान	१७–८–५५
६ श्री एच० एस० वेदी	११–११–५५
७. श्री भगवान दास	११–११–५५
८. श्री शाम बिहारी लाल	११–११–५५
९. श्री हरि कृष्ण दास	११–११–५५
१०. श्रीमती कांता जैशी राय	१०–५–५६

(ख) आनरेरी मजिस्ट्रेटों की पहली नियुक्ति उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक चलती है। उस के बाद उन की अवधि का वर्ष के आधार पर प्रति वर्ष नवीकरण होता रहता है।

दिल्ली में कृत्रिम नभो मण्डल (प्लेनेटेरियम)

†१३७५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में उस इमारत बनाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है, जहां कृत्रिम नभोमंडल (प्लेनेटेरियम) जनता द्वारा देखे जाने के लिये स्थापित किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : प्लेनेटेरियम की इमारत पूरी होने वाली है। सर्विस (बिजली, पानी वगैरह) का काम प्रगति पर है और नवंबर १९६० के अन्त तक इस के जनता के लिये खोल दिये जाने की आशा है ।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण

१३७६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री २९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के देशव्यापी प्रशिक्षण की योजना को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति की जा चुकी है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९९]**

नई दिल्ली में बाल भवन

†१३७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री २९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या नई दिल्ली में बाल भवन के निर्माण में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कुछ अधिक प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उस पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) बाल भवन के विभिन्न कामों की अग्रेतर प्रगति नीचे दी जाती है :

१. हौबी रूम, पुस्तकालय तथा प्रशासन कक्ष संबंधी निर्माण कार्य का बड़ा भाग पूरा हो चुका है ।

२. बिना साफ किये गये पानी के संभरण की व्यवस्था करने का प्रबंध पूरा हो चुका है ।

३. चारदीवारी का काम पूरा हो चुका है ।

४. सड़कों का निर्माण अभी प्रगति पर है ।

(ख) जुलाई १९६० के अन्त तक ६,२५,५८२ रुपये ५४ नये पैसे का व्यय हुआ है ।

विश्वविद्यालयों में आयोजना एकक (प्लानिंग यूनिट्स)

†**१३७८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री २९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक आयोजना एकक (प्लानिंग यूनिट) स्थापित करने के विषय में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास अब तक जिन विश्वविद्यालयों से अन्तिम उत्तर आ चुके हैं, उन में से २८ विश्वविद्यालयों ने आयोजना एकक स्थापित कर ली हैं ।

दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय

†**१३७९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य**-मंत्री २९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) सभामण्डप, लिफ्टों आदि को छोड़कर इमारत का पहला क्रम पूर्ण हो चुका है और १८ जून १९६० को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभाग को सौंप दिया गया है ।

(ख) जुलाई, १९६० के अन्त तक ४६,६४,७९९ रुपये ।

पंजाब में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन के लिये छात्रवत्तियां

†**१३८०. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन के लिये उपरांत छात्रवृत्तियों के लिये १९५९-६० में पंजाब सरकार ने कितनी राशि मांगी थी और कितनी मंजूर की गई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन छात्रवृत्तियों के लिये मंजूर अनुदानों का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है; और

(ग) इस योजना से पंजाब में कितने लोगों को लाभ हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पंजाब सरकार द्वारा १६५६–६० में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियों के लिये मांगी गई, मंजूर की गई तथा वास्तव में खर्च की गई राशियां नीचे दी जाती हैं :—

	पंजाब सरकार द्वारा मांगी गई राशि	भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई राशि	पंजाब सरकार द्वारा खर्च की गई राशि
	रुपये	रुपये	रुपये
१. अनुसूचित जातियां .	१६,३७,०००	१४,४७,२००	१४,६५,१२७
२. अनुसूचित आदिम जातियां .	३५,०००	३२,५००	१४,५७७
योग . .	१६,७२,००००	१४,७६,७००	१४,७६,७०४

(ख) जी, हां ।

(ग) ३५८० विद्यार्थी ।

पंजाब में सम्पदा शुल्क

†१३८१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८–५६ में पंजाब में सम्पदा शुल्क से कितनी राशि एकत्रित की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ३,५२,३१६ रुपये ।

१६५६–६० में उत्तर प्रदेश में राजस्व

†१३८२. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५६–६० में उत्तर प्रदेश में करों और राजस्व से भारत सरकार ने कितनी राशि एकत्रित की ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : उत्तर प्रदेश में अपराध करों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से १६५६–६० में ५३,१६,८५,००० रुपये एकत्रित हुए थे । "असैनिक प्रशासन, मुद्रा, टकसाल, सिविल कार्यों आदि" वर्ग के विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन जो राशि एकत्रित हुई है, वह किसी राजस्व आय के कारण नहीं है, परन्तु वह दी गई सुविधाओं और दिये गये संभरण के कारण है ।

उत्तर प्रदेश में स्कूल होस्टल

†१३८३. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६५६–६० और १६६०–६१ में अब तक स्कूल होस्टलों के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कोई ऋण मंजूर किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). १९६०–६१ के लिये अभी तक कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है। १९५९–६० के लिये ४५,००० रुपये मंजूर किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां

†**१३८४. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक प्रविधि संस्था को कितनी योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां आवंटित की गई थीं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :

	संस्था का नाम	आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या
क.	प्रथम डिग्री कोर्स की संस्थाएं :	
१.	कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालोजी, मुसिलम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	७
२.	इंजीनियरिंग कालेज, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	१६
३.	इंजनियरिंग कालेज, दयालबाग, आगरा	४
४.	यूनिवर्सिटी आफ रुड़की, रुड़की	१७
५.	कालेज आफ माइनिंग एंड मैटेलर्जी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	६
६.	एच० बी० टेक्नालाजिकल इंस्टीच्यूट, कानपुर	२
७.	कालेज आफ टेक्नालोजी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	५
८.	गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीच्यूट, कानपुर	२
(ख)	डिप्लोमा कोर्स की संस्थायें :	
९.	सिविल इंजीरियरिंग स्कूल, लखनऊ	२
१०.	गवर्नमेंट टेक्नीकल इंस्टीच्यूट, गोरखपुर	३
११.	गवर्नमेंट टेक्नीकल इंस्टीच्यूट, लखनऊ	३
१२.	हैवेट इंजनियरिंग कालेज, लखनऊ	२
१३.	आई० डी० टेक्नीकल इंस्टीच्यूट, बाहजोई	२
१४.	पी० एम० वी० टेक्नीकल इंस्टीच्यूट, मथुरा	१
१५.	टेक्नीकल कालेज दयालबाग, आगरा	२
१६.	यूनिवर्सिटी पोलिटैक्निक, अलीगढ़	४
१७.	यूनिवर्सिटी आफ रुड़की, रुड़की	४
१८.	गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीयूट, कानपुर	१
१९.	गवर्नमेंट लैदर इंस्टीच्यूट, कानपुर	१
२०.	नर्द्रन रीजनल स्कूल आफ प्रिंटिंग टेक्नालोजी, अलाहाबाद	१
२१.	सिविल इंजनियरिंग स्कूल, चन्दौली	१
२२.	एम० वी० टेक्नीकल इंस्टीच्यूट, हाथरस	२
२३.	टेक्नीकल इंस्टीच्यूट, हांडिया	१
२४.	ओवरसियर स्कूल, नैनीताल	१
	कुल	९०

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश की इस्पात और लोहे की आवश्यकता

†१३८५. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में उत्तर प्रदेश को कितने लोहे और इस्पात की जरूरत थी ;

(ख) कितना लोहा और इस्पात दिया गया था ; और

(ग) पूरी मांग पूरी न करने के क्या कारण थे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के बारे में लौहा और इस्पात की आवश्यकता आवंटन और भेजा गया माल नीचे दिया जाता है (टनों में) :

	मांग/आवश्यकता	आवंटन	संभरण
१९५७–५८ .	२५१,९४६	६५,६०६	४६,६१३
१९५८–५९	१९१,८३४	१००,३७५	४७,८६६
१९५९–६० . .	२४६,८६०	२११,८१४	५६,४४५@

(ग) इस्पात का उत्पादन मांग की अपेक्षा बहुत ही कम था और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयात भी सीमित था। उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों की मांग इस लिये पूरी नहीं की गई। तथापि, उत्पादन में वृद्धि होने से चादरों, प्लेटों, और तारों को छोड़ कर जैसी कुछ दुर्लभ श्रेणी के इस्पात, स्थिति नर्म हो गई है। चालू अर्ध वर्ष अर्थात् अप्रैल-सितम्बर १९६० में सरकारी विभागों और संविहित निकायों की मांग, दुर्लभ श्रेणी की चीजों को छोड़ कर पूरी की जा रही है। रूरकेला में प्लेट मिल का कार्य आरंभ हो जाने से, स्थिति में और सुधार होगा तथा भारी प्रकार की प्लेटों और चादरों के आवंटन में नर्मी करने के बारे में फैसला किया जा चुका है।

दिल्ली में भिक्षावृत्ति

१३८६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भिखारियों से काम लेने वाले किसी गिरोह के बारे में कोई सूचना मिली है जो बाहर से कोढ़ियों को लाकर उन्हें दिल्ली में भीड़-भाड़ की जगहों पर छोड़ देता है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बहुउद्देश्यीय स्कूल

१३८७. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्कूलों में १९६०–६१ में आदर्श बहुउद्देश्यीय स्कूल योजना चालू की गई है ; और

@केवल नौ महीनों के लिये।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रयोजन के लिये चुने गये स्कूलों में कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम की मोटी रूप रेखा क्या है?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) आठ। सूची साथ लगी है। [**देखिये परिशिष्ट** २ अनुबंध संख्या १००]

(ख) चुने हुए स्कूलों में पुस्तकें तथा अन्य सामग्री दी जाती है / दी गयी है ताकि वे टेकनोलोजी, वाणिज्य, कृषि आदि कुछ विशिष्ट विषयों में उच्चतर की शिक्षा देने के लिए यथेष्ट रूप से समर्थ हो सकें।

दिल्ली मे अपराध

१३८८. { **श्री नरदेव स्नातक** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में १९५९-६० में कितने अपराध हुए;

(ख) दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में शान्ति, व्यवस्था और सुरक्षा बनाये रखने के लिये कितनी पुलिस है;

(ग) उस पर कितना वार्षिक खर्च होता है; और

(घ) १९५८-५९ की तुलना में वर्ष १९५९-६० में अपराधों की संख्या बढ़ गई है या कम हो गई है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :

(क)

	भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत संज्ञेय मामले	स्थानीय तथा विशेष कानूनों के अन्तर्गत मामले
१९५९ . . .	१०१८४	५२९३
१९६० . . (३१ जुलाई तक)	५५७५	२५९२

(ख) ११५४४।

(ग) २,०१,००,००० रुपये (१९५९-६०)

(घ) अपराधों की संख्या कम हो गई है।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय

१३८९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय में जो १८०० प्रकाशन और रखे गये थे उन में हिन्दी के प्रकाशन कितने हैं?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : चार।

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय औजार तथा सेवा प्रयोगशाला

†१३९०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनरीक्षण समिति ने जो यह सिफारिश की थी कि भारतीय विज्ञान संस्था में केन्द्रीय औजार और सेवा प्रयोगशाला स्थापित की जाए वह प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** संस्था ने केन्द्रीय औजार और सेवा प्रयोग शाला स्थापित करने के लिये कार्यारंभ कर दिया है। प्रयोगशाला के लिये कुछ उपकरण मंगवाने के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं और प्रयोगशाला की इमारत के प्लान तैयार हो चुके हैं। शीघ्र ही इमारत निर्माण का कार्य आरंभ किया जाएगा।

दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों में प्रकाश व्यवस्था

†१३९१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली में रात्रि के समय महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों को प्रकाश से जगमगाया जाए, ताकि वे पर्यटक उनकी ओर आकृष्ट हों ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** जी, नहीं।

संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा

१३९२. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के लिये प्राथमिक शिक्षा विनियम तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे संसद के समक्ष संभवतः कब रखे जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो वे संभवतः कब तक तैयार हो जायेंगे ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिल्ली में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए "दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम १९६०" नामक एक अधिनियम संसद् के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है।

हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा की स्थिति यह है कि अनिवार्यता को लागू करने के पहले कदम के रूप में इन क्षेत्रों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या और साक्षरता को बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार सरकार का इस दिशा में अपने प्रयत्नों की गति को तीव्र करने का विचार है जिससे अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकें। सरकारी नीति के अनुसार अनिवार्य शिक्षा लागू करने में कितना समय लगेगा यह इस बात पर निर्भर है कि कठिनाइयों पर काबू पाने और इन क्षेत्रों में भर्ती की संख्या बढ़ाने के प्रयत्नों में कितनी सफलता मिलती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुनियादी स्कूलों के लिये दस्तकारी सामान के उत्पादन के लिये अनुसन्धान योजनायें

१३९३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुनियादी स्कूलों के लिये १९५९–६० में दस्तकारी का सामान तैयार करने के संबंध में जो पांच अनुसंधान परियोजनायें आरम्भ की गई थीं उन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	प्रायोजना का नाम	किसको सौंपा गया	वर्तमान स्थिति
१	कागज़ की लुब्दी के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य।	देव समाज कालेज फार वीमेन, फिरोजपुर।	अनुसन्धान प्रायोजना पूर्ण हो गयी है। कुछ सुझावों को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट प्रिंसिपल को संशोधन के लिए वापिस भेजी गयी है।
२	फल और वनस्पति परिरक्षण।	बेसिक ट्रेनिंग कालेज, आंगुल।	योजना १ जून, १९६० से चालू कर दी गई है और काम में प्रगति हो रही है।
३	प्रवर बुनियादी स्तर तक विज्ञान का शिक्षण देने के लिए काम चलाऊ और गृह निर्मित उपकरणों का उत्पादन।	गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज, धर्मशाला।	राज्य सरकार १९५९–६० में स्वीकृत राशि नहीं ले सकी अब फिर दोबारा स्वीकृति जारी की गई है। आशा है संस्थान अब इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगा।
४	कृषि औज़ारों की किस्में—विभिन्न आयु-वर्गों के लिए उनके आकार और वज़न।	बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, विद्यानगर।	योजना १९५९–६० के दौरान में क्रियान्वित नहीं की जा सकी थी इसलिए मैसूर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि इस योजना को १९६०–६१ के दौरान में क्रियान्वित करने दिया जाये। उनकी वह प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी है।
५	कताई और बुनाई तथा लकड़ी का काम।	नैशनल इंस्टीट्यूट आफ बेसिक एजुकेशन, नई दिल्ली।	कार्य की प्रगति ज़ारी है।

बुनियादी स्कूल के विषयों के लिये स्रोत ग्रन्थ

१३९४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी स्कूलों के लिये स्रोत ग्रंथों के प्रकाशन के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य के लिये कौन कौन से लेखक चुने गये हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) स्रोत ग्रंथों के विभिन्न भाग २२ लेखकों में बांटे गये थे जिन्हें अपनी पांडुलिपियां जुलाई १९६० के अन्त तक तैयार करके भेजनी थी । एक लेखक ने तो अपनी सम्पूर्ण पांडुलिपि भेज दी है । और एक दूसरे लेखक ने अपने हिस्से की पांडुलिपि का अभी केवल एक अंश भेजा है ।

(ख) चुने हुए लखकों के नाम

	नाम	कैफ़ियत
१.	श्री एस० के० साहा	स्वीकृत
२.	श्री वी० आर० तनेजा	स्वीकृत
३.	श्री एम० दौरे स्वामी	स्वीकृत
४.	श्री एच० एस० बघेला	स्वीकृत
५.	कुमारी एस० मदन	स्वीकृत
६.	श्री द्वारिका सिंह	स्वीकृत
७.	श्री आर० आर० शर्मा	स्वीकृत
८.	डा० एम० ज़ेड० खान	स्वीकृत
९.	श्री के० एस० आचारलू	स्वीकृत
१०.	श्री जे० एस० मिश्र	स्वीकृत
११.	डा० एम० खुशदिल	स्वीकृत
१२.	श्री डी० जी० बोरसे	स्वीकृत
१३.	श्री विवेकानन्द पति	स्वीकृत
१४.	श्री के० जी० सूर्यवंशी	उत्तर आना बाकी है
१५.	श्री वी० पांडे	उत्तर आना बाकी है
१६.	श्री एन० डी० सोढी	उत्तर आना बाकी है
१७.	श्री श्यामनन्दन सहाय	स्वीकृत
१८.	श्री एच० बी० मजूमदार	स्वीकृत
१९.	श्री बी० एस० सक्सेना	उत्तर आना बाकी है
२०.	श्री बी० वेंकट राव	स्वीकृत
२१.	श्री एस० पी० सक्सेना	स्वीकृत
२२.	श्री के० आर० पालकर	स्वीकृत

बाल साहित्य

१३६५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बच्चों के लिये उपयुक्त साहित्य निकालने के लिये ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके लिये पहले २० लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी; और

(ग) इसमें कमी करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां। १९५९–६० के लिये।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इमारती लकड़ी की नीलामी

†१३६६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १० अक्तूबर, १९५२ को २५०० घन फुट इमारती लकड़ी की जिस नीलामी को रोक दिया गया था, उसकी रोक के कारणों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). अक्तूबर, १९५२ में गैरिजन इंजीनियर, इलाहाबाद द्वारा लगभग २,५०० घन फुट इमारती लकड़ी नीलामी द्वारा बेची गयी थी। परन्तु उसके बाद खरीददार ने इस आधार पर उसे उठाने से इंकार कर दिया कि लकड़ी की मात्रा में कमी है। उसने जमा करायी गयी राशि की वसूली के लिये तथा संविदा के उल्लंघन के लिये हानि की अदायगी के लिये दीवानी कचहरी में एक मामला दायर कर दिया। न्यायालय ने यह फैसला किया है कि उस खरीददार को मूल धन के साथ ही साथ ब्याज अदा किया जाये और इसके अतिरिक्त मामले पर आने वाले खर्च में से अनुपात से कुछ राशि अदा कर दी जाये।

सम्पूर्ण २५०० धन फुट लकड़ी की फिर से नीलामी कर दी गयी।

मामले की जांच करने के लिये एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया। जांच न्यायालय ने अपनी उपपत्तियां प्रस्तुत कर दी हैं। उन उपपत्तियों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि १९५२ में बेची गयी सम्पूर्ण लकड़ी उसी स्थान पर विद्यमान थी परन्तु फिर भी बेची हुई उस लकड़ी को वापिस लेना पड़ा क्योंकि :

(१) सम्बद्ध पदाधिकारी उस खरीददार को तसल्ली न करा सका कि बेची गयी सम्पूर्ण लकड़ी वहां पर मौजूद थी; और

(२) कचहरी के मामले की ठीक तरह से पैरवी नहीं की गयी।

सम्बद्ध पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही की जा रही है। जिला सरकारी वकील से भी यह कहा गया है कि वह कचहरी में मामले की पैरवी के सम्बन्ध में अपनी सफाई दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद

†१३९७. { **श्री ाम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न १००४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय के लिये इमारत के निर्माण के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही हैं ; और

(ख) वह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). निर्माण सम्बन्धी कार्य आन्ध्र प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया है जो कि इमारत के लिये नकशे और प्राक्कलन तैयार कर रही है । यह बताना सम्भव नहीं है कि यह इमारत कब तक तैयार हो जायेगी ।

उड़ीसा में गतीश्वर मन्दिर

†१३९८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर : }

क्या **वैज्ञानिक अनसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उड़ीसा के पुरी जिले के एलाम गांव के गतीश्वर मन्दिर को एक पुरातत्वीय महत्व के सुरक्षित स्मारक के रूप में घोषित कर देने क सुझाव पर विचार कर लिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** मामले पर विचार कर लिया गया है । वह मन्दिर इतने अधिक महत्व का नहीं है कि उसे राष्ट्रीय महत्व के एक रक्षित स्मारक के रूप में घोषित कर दिया जाये ।

हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्तियां

†१३९९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जरूरतमन्द विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों की अदायगी शीघ्र कराने के लिये प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस संशोधित तरीके के अनुसार इस राज्य क्षेत्र से बाहिर की संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मंजूर की गयी छात्रवृत्तियां तथा वृत्तियां प्रशासन के सम्बद्ध पदाधिकारी द्वारा बिलों को पेश करने पर कुसुमपित के खजाने से तिमाही राशि पेशगी अदा की जाया करेगी । सरकारी ड्राफ्ट संस्थाओं के प्रभावों के नाम पर प्राप्त किये जाते हैं और नकद राशि प्राप्त करने के लिये उनके पास भेज दिये जाते हैं ताकि वे विद्यार्थियों को राशि अदा कर दें ।

प्रतिरक्षा सामान का आयात

†१४००. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से आयात किये गये सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में उन वस्तुओं पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी थी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) विदेशों से प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान के अन्तर्गत केवल विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं, सुरक्षा सम्बन्धी सामान तथा ऐसी अन्य वस्तुएं मंगवायी जाती हैं जोकि भारत में उपलब्ध नहीं हैं अथवा जिनका युद्ध सामग्री कारखानों में एक दम निर्माण नहीं किया जा सकता । विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है ।

(ख) गत तीन वर्षों में विदेशों से आयात की गयी वस्तुओं पर खर्च की गयी विदेशी मुद्रा की राशियां निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	राशि
१९५७–५८ . .	८६.८५ करोड़ रुपये ।
१९५८–५९ . .	७४.११ करोड़ रुपये ।
१९५९–६० . . .	५३.७९* करोड़ रुपये ।

पूर्वी क्षेत्र परिषद्

†१४०१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की आगामी बैठक कब होगी; और

(ख) क्या इस बैठक का समय और स्थान निश्चित कर दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) आगामी बैठक के लिये अभी तक कोई भी तिथि निश्चित नहीं की गयी है । सम्भव है कि बैठक अक्तूबर या नवम्बर, में किसी समय की जायेगी ।

(ख) अभी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*१९५९–६० के वर्ष के खाते अभी पूरे नहीं हुए हैं । यह राशि केवल मार्च, १९६० तक के सम्बन्ध में ही है

नगरपालिका के मेहतर

†१४०२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरपालिका के मेहतरों को हथगाड़ी और दो पहियों वाली ठेलागाड़ियां संभरित करने के लिये १९५८–५९ और १९५९–६० में उड़ीसा को कोई सहायता दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि और किस किस नगरपालिका को ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा की शिक्षा विकास योजनायें

†१४०३. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री सूपकार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने १९६०–६१ में शिक्षा विकास योजनाओं की पूर्ति के लिये अतिरिक्त राशि मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस योजना के लिये; और

(ग) क्या केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड की स्थायी समिति ने इन सुझावों पर विचार कर लिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उड़ीसा सरकार के सुझाव पर उन राज्यों को, जिन में कम लोग स्नातक शिक्षा प्राप्त करते हैं, विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिये पर्याप्त केन्द्रीय सहायता देने के सामान्य प्रश्न पर पहले ना केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड की स्थायी समिति में तथा फिर फरवरी, १९६० में हुई मुख्य बैठक में विचार किया गया था। बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार किया जाये।

उड़ीसा की सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान

†१४०४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में उड़ीसा में सांस्कृतिक कार्यों के विकास के लिये किन किन संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक संस्था के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी ; और

(ग) क्या १९६०-६१ में भी इस प्रकार की संस्थाओं को कोई अनुदान दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख)

संस्था का नाम	राशि
अन्नपूर्णा थियेटर 'बी' ग्रुप, कटक	२,०००* रुपये
कला विकास केन्द्र, कटक .	५,००० रुपये
आल इण्डिया ओरियन्टल कांफ्रेंस, भुवनेश्वर .	२,००० रुपये

(ग) जी, नहीं ।

*उक्त राशियों में वे राशियां सम्मिलित नहीं हैं जोकि राज्य सरकार का दी गई हैं, या तीनों राष्ट्रीय अकादमियों द्वारा उड़ीसा की सांस्कृतिक संस्थाओं को दी गई हैं ।

केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था, धनबाद

†१४०५. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, धनबाद में कोई भी अस्पताल, स्कूल या अन्य सामाजिक सुविधा विद्यमान नहीं है ;

(ख) क्या इस के कारण कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) वहां पर एक औषधालय दो स्कूल जिनमें से एक लड़कों के लिये और दूसरा लड़कियों के लिये है तथा एक मनोरंजन क्लब है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मनोरंजन क्लब के 'इनडोर' खेलों के लिये एक कमरा एक इमारत में दिया जा रहा है जोकि इस समय बन रही है । एक अस्पताल के निर्माण की एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है । उस अस्पताल में चार शैयायें होंगी ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में कर्म समिति

†१४०६. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में कोई कर्म समिति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) कर्म समिति के अभाव में मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिये क्या उपाय हैं ; और

(घ) क्या वहां पर कोई मान्यताप्राप्त मजदूर संघ है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्योंकि वह एक वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, इसलिये वहां पर कोई भी कर्म समिति नहीं बनाई गई है ।

(ग) इसके लिये दो संस्थायें हैं—वैज्ञानिक कर्मचारी संस्था और प्रविधिक कर्मचारी संस्था, जिन में क्रमशः वैज्ञानिक और प्रविधिक कर्मचारी सम्मिलित हैं ।

(घ) ये दोनों संस्थायें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हैं ।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में औद्योगिक कर्मचारी

†१४०७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक (अस्थायी सेवा नियम), १९४९ का नियम संख्या ५ प्रतिरक्षा संस्थापनों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होता ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: जी, नहीं । यह नियम प्रतिरक्षा संस्थापनों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में बहुविवाह

१४०८. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बहुविवाह प्रथा अब भी प्रचलित है ;

(ख) क्या यह सच है कि अशिक्षित स्त्रियों को दूसरे विवाह के लिये अनुमति प्रपत्र पर अंगूठे का निशान लगाने के लिये बाध्य किया जाता है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर हां में हों तो इस प्रथा का अन्त करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत) : (क) बहुविवाह प्रथा हिमाचल प्रदेश के महासु और चम्बा जिलों के केवल कुछ भागों में प्रचलित है ।

(ख) इस प्रकार के कोई मामले दृष्टि में नहीं आये हैं ।

(ग) बहुविवाह हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत असंगेय अपराध है । सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस कुप्रथा के निवारणार्थ जनमान्यता उत्पन्न की जा रही है ।

अवैध शराब बनाना

१४०९. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब बनाने का काम बढ़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी वस्तुओं से जो लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं, कई तरह की अवैध शराब बनाई जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क की आय भी कम हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । पकड़े गये मामलों से मालूम हुआ है कि अवैध शराब मीरा या अनाज से प्राय: बनाया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) लगातार सावधानी बरती जा रही है, आबकारी अपराधों की रोक थाम के लिये छापों का प्रबन्ध किया जाता है तथा अपराधियों को कठोर दंड देने के लिये अधिकार ले लिये गये हैं ।

इस्पात के उपोत्पाद

†१४१०. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति दिन लगभग ५० टन 'स्कल'[1] को फेंक दिया जाता है जोकि इस्पात के निर्माण में एक उपोत्पाद है ;

(ख) क्या कुछ समय पूर्व किसी फार्म ने इस उपोत्पाद को १००० रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीद लेने का प्रस्ताव किया था ;

(ग) इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस्पात के कारखाने इस का किस प्रकार से उपयोग करने का विचार रखते हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार को इस प्रकार के प्रस्ताव के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) इस्पात को दोबारा पिघलाने के लिये ।

शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में विशेष समिति

†१४११. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय महत्व की शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने वाली विशेष समिति के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) समिति की दो और बैठकें हो चुकी हैं और उन में कुछ एक और संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में सिफारिश की गई है ।

(ख) जब तक योजना चलती रहेगी तब तक समिति का कार्य भी चलता रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Skull.

क्षमा और दण्ड परिहार

†१४१२. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या गृह-कार्य मंत्री २२ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४७ से पहले कैदियों का आजीवन देश निर्वासन प्रायः १४ वर्ष से अधिक नहीं होता था ;

(ख) क्या यह सच है कि अब स्वयमेव उस दण्ड में छूट नहीं दी जाती ;

(ग) क्या वह छूट जेल के प्राधिकारियों की रिपोर्ट पर दी जाती है ;

(घ) क्या इस से कैदियों को जेल प्राधिकारियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है ; और

(ङ) क्या आजीवन कारावास के मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क). जी, नहीं । आजीवन देश निर्वासन की सजा वाले कैदियों के मामलों पर तत्कालीन प्रांतीय सरकारों द्वारा १४ वर्षों के बाद पुनर्विचार किया जाता था, परन्तु उन्हें अनिवार्य रूप से छोड़ नहीं दिया जाया करता था ।

(ख.) अब आजीवन देश निर्वासन का दण्ड समाप्त कर दिया गया है और उस के स्थान पर आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता है । १४ वर्ष के बाद पुनर्विचार करने का नियम आजीवन कारावास के व्यक्तियों पर भी लागू होता है ।

(ग.) राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार सभी कैदियों के अच्छे व्यवहार और अच्छे कार्य के आधार पर उन्हें प्रायः दण्ड में छूट दे दी जाती है ।

(घ.) जी, नहीं ।

(ङ.) जी, नहीं ।

देहरादून में प्रौढ़ अंधों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†१४१३. श्री प्र० के० देव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून के प्रौढ़ अंधों के प्रशिक्षण केन्द्र में राज्यवार कितने प्रौढ़ अंधे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) इस संस्था में प्रवेश का तरीका क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क.) और (ख.). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०१]

(ग.) पुरुषों के अनुभाग में २७९
स्त्रियों के अनुभाग में ९

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में एस्बेस्टस के निक्षेप

†१४१४. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में एस्बेस्टस के निक्षेपों की उपलब्धि के लिये कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) वहां पर किस प्रकार का और कितना एस्बेस्टस पाया जाता है;

(ग) यह खनिज किस किस देश को निर्यात किया जाता है और गत १० वर्षों में उससे कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(घ) गत १० वर्षों में देश में कितनी मात्रा में इसका उत्पादन किया गया है; और

(ङ) देश में इसका कितना उपयोग किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मणपल्ली तथा चिन्नाकुडाला के क्षेत्रों में लगभग ६६० फुट की गहरायी में लगभग २५६,२०० टन एस्बेस्टस के निक्षेप हैं। कुडप्पा जिले में पाया जाने वाला एस्बेस्टस उच्च श्रेणी का है।

(ग) एस्बेस्टस ब्रिटेन, थाइलैण्ड, जापान, बेल्जियम, इटली और पश्चिमी पाकिस्तान को भेजा जाता है। १९५१ से १९६० (मार्च, १९६०) तक एस्बेस्टस के निर्यात के कुल २३,८५,००० पये प्राप्त हुए हैं।

(घ) १९५० से १९५९ तक ९६९६ मीट्रिक टन।

(ङ) १९५८ और १९५९ में देश में क्रमशः लगभग १८,३५४ और २२,७४५ मीट्रिक टन का इस्तेमाल किया गया था।

दिल्ली में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्र-वृत्तियां

१४१५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनुसूचित जातियों के छात्रों को हायर सेकेन्डरी स्तर तक छात्रवृत्तियां देने के लिये एक छात्रवृत्ति बोर्ड बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या छात्रवृत्तियां देने के लिये कोई नियम बनाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अध्यापन की शिक्षा

१४१६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में दिल्ली में कितने (पुरुष और स्त्री अलग-अलग) छात्रों को अध्यापन का प्रशिक्षण दिया गया; और

(ख) क्या प्रशिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

१९५८–५९	१६८ पुरुष और १६२ महिलायें
१९५९–६०	१४२ पुरुष और १७१ महिलायें

(ख) जी, हां। दिल्ली में शिक्षकों की नियुक्ति केवल स्थानीय प्रशिक्षित व्यक्तियों में से ही नहीं की जाती। दूसरे स्थानों में प्रशिक्षण पाये अध्यापक भी नियुक्त किये जाते हैं। अतः दिल्ली में प्रशिक्षित शिक्षकों की कोई कमी नहीं है।

दिल्ली में बहुउद्देश्यीय स्कूल

१४१७. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने बहुउद्देश्यीय स्कूल हैं; और

(ख) क्या इन्हें हाई या हायर सेकेन्डरी स्कूलों से बदला गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) पांच।

(ख) तीन हाई स्कूलों से और दो हायर सेकेन्डरी स्कूलों से।

मनीपुर में कूकी लोग

†**१४१८. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९६० के प्रथम सप्ताह में मनीपुर सबडिवीजन में कूकी लोगों द्वारा १० हजार लोग मारे गये थे; और

(ख) दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). मार्च, १९६० से मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली दो प्रमुख आदिम जातियों कूकी और हूमार में तनाव बढ़ता जा रहा है। लगभग दो महीनों तक दोनों दलों के स्वयंसेवकों में छोटी छोटी झड़पें होती रहीं जिनके परिणाम स्वरूप मारपीट, अपहरण, और मकान जलाने की घटनायें होती रहीं। २८ अप्रैल, १९६० को कूकी लोगों ने दो हूमार ग्रामों को जला दिया और दस व्यक्तियों को घायल कर दिया। २ मई, १९६० को चूराचण्डपुर सब डिवीजन के तोलबंग गांव के निकट दोनों दलों की ओर से एक दूसरे पर गोलियां चलायी गयीं जिसके परिणामस्वरूप एक हूमार मारा गया। अतः यह कथन है कि दस हूमार मारे गये थे।

दिल्ली में अवैध शराब तैयार करना और बेचना

†१४१९. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्रीमती सुचेता कृपालानी :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवैध शराब तैयार करना रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और सीमा शुल्क विभाग के ठोस प्रयत्नों के बावजूद राजधानी में अवैध शराब तैयार करना और बेचना अब भी उसी प्रकार जारी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसे रोकने के लिए आगे और क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । इस प्रयोजन के लिए कई उपाय किये गये हैं ।

आर्थिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि द्वारा विकास परियोजनाओं के लिये निधियों का नियतन

†१४२०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि की शासी परिषद् ने भारत में पांच बड़ी विकास योजनाओं के लिए धनराशि देना मंजर किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) उसमें भारत सरकार का अंशदान क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि की शासी परिषद् ने मई, १९६० के अधिवेशन में निम्नलिखित पांच भारतीय परियोजनाओं के लिए निधि से ४५,१६,७००·०० डालर की सहायता देना मंजूर किया है । इन परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा किया गया लगभग प्रतिरूप रुपया-व्यय प्रत्येक परियोजना के सामने दिया गया है :—

परियोजना	विशेष निधि अंशदान	भारत सरकार का प्रतिरूप व्यय	
		(लाख रुपयों में)	
	डालर	पये	
१. उच्चतर मत्स्यपालन प्रशिक्षण संस्था	६,१०,३००	३४.८	स्थानीय संचालन व्यय के लिए विशेषज्ञ खर्च के १५ प्रतिशत नकद अंशदान के साथ
२. शक्तिपूर्ण जल विद्युत् स्थानों की छानबीन के लिए अखिल भारतीय योजना . . .	२३,६१,४००	२३८.१	
३. बृहत्तर कलकत्ते की जलपूर्त्ति और नाली योजना की छानबीन और सर्वेक्षण . .	३,२४,१००	७.४	
४. सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनिअरिंग इन्स्टीट्यूट, नागपुर .	५,२५,०००	१७१.०	
५. सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन, धनबाद	६,९५,९००	४०.०	
कुल	४५,१६,७००	४९१.३	

†मूल अंग्रेजी में

विकलांग व्यक्तियों के लिये रोजगार दफ्तर

†१४२१. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांग व्यक्तियों के लिये जिन्हें विभिन्न व्यापारों का प्रशिक्षण दिया गया है, अभी कितने रोजगार दफ्तर हैं और वे कहां कहां हैं; और

(ख) विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और १९५६ से अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दो, एक बम्बई में और दूसरा मद्रास में ।

(ख) प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या और विभिन्न अभिकरणों द्वारा जिन व्यक्तियों को रोजगार दिलाये गये हैं उनकी संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है किन्तु बम्बई और मद्रास के दो रोजगार दफ्तरों ने १-४-१९५६ से ३०-६-१९६० की अवधि में १७३ विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाया है ।

नई दिल्ली में एक लड़की की बरामद

†१४२२. { **श्री बी० चं० शर्मा** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की एक लड़की को जिसे कहा जाता है कि पदाधिकारियों को खुश करने के लिये किसी प्रभावशाली व्यापारी ने रख रखा था, नई दिल्ली में तिलक नगर में एक मकान से बरामद करने का समाचार मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कुछ छानबीन की गयी है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली में विमुक्त जातियों के लिये खेलकूद का साज सामान

१४२३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विमुक्त जातियों को खेलकूद का सामान देने के लिये कोई धनराशि अलग रखी गई है ;

(ख) यदि हां, तो १९५९–६० में कितने मूल्य का साज-सामान खरीदा गया; और

(ग) वह किस तरह बांटा गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी हां ।

(ख) ५५० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा खरीदा गया खेल कूद का सामान विमुक्त जातियों के सदस्यों द्वारा बनाई गई टीमों के कप्तानों को दिया जाता है।

दिल्ली में विमुक्त जातियां

१४२४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विमुक्त जातियों को रोज़गार दिलाने के लिये क्या कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी हां।

(ख) योजना के अन्तर्गत विमुक्त जातियों के उस प्रत्येक सदस्य को, जिसके पास आमदनी का कोई नियत साधन नहीं है, कोई व्यापार, कारीगरी, कारोबार शुरू करने तथा वस्तु विक्रय आदि के लिये २०० रुपये तक की सहायता दी जाती है।

हरिजनों को चिकित्सा सहायता

१४२५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में दिल्ली में हरिजनों की चिकित्सा सहायता पर कितनी धन-राशि खर्च की गयी;

(ख) किन किन रोगों के लिये यह धनराशि दी गयी थी; और

(ग) कितने व्यक्तियों को यह सहायता दी गयी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती वायलट आल्वा) : (क) २,२०० रुपये।

(ख) क्षय रोग।

(ग) ४४।

अंधों के लिये मशीनें

†१४२६. **श्री प्र० के० देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने ऐसा एक गणक (कंप्यूटर) जो किताब लिख सकता है, और एक मशीन जो अंधे आदमियों के लिये उपयोगी अखबार पढ़ सकती है, निकाली है और क्या ये मशीनें नवीनतम डिजाइन इंजीनियरी प्रदर्शन में दिखयी गयी थीं;

(ख) क्या इस देश में विभिन्न अंध-पाठशालाओं और संस्थाओं को ये मशीनें देने का विचार है; और

(ग) क्या ये मशीनें प्रचलित ब्रेल की जगह काम आ सकेंगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) अमेरिका अभी तक वाणिज्यिक उपयोग के लिए ऐसा कंप्यूटर जो किताब लिख सके और एक मशीन जो छपा हुआ कागज पढ़ सके नहीं निकाल

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सका है। ऐसी मशीन तैयार करने के लिये अनुसन्धान जारी है। न्यूयार्क में नवीनतम डिजाइन इंजीनियरी प्रदर्शन में किस प्रकार की मशीनें दिखायी गयी थीं इस बारे में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान किये गये मृत्यु दावे

†१४२७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण की तिथि से, जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गयी बीमा पालिसियों के अधीन निगम ने ३० जून, १९६० तक मृत्युदावों की कुल कितनी रकम भुगतान की; और

(ख) मृत्यु दावे के अधीन बीमा पालिसी की औसतन अवधि क्या थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारार जी देसाई)**: (क) १,२९,८७,२९०.०० रुपये।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

माउन्ट आबू में सर्वेक्षण विभाग

†१४२८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माउण्ट आबू (राजस्थान) में भारत सरकार का सर्वेक्षण विभाग उसी इमारत में है जहां माउण्ट आबू नगर पालिका काम करती है; और

(ख) यदि हां, तो डाक विभाग में जो प्रलेख तैयार किये जाते हैं क्या उनकी गोपनीयता और सुरक्षा बनाये रखना सम्भव है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी हां।

(ख). जी हां।

ताल्चेर कोयला खान

†१४२९. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ताल्चेर नामक स्थान पर नई कोयला खान खोली गयी है;

(ख) उसमें कितना कोयला है ;

(ग) इस कोयला खान से कोयला निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) इस कोयला खान में प्रतिवर्ष कोयले का कितना उत्पादन होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) दक्षिण बलन्दा में ताल्चेर के पास एक नई कोयला खान के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य, जून १९६० में शुरू किया गया था।

(ख) इस खान में लगभग २ करोड़ टन कोयले का भण्डार है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) आवश्यक जमीन ले ली है और अन्वेषण तथा छिद्रण कार्य चालू कर दिया गया है। ऊपरी मिट्टी आदि हटाने का काम जून, १९६० में शुरू हुआ। एक असैनिक निर्माण कार्यक्रम, जिसमें पानी सप्लाई योजना भी शामिल है, बनाया जा रहा है। एक स्थायी रेलवे साइडिंग बनाने के लिये भी कार्यवाही हो रही है।

(घ) १९६२–६३ तक प्रतिवर्ष १० लाख टन।

सरकारी पदाधिकारी

†१४३०. **श्री आस** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पदाधिकारियों और उनके परिवारों द्वारा ऐतिहासिक स्थानों और पर्वतीय स्थलों की यात्रा के लिये कोई नयी योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). कर्मचारी कल्याण कार्यवाही के एक भाग के तौर पर, पहाड़ी जगहों और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के लिये अल्प अवकाश यात्राएं कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभ के लिये समय समय पर आयोजित की जाती हैं। उन यात्राओं का खर्च कर्मचारी स्वतः उठाते हैं। चालू गर्मी के मौसम में दो यात्राओं एक कश्मीर के लिये और दूसरी कुलु-मनाली के लिये आयोजित की गयी थीं।

आन्ध्र प्रदेश में श्रमिक और समाज सेवा शिविर

†१४३१. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में केन्द्रीय सरकार के अनुदान से आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कितने श्रमिक और समाज सेवा शिविर चलाये गये;

(ख) उपरोक्त अवधि में क्या-क्या किया गया; और

(ग) विभिन्न शिविर चलाने के लिये भारत सरकार ने कितना अनुदान दिया और किन-किन जगहों में शिविर चलाये गये?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

१९५८–५९	१९५९–६०
९२ शिविर	५२ शिविर

(ख) छात्रों और नवयुवकों को ग्रामीण लोगों के सम्पर्क में आने और शारीरिक श्रम की महत्ता समझने का अवसर मिलने के अतिरिक्त शिविरों में वे 'श्रमदान' भी दे सके। शिविर वालों ने कई छोटे-मोटे काम भी किये जैसे पहुंच सड़कें बनाना और उनकी मरम्मत, खेल के मैदानों को समतल बनाना; खाद के गड्ढे, नालियां, खाई के शौच कूप, पेड़ बोने के लिये गड्ढे खोदना, गांव के तालाबों की मरम्मत और उन्हें गहरा करना, कुओं की मरम्मत उन्हें खोदना, गांव का प्लैटफार्म तैयार करना, स्थानीय स्कूलों में मरम्मत और निर्माण कार्य, हरिजन बस्तियों और गांव की सड़कों की सफाई, और गांवों में सामुदायिक बड़े कमरे तैयार करने में अकुशल श्रम किया। शिविर की लड़कियों ने अपने

†मूल अंग्रेजी में

आस पास के वातावरण से सम्बन्धित सेवा की जैसे घर की सफाई, बच्चों की देखभाल, कुओं की सफाई, गांव की सड़कों और नालियों आदि की सफाई।

(ग)	१९५८–५९	१९५९–६०
	१,३६,०१४·९५ रुपये	६१,३६५·२७ रुपये

जिन जगहों में शिविर चलाये गये थे उनके नाम दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०२)**

आयकर की बकाया रकम

†१४३२. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वित्त मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७४१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में राज्यवार आयकर की बकाया रकमों के बारे में क्या आवश्यक जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) आयकर की बकाया रकमों के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते। फिर भी प्रत्येक आयकर आयुक्त के क्षेत्राधिकार की तत्सम्बन्धी जानकारी इकट्ठी की गयी है।

(ख) आयुक्तों के क्षेत्राधिकारों के अनुसार जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०३]**

टैक्नीकल शिक्षकों के वेतन क्रम

**†१४३३. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :**

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय संस्थाओं के टैक्नीकल शिक्षकों के वेतन क्रम बढ़ाने का सरकार का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जायगा ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ाने का प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत आता है। आयोग ने सामान्य रूप में यह मान लिया है कि विश्वविद्यालय टैक्नीकल संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन क्रम अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा परिषद् के सुझावों के अनुसार बढ़ाये जायें।

(ख) आयोग इस विषय की छानबीन कर रहा है कि इस प्रकार वेतन क्रम बढ़ाने से दूसरे अध्यापकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सम्भव असमानता दूर करने के लिये अन्य अध्यापकों के वेतन क्रम कहां तक बढ़ाने पड़ेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिहाड़ जेल में अभियोगाधीन व्यक्ति

१४३४. डा० राम सुभग सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिहाड़ जेल (दिल्ली) में कुछ अभियोगाधीन व्यक्तियों ने एक दूसरे अभि ोगाधीन व्यक्ति पर छुरे से बुरी तरह हमला किया ;

(ख) यदि हां, तो अभियोगाधीन व्यक्तियों को जेल में छुरा कैसे प्राप्त हुआ ;

(ग) आहत अभियोगाधीन व्यक्ति को कितनी चोट पहुंची; और

(घ) क्या इस घटना के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) २३–६–१९६० को एक अभियोगाधीन जेली ने एक दूसरे अभियोगाधीन जेली पर चाक से हमला किया।

(ख) मामले की छानबीन की जा रही है।

(ग) आहत अभियोगाधीन व्यक्ति को भुजाओं, कंधे और पीठ पर चार भि न चोटें पहुंचीं।

(घ) केस पुलिस में दर्ज कराया गया है। अपराध का निश्चय होने पर जेल अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनी कार्यवाही की जाएगी।

पल्लू गांव, बीकानेर में किला

१४३५, श्री प० ला० बारूपाल : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व बीकानेर राज्य की नौहर तहसील (राजस्थान) के पल्लू गांव में एक पुरानी राजधानी के किले के खण्डहरों पर रंग देवी का एक मन्दिर है ;

(ख) क्या यह सच है कि खण्डहरों में एक देवी की मूर्ति मिली थी और उसे राष्ट्रीय संग्रहालय भेज दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो यह मूर्ति किस देवी की थी;

(घ) क्या उक्त किले के स्थान पर की गई खुदाई से इन बातों पर कोई प्रकाश पड़ता है कि उसे किस काल में तथा किस ने बनवाया था; और

(ङ) भूतपूर्व बीकानेर राज्य के हनुमानगढ़ में स्थित भाटनेर के किले की मरम्मत के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि दी तथा वह किन-किन मदों पर खर्च की गई ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) भूतपूर्व बीकानेर राज्य की नौहर तहसील के पल्लू गांव में पुराने खण्डहरों पर एक मन्दिर है लेकिन वह रंग देवी का नहीं बल्कि ब्राह्मणी का है।

(ख) और (ग). जैन देवी "सरस्वती" की दो संगमर्मर की मूर्तियां मिली थीं और बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित की गई थीं। अब उनमें से एक को हटा कर राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में रख दिया गया है।

(घ) पल्लू में ठीक तरह से खुदाई नहीं की गई। फिर भी ऐसा विश्वास है कि मिट्टी का किला चौहान राजकुमार श्री विग्रहराज द्वितीय ने दसवीं शताब्दी के आखीर में बनवाया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) भटनेर किले की मरम्मत और अनुरक्षण पर २९,४६३·५१ रुपये खर्च किये गये जिन में से ३,७६८·४३ रुपये सालाना अनुरक्षण पर खर्च हुये और २५,६९६·०८ रुपये खास मरम्मत पर खर्च किये गये ।

अफीम का तस्कर व्यापार

१४३६. श्री प० ला० बारूपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत अप्रैल में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक तस्कर-व्यापारी काफी मात्रा में अफीम ले जाते हुए पकड़ा गया ;

(ख) यदि हां, तो उसे वह अफीम कहां से प्राप्त हुई थी और वह उसे कहां ले जा रहा था ;

(ग) कितनी और कितने मूल्य की अफीम बरामद की गयी ;

(घ) क्या चोरी छिपे अफीम लाने ले जाने का काम करने वाले किसी और गिरोह का पता लगा है; और

(ङ) यदि हां, तो ये तस्कर व्यापारी किन-किन राज्यों के हैं और किन राज्यों में अपना काम करते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) यह तो मालूम नहीं कि अफीम कहां से आई और कहां जा रही थी लेकिन सन्देह है कि यह मध्य प्रदेश या राजस्थान के पोस्त पैदा करने वाले इलाकों से लायी गयी थी और पंजाबी की किसी जगह ले जायी जा रही थी ।

(ग) लगभग १२,५०० रुपये की १ मन ९ सेर ६० तोला अफीम बरामद की गयी थी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) ज्यादातर पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ।

मंत्रियों का दौरा

†१४३७. श्री सुबिमन घोष : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई केन्द्रीय मंत्री मई और जून, १९६० में विदेश गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, उनके विदेश जाने के कारण क्या थे और विदेशों में उनके दौरे के लिए भारत सरकार ने कुल कितना खर्च किया जिसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल थी ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

त्रिपुरा प्रशासन द्वारा परिपत्र

†१४३८. श्री बाँगशी ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन ने इस आशय का परिपत्र जारी किया है कि त्रिपुरा में "नामजारी" ३१ जुलाई, १९६० को या उससे पहले बनायी जायगी अन्यथा सम्बन्धित भूमि को "खास" माना जायगा; और

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का आदेश जारी करने के लिए, जो कि कानून बनाने के बराबर है,प्रशासन सक्षम है और क्या वह आदेश "प्रजा भूम्याधिकारी सम्बन्ध विषयक अधिनियम (१९२६ का अधिनियम टी० ई०") की धारा २२ पृष्ठ ४ के विरुद्ध नहीं है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). १९२६ के अधिनियम १, टी०ई० द्वारा संशोधित रूप में १९२६ का जमींदार और काश्तकार का कानून, टी०ई० की धारा ११ में यह उपबन्ध है कि "यदि किसी जोत या रैयती अधिकार का उत्तराधिकारी व्यक्ति धारा ९ और १० के उपबन्धों के अधीन अपना नाम अपने पूर्ववर्त्ती की मृत्यु की तिथि से छः महीने के अन्दर पंजीकृत नहीं कराता, तो जोत या रैयती अधिकार समाप्त हो जायगा और जमींदार को उस जमीन को खास बनाने और अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने का अधिकार होगा।"

उपरोक्त अधिनियम की धारा १३ में यह उपबन्ध है कि "धारा १२ के उपबन्धों के अधीन कोई जोत या रैयती अधिकार खरीदने वाला कोई व्यक्ति खरीद की तारीख से ६ महीने के अन्दर निर्धारित पंजीयन शुल्क और ३ साल के लगान की नजर देकर अपना नाम पंजीकृत करायेगा।"

यह देखा गया है कि ऐसे कई व्यक्तियों ने जिन्होंने उत्तराधिकार, हस्तान्तरण या बिक्री के जरिये जमीनें हासिल की हैं, अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन नहीं किया। इस दोष के कारण उनके अधिकारों को नुकसान न पहुंचे इसलिए त्रिपुरा प्रशासन ने दिनांक २७ जनवरी, १९६० की अपनी अधिसूचना संख्या एफ० ९९(९९)—रेवन्यू/५९ के जरिये सभी व्यक्तियों का उपरोक्त उपबन्धों की ओर ध्यान दिलाया और अधिसूचना में यह बताया गया था कि नाम बदलवाने के लिए आवेदन-पत्र ३१ जुलाई, १९६० को या उससे पहले भेजे जाने चाहिये। निर्धारित समयसीमा दिनांक २९ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या ९९(९९) रेवन्यू/५९ के द्वारा २८ फरवरी, १९६१ तक बढ़ा दी गयी थी। प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित धारा २२ नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में नहीं है।

त्रिपुरा में चूहों का आतंक

†**१४३९. श्री बंगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में चूहों के आतंक से पीड़ित क्षेत्रों में स्थिति और बिगड़ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर काबू पाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) त्रिपुरा के कमालपुर, कैलाशशहर, खोवाई और धर्मनगर सब-डिवीजनों के कुछ भागों में सितम्बर-अक्तूबर, १९५९ के महीनों में जंगली चूहों के बहुत बड़े हमले के कारण झूम फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। उन पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए प्रशासन ने तुरन्त कार्यवाही की।

(ख) वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में की गयी कार्यवाही दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तरी अन्दमान द्वीप समूह में मायाबन्दर बांध

†१४४०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी अन्दमान द्वीप समूह में मायाबन्दर में अभी हाल में पूरे किये गये बांध के निर्माण की मूल अनुमानित और वास्तविक लागत कितनी है;

(ख) क्या बांध पूरी तरह से बनाया गया है या उस में से पानी बाहर निकल जाता है और यदि हां, तो इन दोषों के लिये कौन उत्तरदायी है;

(ग) पिछले दुर्भिक्ष (फरवरी-मार्च, १९६०) में सदा की भांति वहां के निवासियों को पानी पहुंचाने के लिए क्या सरकार ने व्यवस्था की थी;

(घ) यदि हां, तो उस व्यवस्था की लागत कितनी थी; और

(ङ) क्या मायाबन्दर में भूमि के विकास के लिए रखी गयी निधि इस बांध के निर्माण पर खर्च की गयी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) मायाबन्दर में बांध का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मूल योजना की अनुमानित लागत ३९,९०० रुपये थी। काम आरम्भ करते समय, शिल्पिक मंत्रणा के आधार पर यह निश्चय किया गया था कि जलाशय की क्षमता १६ लाख गैलन से ४० लाख गैलन बढ़ा दी जाये और बड़े बांध का संशोधन अनुमान ७७,३०० रुपया है। अब तक ४२,४८५ रुपया खर्च किया जा चुका है।

(ख) अब तक बांध का जो हिस्सा पूरा हुआ है, वह अच्छी हालत में है और उसकी बनावट में से कहीं से पानी बाहर नहीं निकलता। बांध के मिट्टी वाले हिस्से में कुछ दोष था, और वह हिस्सा अभी बनाया जा रहा है इसलिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी हां।

(घ) उस व्यवस्था की लागत ३,७४५ रुपये है।

(ङ) जी नहीं।

हिमाचल प्रदेश में हाई स्कूल

†१४४१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल क्षेत्रीय परिषद् ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने हाई स्कूल खोले;

(ख) क्या उनकी संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) २७।

(ख) जी नहीं।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में और अधिक स्कूलों की व्यवस्था करने का विचार है।

भारत में विदेशी छात्र

†१४४२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में अभी कितने विदेशी छात्र हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि उन में से अनेक छात्रों को खाने-पीने तथा रहने की उचित व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में उनकी सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ३५५३ ।

(ख) कई छात्रों से जो खाने-पीने तथा रहने की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) ऐसे सभी मामलों में, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के छात्र सेवा यूनिट ने परिषद् द्वारा संचालित अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के छात्रावास में उन्हें रहने की जगह दिला कर या उन्हें किराये की जगह दिला कर उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए कार्यवाही की है ।

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, १९२३ के अधीन मामले

†**१४४३. श्री कालिका सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम, १९२३ (१९२३ का १९वां) की धारा ३ और ५ के अधीन और अन्य उपबन्धों के अधीन चलाये गये अभियोजन का स्वरूप और व्यौरा क्या है;

(ख) अधिक से अधिक संख्या में व्यक्तियों को इस अधिनियम का उल्लंघन करते पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें

†**१४४४. श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६० से ३० जून, १९६० तक की अवधि में पंजाब उच्च न्यायालय में निपटायी गयी लेख याचिकाओं की क्या संख्या है और उनका स्वरूप क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

याचिकायें

†**१४४५. पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सब मंत्रालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में उन याचिकाओं को प्राप्त करने की तिथि बढाने के आदेश दे दिये गये हैं जिन की आखिरी तिथि हड़ताल के दिनों में या उसके बाद निकट में पड़ती थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जी, नहीं । भारत सरकार के अधीन असैनिक रोजगार से उत्पन्न होने वाले मामलों के बारे में राष्ट्रपति के नाम याचिकाओं के भेजने, प्राप्त करने और आगे देने के लिये आदेशों में उपयुक्त मामलों में समय-सीमा की छूट की व्यवस्था है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन द्वारा इस्तेमाल किये गये शस्त्रास्त्र

†१४४६. **श्री प्र० के० देब** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सेनाओं द्वारा हमारी उत्तरी सीमा पर रूसी किस्म के शस्त्रास्त्र इस्तेमाल किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात सेनाध्यक्ष द्वारा २२ जून, १९६० में दार्जीलिंग में हुई बातचीत के दौरान प्रकट की ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सरकार को इस बारे में निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं है कि चीनी सेनाओं द्वारा हमारी उत्तरी सीमा पर रूसी किस्म के शस्त्रास्त्र इस्तेमाल किये जा रहे हैं।

(ख) २२ जून, १९६० को दार्जीलिंग में हुई अनौपचारिक बातचीत के दौरान, जब चीनी सेना द्वारा इस्तेमाल किये गये शस्त्रास्त्रों के बारे में पूछा गया तो सेनाध्यक्ष ने बताया कि चीनी सेना द्वारा इस्तेमाल किये गये शस्त्रास्त्र रूसी किस्म के थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे रूस में बने हुए थे।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद्

†१४४७. **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् के गठन को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सदस्यों के क्या नाम हैं और परिषद् के क्या कृत्य हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०४]**।

विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक

†१४४८. **श्री परूलकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रहने वाले कितने भारतीय वैज्ञानिकों और प्रविधिज्ञों ने भारत लौटने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) जनवरी, १९६० से कितने वापस आ गये हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों को उचित रूप से रोजगार पर लगा दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जनवरी, १९६० से ६९५ व्यक्तियों ने वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के 'विदेशों में भारतीय सेक्शन' में अपने नाम लिखाये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). मई, १९६० तक १४६ वापस आये हैं । इन में से ४७ रोजगार पर हैं । ४० ने कोई उत्तर नहीं भेजा है । ५९ व्यक्ति रोजगार की तलाश कर रहे हैं ।

दिल्ली में शराब की अनधिकृत बिक्री

†१४४९. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में दिल्ली में शराब की अनधिकृत बिक्री के कितने मामले पकड़े गये; और

(ख) क्या अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया और यदि हां, तो कितने मामलों में दण्ड दिया गया और कितने मामलों को सिद्ध न किया जा सका ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) ३०-६-१९६० को समाप्त होने वाली छमाही में शराब के अनधिकृत रूप से रखने और बेचने के ७६१ मामले पकड़े गये ।

(ख) जी, हां । ७६१ मामलों में से जिन में ७९९ व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे, ६०४ मामलों में, जिन में ६०४ व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे, मुकदमा चलाया गया । १५७ मामलों की, जिन में १९५ व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं, अभी जांच हो रही है । ३७५ मामलों में सजा दिलाई गयी जिन में ३७५ व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं । २२४ मामलों पर, जिन में २२४ व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं, अभी मुकदमा चल रहा है । केवल ५ मामले जिन में ५ व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं, छोड़ दिये गये ।

युवक छात्रावास[1]

†१४५०. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार युवक छात्रावास बनाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है; और

(ग) क्या इस मामले में भारत के युवक छात्रावास संस्था से परामर्श किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) अधिकतम ४०,००० रुपये प्रति छात्रावास के हिसाब से निर्माण की पूरी लागत के लिये अनुदान दिये जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

पाकिस्तान से सुई गैस

†१४५१. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रयोजनों के लिये पाकिस्तान से सुई गैस लेने के बारे में प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या व्यौरा है;

(ग) पाइप लाइन डालने पर कुल कितना धन खर्च होगा; और

(घ) क्या गैस का इस्तेमाल आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Youth Hostels.

†**खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)**: (क) इस बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं आया है और न ही कोई प्रस्ताव बनाया है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राष्ट्रीय सेवा

†१४५२. **श्री आसर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम के अध्ययन के लिये कुछ शिक्षा शास्त्रियों को अमरीका भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा-शास्त्रियों के क्या नाम हैं और उनके अध्ययन की अवधि कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). केवल एक शिक्षा-शास्त्री को, जिनका नाम श्री के० जी० सैयदन है, अमरीका समेत विभिन्न देशों में युवक सेवा के कार्यक्रमों का विशेष रूप से अध्ययन करने के लिये लगभग ४ महीनों के लिये विदेश भेजा गया है।

हाई स्कूल के विद्यार्थियों की सामाजिक व आर्थिक दशा

†१४५३. **श्री स० र० अरुमुगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय टीचर्स कालिज, कोयम्बटूर ने कोयम्बटूर जिले में हाई स्कूल के विद्यार्थियों की सामाजिक व आर्थिक दशाओं के बारे में वर्ष १९५९ के लिये अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) प्रतिवेदन की मुख्य उपपत्तियाँ क्या हैं ; और

(ग) उपपत्तियों को कार्यान्वित करने के लिये यदि सरकार ने कोई पग उठाये हैं; तो वे क्या हैं और उस में कितनी वित्तीय लागत अन्तर्ग्रस्त है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०५]**

(ग) प्रतिवेदन को छपवाया जायेगा और सब अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं और राज्य सरकारों में बाँटा जायेगा। किसी उपपति को कार्यान्विति उन पर छोड़ी जायेगी। केन्द्रीय सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं है।

तम्बाकू की खेती

†१४५४. { **श्री स० र० अरुमगम्** :
श्री गणपति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में मद्रास राज्य में कितने क्षेत्र में तम्बाकू की खेती हुई ;

(ख) इस अवधि में उत्पादन-शुल्क के रूप में कितनी धन राशि वसूल की गयी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि तम्बाकू की खेती के क्षेत्र में कमी हो गयी है और यदि हाँ, तो कितनी कमी हुई है और इस के क्या कारण हैं ;

(घ) साफ़ किये हुए तम्बाकू की कितनी मात्रा देश में खपती है और कितनी मात्रा का अन्य राज्यों को निर्यात किया जाता है ;

(ङ) क्या खाने वाले तम्बाकू का विदेशों को निर्यात किया जाता है ; और

(च) यदि हाँ, तो इसका किस देश को निर्यात किया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) :

(१) १९५८–५९ . . . ४३,४३० एकड़

(२) १९५९–६० . . . . ५१,१८६ एकड़

(ख) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क के रूप में वसूल की गयी धन राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	मूल उत्पादन-शुल्क	अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क
१९५८–५९	३,५०,४४,८९२ रुपये	३९,२१,०६३ रुपये
१९५९–६०	३,३९,६६,६५७ रुपये	३९,५०,५९९ रुपये

(ग) जी, नहीं । मद्रास राज्य में तम्बाकू की खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई है जैसा कि भाग (क) के उत्तर में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है । प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता ।

(घ)

वर्ष	मद्रास राज्य में खपी मात्रा (पौंड)	अन्य राज्यों को निर्यात की गयी मात्रा (पौंड)
१९५८–५९ .	६,९६,६०,०३४	३५,५७,८४३
१९५९–६० . . .	६,५४,४०,५८५	३९,७३,०७३

(ङ) और (च). खाने वाले तम्बाकू का सिंगापुर और मलाया को निर्यात किया जाता है ।

जनपथ, नई दिल्ली के समीप मूर्त्ति

†१४५५. **श्री शिवदत्त उपाध्याय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ और मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली के कोने में प्रदर्शित मूर्तियों और अन्य प्राचीन पत्थर की नक्काशी को किसी जगह रखने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इन मूर्तियों को किस स्थान पर रखा जायेगा ; और

(ग) इस व्यवस्था पर कितना धन खर्च होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी, हाँ ।

(ख) राष्ट्रीय संग्रहालय की गैलरियों में ।

(ग) लगभग एक हजार रुपये ।

---

† मूल अंग्रेजी में

सिंगरेनी कोयला खान के लिये रज्जुपथ

†१४५६. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश को क्षेप्यभरण के लिये एक रज्जु पथ की स्थापना के लिये कुल कितना धन दिया गया है ; और

(ख) कम्पनी ने कितना धन माँगा था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). वर्ष १९५८ में सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड ने रज्जुपथ समेत एक क्षेप्यभरण संयंत्र की खरीद और स्थापना के लिये ४० लाख रुपये के अनुदान के लिये कोयला बोर्ड से आवेदन किया था और बोर्ड ने कम्पनी द्वारा आवेदन किये गये ४० लाख रुपये में से अस्थायी तौर पर ३७ लाख रुपये का ऋण मंजूर कर दिया था। बाद में कम्पनी ने अपने ऋण का आवेदन-पत्र वापस ले लिया अतः बोर्ड ने ऋण के लिये कोई भुगतान नहीं किया ।

दिल्ली के स्कूलों में खेल-कूद

†१४५७. **श्री राम गरीब :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली के बहुत से स्कूलों के पास खेल के मैदान नहीं हैं और वे विद्यार्थियों से खेल का शुल्क वसूल करते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उन स्कूलों के क्या नाम हैं; और

(ग) क्या सरकार इन स्कूलों के अधिकारियों से तब तक खेल के लिए शुल्क वसूल न करने को कहेगी जब तक कि वे अपने विद्यार्थियों को खेल-कूद की सुविधा न दे सकें ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हाँ

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०६]**

(ग) यद्यपि इन स्कूलों के पास कोई नियमित खेल के मैदान नहीं हैं फिर भी ये स्कूल अन्दर के खेलों और बालीबॉल, बैडमिन्टन आदि की सुविधा देते हैं। विद्यार्थियों को खेल का सामान भी दिया जाता है ताकि वे दल बना कर बस्ती में अन्य मैदानों में खेल सकें। अतः कोई शुल्क वसूल न करने के लिये स्कूल अधिकारियों को आदेश देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों की आवश्यकता

†१४५८. **श्री राम गरीब :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस समय दिल्ली और नयी दिल्ली के लिये अध्यापकों की आवश्यकता का पता लगाया है और यदि हाँ, तो कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, कितने इस समय काम कर रहे हैं और सरकार अपेक्षित संख्या में अध्यापकों को कब तक भर्ती कर लेगी ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: दिल्ली और नई दिल्ली में विभिन्न सरकारी स्कूलों के लिये, जिन में इस वर्ष खोले गये स्कूल भी शामिल हैं, अध्यापकों की आवश्यकता का प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या और २६३ अतिरिक्त मंजूरशुदा पदों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। दिल्ली में १४ जुलाई, १९६० को सरकारी स्कूलों में ३५३४ पदों पर अध्यापक आसीन थे और ३० पद खाली पड़े थे। चालू वर्ष में भर्ती किये जाने वाले २६३ अध्यापकों में से २२१ पद भरे जा चुके हैं। बाकी ३३ अध्यापकों ने या तो काम सम्भाल लिया है या वे दो या तीन दिन में काम संभाल लेंगे। २१ पद विभागीय पदोन्नति द्वारा शीघ्र ही भरे जायेंगे। बाकी १८ पदों की कमी है। जैसे ही ये अध्यापक मिल जायेंगे, इनको भर्ती कर लिया जायेगा।

दिल्ली में अध्यापकों की कमी

†**१४५९. श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के द्वितीय जोन में लगभग प्रत्येक सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार क्या व्यवस्था करेगी जिस से विद्यार्थियों की पढ़ाई में हानि न हो ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी, नहीं। द्वितीय ज़ोन में ४२ स्कूलों में से लड़कों के दो स्कूलों में केवल दो ड्राइंग के अध्यापकों और लड़कियों के तीन स्कूलों में विज्ञान के तीन अध्यापकों की कमी है। दिल्ली में ड्राइंग और विज्ञान के अध्यापकों की पर्याप्त कमी है और इन स्कूलों के लिये ड्राइंग और विज्ञान के अध्यापकों की यथा सम्भव शीघ्र भर्ती के लिये पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं। तथापि अन्य स्कूलों से इन स्कूलों में ड्राइंग और विज्ञान के अध्यापक भेजने के लिये व्यवस्था की जा रही है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में हानि न हो।

दिल्ली में शिक्षा

†**१४६०. श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा के लिये संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली को तीन ज़ोनों में बाँटा गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों के माता पिता के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण के मामले में विद्यार्थियों को विभिन्न ज़ोनों में निर्धारित विभिन्न पाठ्यचर्या के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ; और

(घ) इस ज़ोनल पद्धति योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क), (ख) और (घ). सरकारी स्कूलों में योग्यता और शिक्षा के स्तर में सुधार करने के विचार से दिल्ली में स्कूलों को एक इंस्पेक्टर और एक महिला इंस्पेक्टर के देख रेख के अधीन तीन ज़ोनों में विभाजित कर दिया गया है ताकि उन के काम को अधिक निकट से देखा जा सके। ज़ोनल इंस्पेक्टर

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमली]

स्कूलों के उचित प्रशासन के लिये शिक्षा निदेशक को उत्तरदायी होंगे। स्कूलों के प्रशासनिक, योजना सम्बन्धी और वित्तीय कार्य की देख रेख के अतिरिक्त वे नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण भी करेंगे, यकायक दौरा करेंगे ताकि वहां अनुशासन बना रहे, अध्यापक वर्ग अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करें और स्कूलों के मुखियाओं की कठिनाईयों को स्थल पर ही बातचीत द्वारा सुलझाने में सहायता दी जा सके।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि सभी ज़ोनो के लिये एक ही पाठ्चर्या रखी गयी है।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि २३ अगस्त, १९६० को श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति का ७१ वर्ष की आयु में नई दिल्ली में देहान्त हो गया।

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति १९५०-५१ में अन्तर्कालीन संसद् के सदस्य थे।

हमें अपने इस मित्र के निधन पर बड़ा शोक है। मैं आशा करता हूं कि सभासद शोकग्रस्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करने में मेरे साथ हैं।

सभासद अपना दुःख प्रकट करने के लिये थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हों।

सभासद एक मिनट के लिये मौन खड़े हुए।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़सठवां प्रतिवेदन

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने इक्कीसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये :—

१. श्री बाला साहेब सालुंके

२. श्रीमती इला पालचौधरी

३. श्री लैसराम अचौसिंह

४. श्री लीलाधर कटकी

५. श्री जोगेन्द्र सेन मण्डी

---

†मूल अंग्रेजी में

६. श्री प्रभु नारायण सिंह

७. श्री पोकर साहेब

८. श्री तेवर

९. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

१०. श्री अशण्णा

११. श्री लक्ष्मण सिंह

१२. डा० क० ब० मेनन

क्या सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव---(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब २२ अगस्त, १९६० को प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव तथा तत्संबंधी संशोधनों पर अग्रेत्तर चर्चा होगी :--

"कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा के प्रारूप पर, जो १ अगस्त, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये ।"

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ में ही निवेदन कर दूं कि जहां तक किसी भी नियोजन का सवाल है , मैं महसूस करता हूं कि उस के बिना किसी मुल्क की उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये सर्वप्रथम मैं नियोजन में अपनी पूर्ण आस्था प्रकट करना चाहता हूं । मैं यह निवेदन इसलिये करना चाहता हूं कि मुझे आगे चल कर वर्तमान योजना का विरोध करना होगा, जिस शक्ल में वह बनाई गई है । लेकिन इस के कतई यह माने नहीं हैं कि मैं किसी भी तरह की योजना पसन्द नहीं करता हूं । मैं चाहता हूं कि योजना इस तरह की बनाई जाती जिसे से देश के नागरिकों में उत्साह पैदा होता, उन में यह बल आता कि वह अपने देश के नवनिर्माण में लग सकते । द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने को है, लेकिन वह बल, वह उत्साह हमें मुल्क के नागरिकों में नहीं मिलता है ।

मैं प्रधान मंत्री जी के इस कथन का स्वागत करता हूं कि ४२ फी सदी जो राष्ट्रीय सम्पत्ति की बढ़ोत्तरी हुई उस की जांच पड़ताल की जानी चाहिये । लेकिन साथ ही साथ मैं एक दूसरी बात भी कह देना चाहता हूं कि इन दो योजनाओं में जो हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हुए, खास तौर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न, इस्पात और कोयले के, उन लक्ष्यों की पूर्ति कैसे नहीं हुई, इस बात की जांच के लिये भी सरकार को तैयार रहना चाहिये, और यह जांच सरकार की किसी कमेटी की तरफ से नहीं, मुल्क के कुछ ऐसे नागरिक की तरफ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री व्रजराज सिंह]

से होनी चाहिये जो सरकार में न हों। इस तरह से ही हम मुल्क के नागरिकों में यह विश्वास पैदा कर सकते हैं कि अगर लक्ष्यों के पूरा करने में कोई गल्तियां हुई हैं तो उन गल्तियों को आगे नहीं दोहराया जायेगा। आखिर किसी योजना का क्या उद्देश्य होता है। आम तौर से यह कह देना कि देश की उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, किसी योजना की सफलता नहीं मानी जा सकती। आखिर जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों का राज्य यहां था, तब भी रेलें बनती थीं, तब भी स्टेशन बनते थे, तब भी बड़ी बड़ी इमारतें बनती थीं, यह सब कुछ होता था और बिना किसी योजना के होता था, यदि उसी गति से हम आज चल रहे हैं तो हम नहीं कह सकते कि जो हमारी योजनायें चल रही हैं, उन में हम सफल हो रहे हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम सीधी दिशा में नहीं जा रहे हैं और उसी का यह नतीजा है कि आज सरकारी लोगों को भी यह कहना पड़ता है कि योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। योजना जिन उद्देश्यों को लेकर चली है उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकारी लोग यह कहें, प्रधान मंत्री यह कहें, कि उसका इंम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है। जब प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि उस पर अमल नहीं हो रहा है तो फिर और कौन उस पर अमल करायेगा। इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिये कौन आदमी होगा इस मुल्क का कि जो उस का अमल करा सकेगा।

खाद्यान्न के बारे में आज से नहीं पिछले दस बारह साल से चर्चा हो रही है। पहले कहा गया कि सन् १९५३ तक देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन इस नारे को आज सात साल हो गए देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। अब कहा जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते मुल्क खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन मुझे शक है, क्योंकि जिस तरीके से हम तीसरी योजना के काल में खाद्यान्न की समस्या को हल करना चाहते हैं उस तरीके से सम्भवतः मुल्क तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होते होते भी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर न हो पाए।

कहा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते मुल्क में ७ करोड़ एकड़ जमीन सिंचित की जा सकेगी। आज देश में ३१ करोड़ एकड़ जमीन पर खेती हो रही है जिस में दूसरी योजना के अन्त तक सात करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस तीसरी योजना के पांच सालों में हम दो करोड़ एकड़ और जमीन में सिंचाई की सुविधाएं पैदा करेंगे जिसका नतीजा यह होगा कि तीसरी योजना के अन्त तक देश में कुल ९ करोड़ एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। फिर भी करीब एक चौथाई ही जमीन ऐसी होगी जिस में सिंचाई की सुविधा हम पैदा कर सकेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर सब से अधिक किसी चीज़ का खाद्यान्न की पैदावार पर असर पड़ता है तो वह सिंचाई का पड़ता है। इस योजना में कैमिकल फरटीलाइजर पर बहुत जोर दिया गया है। मुझे लगता है कि हमारे योजना निर्माता कुछ पश्चिम से ऐसे प्रभावित हो गए हैं कि वह हर बात को उन के ही तरीके से लेकर चलते हैं और सम्भवतः इसीलिए कैमिकल फरटीलाइजर पर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जहां तक कैमिकल

फरटीलाइजर का सवाल है, उस से अन्न की पैदावार बढ़ती है इस से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब साधनों की कमी हो तो हमें प्रायरिटीज़ तै करनी पड़ेंगी। हमको देखना होगा कि किन चीजों को पहले लिया जाए और किन को बाद में लिया जाए । अगर हमारे पास फरटीलाइजर के कारखाने स्थापित करने के लिए साधन नहीं हैं तो उनको इस समय टाला जा सकता है, लेकिन सिंचाई की सुविधाओं को टालने के मानी होंगे कि हम अपने लक्ष्यों को कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे । आप जिस तरह से दूसरी चीजों के लक्ष्य पूरा करने की बात सोचते हैं उसी तरह से खाद्यान्न के सम्बन्ध में भी आपको सोचना चाहिए । आज सात करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त है तो उसको तीसरी योजना में बढ़ा कर आपको ११–१२ करोड़ एकड़ करना चाहिए । आपको तीसरी योजना में चार पांच करोड़ एकड़ के लिए अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा पैदा करनी चाहिए। ऐसा होगा तभी जाकर हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति की बात कर सकेंगे।

हमारी खाद्यान्न की समस्या इतनी महत्वपूर्ण है लेकिन आश्चर्य है कि तीसरी योजना के काल में केवल १० लाख एकड़ पड़ती जमीन को तोड़ने का कार्यक्रम बनाया गया है । पहली योजना में २७ लाख एकड़ पड़ती भूमि तोड़ने का प्रोग्राम था, दूसरी योजना में १२ लाख पड़ती भूमि तोड़ने का लक्ष्य रखा गया और तीसरी योजना में सिर्फ १० लाख एकड़ भूमि तोड़ने का कार्यक्रम रखा गया है । कमीशन की तरफ से आंकड़े प्रकाशित हो रहे हैं और सरकारी विशेषज्ञों की तरफ से भी आंकड़े प्रकाशित होते हैं । उन से मालूम होता है कि मुल्क में ऐसी जमीन जिस पर खेती नहीं की जाती मगर की जा सकती है साढ़े पांच या ६ करोड़ एकड़ के लगभग है । इस जमीन में खेती हो सके कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो खाद्यान्न की पैदावार नहीं बढ़ सकती और खाद्यान्न का लक्ष्य पूरा नहीं होगा ।

दूसरे देश में बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है और उसका कोई हल नहीं दिखायी देता है । इस बेकारी को दूर करने के लिये जरूरी है कि लोगों को काम दिया जाए। इस के लिए ज़रूरी है कि पड़ती जमीन को तोड़ने का कार्यक्रम बनाया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें खाद्यान्न के लक्ष्य को पूरा करना है और बेकारी की समस्या को हल करना है तो दस लाख एकड़ पड़ती भूमि तोड़ने से काम नहीं चलेगा। उस के लिए आपको २ करोड़ एकड़ जमीन तोड़ने का कार्यक्रम रखना पड़ेगा। कहा जा सकता है कि इतनी भूमि को तोड़ने के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं। लेकिन आप देखें कि हमारे यहां जन शक्ति तो मौजूद है, हमारे पास एक बड़ी लेबर फोर्स मौजूद है जिसकी सहायता से हम इस जमीन को तोड़ सकते हैं। हम अगर दो करोड़ पड़ती भूमि तोड़ने की योजना बना लें और इतनी जमीन को तोड़ लें तो उसका नतीजा यह होगा कि हम ५०–६० लाख लोगों की श्रम शक्ति का उपयोग कर के उनको काम दे सकेंगे। अगर आप एक एक परिवार को इस दो करोड़ जमीन में से दस दस एकड़ जमीन देकर बसा दें तो आप बीस लाख किसानों को बसा देंगे और इस तरह से ५०–६० लाख लोगों की श्रम शक्ति का उपयोग कर के उनको काम दे सकेंगे। और साथ ही हम मुल्क में ७०–८० लाख टन ज्यादा गल्ला पैदा कर सकेंगे। इस तरह से राष्ट्रीय सम्पति बढ़ेगी ।

प्रश्न यह है कि हमें इस काम के लिये कितना रुपया चाहिए। मेरा अन्दाजा है कि सौ रुपया प्रति एकड़ से ज्यादा इस पर खर्च नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम दो सौ करोड़ रुपया खर्च करके

[श्री ब्रजराज सिंह]

दो करोड़ एकड़ जमीन को तोड़ सकते हैं। इस से मुल्क की खाद्यान्न समस्या हल होगी और साथ ही ५०–६० लाख लोगों को काम भी मिल सकेगा और इस तरह से हमारी बेकारी की समस्या भी हल होगी।

लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरह से खाद्यान्न की समस्या का हल नहीं हो सकता। आज ज्यादा जोर इंटेंसिव कल्टीवेशन पर दिया जा रहा है। उसमें खाद लगेगी, उसमें दूसरे नए नए तरीकों से काम किया जाएगा। खेती के नए नए औजार काम में लाए जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह चीज अच्छी है और इससे भी उत्पादन बढ़ सकता है। लेकिन हमें उत्पादन बढ़ाने के क्रान्तिकारी तरीकों को अपनाना चाहिए और खाद्यान्न की समस्या को हल करने के लिए तीसरी योजना के अन्त तक हमको खाद्यान्न का उत्पादन ड्योढ़ा कर लेना चाहिए।

कहा जाता है कि हमने ८ करोड़ टन अन्न का लक्ष्य बनाया था दूसरी योजना के अन्तर्गत, लेकिन अभी इस साल जो हमारा गुजर रहा है उसमें जो अन्न पैदा हुआ है वह ७·१० करोड़ टन से ज्यादा नहीं है। पिछले साल ७·३५ करोड़ टन उत्पादन हुआ था। हो सकता है कि अगले साल साढ़े सात करोड़ टन अन्न भी पैदा न हो सके। इसका अर्थ होगा कि हमको तीसरी योजना में तीन साढ़े तीन करोड़ टन अधिक पैदावार बढ़ानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हरी खाद देने से, कैमिकल फरटीलाइजर देने से और उन छोटी सिंचाई योजनाओं से जिनको आपने इस योजना में रखा है यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए आवश्यक है नई पड़ती जमीन को तोड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसमें कोई अधिक पैसा खर्च नहीं होगा।

इसी के साथ साथ जहां तक बेकारी की समस्या का सम्बन्ध है, उसके बारे में सदन में बड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी है। बेकारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमने अन्दाजा किया था कि दूसरी योजना में हम ८० लाख लोगों को काम दे सकेंगे। लेकिन अब ख्याल है कि ६५ लाख को ही काम मिल सकेगा, और जब दूसरी पंचवर्षीय योजना का अन्त होगा तब शायद पता चले कि ५०—५५ लाख व्यक्तियों को ही काम मिल सका है। इस तरह से १५—२० लाख लोग ऐसे बेकार रह जायेंगे जिनको दूसरी योजना के अन्तर्गत काम नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि तीसरी योजना के काल में हमारे यहां डेढ़ करोड़ नए लोगों की श्रम शक्ति पैदा होगी। इनमें से एक करोड़ पांच लाख को हम दूसरे तरीकों से काम दे सकेंगे। ३५ लाख को हम काम दे सकेंगे खेती से। मेरा ख्याल है कि आप ३५ लाख लोगों को खेती में अगर काम देना चाहते हैं तो आपको पड़ती भूमि को तोड़ने का बड़े विस्तृत पैमाने पर प्रोग्राम बनाना होगा। तभी उनको काम मिल सकेगा। लेकिन मान लिया जाए कि ३५ लाख को खेती में काम मिल सकेगा और १ करोड़ पांच लाख को दूसरे तरीकों से आप काम दे सकेंगे तो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो देश में श्रम शक्ति पैदा होगी उसमें से भी दस लाख लोग ऐसे होंगे जो बेकार रहेंगे। इनके अतिरिक्त पहले से बहुत बड़ी संख्या में लोग बेकार चले आ रहे हैं। इस तरह से यह बेकारों की फौज लगातार बढ़ती चली जाएगी। इन बेकारों को काम देने का कौन सा जरिया हमारे पास है। मेरा निवेदन है, कि इस समस्या को हम खेती की पड़ती जमीन को तोड़ कर ही हल कर सकते हैं। दूसरा साधन छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है।

मुझे अफसोस है कि छोटे उद्योगों के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिर्फ ढाई सौ करोड़ रुपया रखा गया है । अगर हमें अपनी तीसरी योजना को सफल बनाना है और बेकार लोगों को काम देना है तो इस तरफ अधिक ध्यान देना आवश्यक है और छोटे उद्योगों के लिए कम से कम पांच ६ सौ करोड़ रुपया देना चाहिये ।

इस योजना में जहां तक भारी उद्योग जैसे इस्पात, कोला, तेल आदि दूसरी चीजें हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ मित्रों ने आलोचना की है । मैं मानता हूं कि इसमें बहुत खर्च होता है और यह भी मैं मानता हूं कि इस खर्च को कम किया जा सकता है । सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये । लेकिन जहां तक कोयला, इस्पात, तेल आदि वस्तुओं का सम्बन्ध है इन चीजों का उत्पादन कम नहीं होना चाहिए । अगर हमें अपने उद्योगों को बढ़ाना है तो इनका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा । इसलिए जहां तक इन उद्योगों का सवाल है मैं इनका समर्थक हूं । हमारे यहां भारी उद्योग भी हैं और छोटे उद्योग भी हैं और मैं दोनों को बढ़ावा देने की बात करता हूं । कहा जा सकता है कि आखिर इनके लिए हम रुपया कहां से लायेंगे । इसका मैं आगे उत्तर दूंगा । लेकिन किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए किसी भी मुल्क की उन्नति करने के लिए भारी उद्योगों का विकास होना आवश्यक है । जब तक भारी उद्योगों का विकास नहीं होगा राष्ट्र की सम्पत्ति के रूप में तब तक राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग भारी उद्योगों का विरोध करते हैं, उन का दृष्टिकोण बदल जाय और उन को विश्वास हो जाय कि अगर मुल्क का विकास करना है, तो भारी उद्योगों की उन्नति के बगैर वह नहीं हो सकता है ।

यह प्रश्न उठता है कि भारी उद्योगों के संबंध में इस्पात और कोयले की जरूरत पड़ती है और उन दोनों में लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है । अभी हमारे इस्पात मंत्री कह रहे थे कि जब किसी पलांट को बने हुये दो साल पूरे हो जाते हैं, तब हम उस में पूरा उत्पादन कर सकते हैं । किसी प्लांट में उत्पादन कितने दिन में किया जा सकता है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि वहां उत्पादन जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, वह हम करे । हम देखते हैं कि राउरकेला में तीसरी धमन भट्टी तैयार है, लेकिन अगर वहां कोयला या कच्चा लोहा न मिलने की वजह से काम न चले, तो इस से मुल्क की बरबादी होती है, शक्ति बरबाद होती है और उत्पादन को भी क्षति होती है । मैं चाहूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को चलाते हुये सरकार का ध्यान इधर जाये ।

जहां तक यातायात, ट्रांस्पोर्ट का सवाल है, रेलों के संबंध में कहा गया है कि १२०० मील की नई रेलवे लाइन बनाई जायेंगी, लेकिन वह रेलवे लाइन केवल ऐसी जगहों पर बनाई जायेंगी, जहां उद्योगों का कोई संबंध हो, या ऐसा कोई कारण हो कि रेल के बिना काम नहीं चल सकता । मैं यह मानता हूं कि नई रेलवे लाइन डालने पर जितना खर्चा पड़ता है, उसको देखते हुये अब इस बात की जरूरत नहीं रह गई है कि हम बड़े पैमाने पर रेलवे का विकास करें । हमें जोर देना चाहिये सड़कों के विकास पर । लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितनी सड़कें बनाने का लक्ष्य है, वह बहुत कम पड़ेगा । अगर सड़क बनाने का काम बड़े पैमाने पर हाथ में ले लिया जाये, तो यातायात की स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है । उसमें अधिक पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । जिन क्षेत्रों में सरकार सड़कें बनाना चाहे, वहां की जनता को वह तैयार करे कि वह स्वेच्छा से श्रम दे और मिट्टी का काम अपने आप करे । इससे कम खर्चे पर सड़कें बन सकेंगी और इससे बेकारी की समस्या को हल करने में भी सहायता मिलेगी ।

[श्री ब्रजराज सिंह]

जहां तक समाज-सेवाओं, सोशल सर्विसिज़ का सवाल है, एक ऐसी बात कही गई है, जिसको प्रतिगामी, रीएक्शनरी कहा जा सकता है, । तृतीय पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट आउटलाइन में वह बात नहीं है, यद्यपि यह कहा गया है कि छः साल से ग्यारह साल तक के बच्चों के लिये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायगी, हालांकि उसके बारे में अभी आशंकायें जाहिर की जा रही हैं कि संभवतः तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा । संविधान में कहा गया है कि १४ साल तक के बच्चों के लिये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी । अब उसमें तीन साल घटाये जा रहे हैं । अगर प्राइमरी शिक्षा को हम छोड़ दें, तो जहां तक विश्व-विद्यालय की शिक्षा का सवाल है, उसके बारे में यद्यपि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मंत्री-मंडल की तरफ से यह निश्चय किया गया बताया जाता है, जिसका जिक्र शिक्षा मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री महोदय ने भी किया है, कि जो बच्चे कालेज या विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहेंगे, उनके दाखिल होने पर रोक लगेगी । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही प्रतिगामी कदम है और इससे देश में बहुत असन्तोष फैला है । आखिर इसके क्या नतीजे निकलेंगे ? अगर हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में साफ तौर से यह व्यवस्था नहीं करते हैं कि जो बच्चे विश्वविद्यालय की शिक्षा लेना चाहते हैं, अगर हम उनको उस शिक्षा से रोकते हैं, तो उनके लिये दूसरा काम देना पड़ेगा, चाहे वह टेक्निकल एजूकेशन हो, चाहे नौकरी वगैरह हो, और जब तक ऐसा प्रबन्ध नहीं किया जाता है, तब तक विश्वविद्यालय के दरवाजे किसी के लिये बन्द नहीं किये जायेंगे, तो देश में उससे बड़ा भयंकर असन्तोष फैल सकता है । इसका नतीजा यह हो सकता है कि चूंकि पिछड़े हुये लोगों के बच्चे उन लोगों के बच्चों से, जो आगे बढ़े हुये हैं, जरूरी तौर पर कम होशियार होंगे, और इसलिये उनको उतने मार्क्स नहीं मिल सकेंगे, जितने कि आगे बढ़े हुये लोगों के बच्चों को मिल सकते हैं, इसलिये दबे हुये, पिछड़े हुये लोगों के बच्चे हमेशा हमेशा के लिये कालेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा से वंचित रह जायेंगे । मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस प्रतिगामी कदम पर अमल न करे, जिससे कालेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा पर रोक लग जाये ।

एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिन साधनों से हम इस तृतीय पंचवर्षीय योजना को चलाना चाहते हैं, वे साधन जिस तरह से सरकार प्राप्त करना चाहती है, वे उसी तरह से प्राप्त किये जाने चाहियें, या किसी और तरह से प्राप्त किये जाने चाहियें । मैं साफ तौर से यह कहना चाहता हूं कि मुल्क में करों की जो स्थिति है, वह ऐसी नहीं है कि जिसमें हम ऐसे करों को लगा सकें, जिन का जनता पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है । मैं यह भी मानता हूं कि तृतीय पंच वर्षीय योजना महत्वाकांक्षी नहीं है —उसको और बढ़ाया जा सकता है मुल्क की परिस्थितियों और जरूरतों को देखते हुये— और दूसरी तरफ मेरा कहना है कि हम और नये कर नहीं लगा सकते । यह प्रश्न किया जा सकता है कि तो फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना किस तरह चलेगी । मैं यह सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं और चाहूंगा कि सरकार उस पर विचार करे ।

हमने कहा है कि १६५० करोड़ रुपये के नये टैक्स लगेंगे । इसके साथ ही साथ ४४० करोड़ रुपये पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज़ के मुनाफे से मिलेंगे । यह मुनाफा क्या है ? यह भी एक तरह से नया कर होगा, जो कि १६५० करोड़ रुपये में जुड़ेगा । ७५ करोड़ रुपये हमको सुधार-कर, बैटरमेंट लैवी, से मिलेंगे । यह भी एक नया कर होगा । इस तरह हम देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिर्फ १६५० करोड़ रुपये के नये कर नहीं होंगे, बल्कि २१००, २२०० करोड़ रुपये के नये कर लगाये जा रहे हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम ने १,००० करोड़ रुपये के नये कर लगाये । तृतीय पंचवर्षीय

योजना में २१००, २२०० करोड़ रुपये के नये कर लगाये गये, तो इसका मतलब यह है कि कर दुगने से ज्यादा हो जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुल्क की ऐसी स्थिति नहीं है कि जिस में हम इतने नये कर लगा कर उनको अच्छी तरह से वसूल कर सकें।

यह कहा जाता है कि अब खास तौर पर किसानों और मजदूरों की हालत सुधर रही है। किसानों के बारे में कहा जाता है कि वे अब रेडियो-सेट रखने लगे हैं, पक्के मकान बनाने लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कितने किसान ऐसे हैं, जिनके पास रेडियो सेट हैं। जिन्होंने पक्के मकान बनवाये हैं, या सोना खरीदा है। अगर सरकार इस बारे में कोई जांच पड़ताल करे, तो पता चल जायेगा कि किसान जितना पहले सोना खरीद सकते थे या पक्के मकान बवना सकते थे, अब वह स्थिति नहीं है।

जहां तक साधनों का सवाल है, एक तो विदेशी व्यापार को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। विदेशी व्यापार से हम काफी कुछ ले सकते हैं, अगर सरकार उसको अपने हाथ में लेने के लिये तैयार हो जाये।

इम्पोर्ट कन्ट्रोलर के दफ्तर से १५—६—६० को बाहर से इस्पात मंगाने, स्टील इम्पोर्ट करने के बारे में कुछ आंकड़े निकाले गये। करीब डेढ़ लाख टन इस्पात बाहर से आना है। उसमें से एक पार्टी को, जो कि पांच विभिन्न नामों से काम करती है, ६५,८६८.२५ टन के लाइसेंस मिले। उनमें से मैसर्ज अमीन चन्द प्यारे लाल, मैसर्ज स्टील रोलिंग मिल्ज़ आफ हिन्दुस्तान, प्राइवेट लिमिटिड और मैसर्ज अप्पा जे प्राइवेट लिमिटिड, इन तीन फर्मों का दफ्तर १३५, केनिंग स्ट्रीट कलकत्ता में है और मैसर्ज रामकिशन कुलवन्त राय और मैसर्स मैटल इम्पोर्ट्ज़ प्राइवेट लिमिटिड, इन दो फर्मों का दफ्तर ३३, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता में है। इनको ये लाइसेंस दिये गये हैं। मेरी सूचना यह है कि ये पांच फर्में एक ही व्यक्ति की हैं। यह जो डेढ़ लाख टन इस्पात बाहर से मंगाया जा रहा है, उस में आधा इस तरह का है, जिसका लाइसेंस एक ही व्यक्ति को दिया गया है।

आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी) : लेकिन सरकार को किस तरह मालूम होगा।

श्री ब्रज राज सिंह : ये सरकार के ही आंकड़े हैं, जो उसने १५—६—६० को इम्पोर्ट कंट्रोलर के दफ्तर से प्रकाशित किये हैं।

अब वक्त आ गया है कि सरकार इस फारेन ट्रेड का राष्ट्रीयकरण कर दे, जिस से हम देश की योजनाओं को चलाने के लिये पैसा पा सकें। हमारे यहां जो विदेशी पूंजी है, और उससे इतना मुनाफा हासिल किया जा चुका है, जो कि पूंजी से भी अधिक हो गया है। ऐसी विदेशी पूंजी का भी हमको राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये और उस तरह से साधन उपलब्ध करने चाहियें।

हमारे देश में जो भारी उद्योग हैं, चाहे वह कपड़ा उद्योग हो, चाहे कोई इस तरह का दूसरा उद्योग हो, जिन से उद्योगपति काफी मुनाफा उठा चुके हैं, उनका भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। तब प्रश्न उठेगा कि राष्ट्रीयकरण करने के लिये हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार को औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में और संविधान में भी यह संशोधन कर देना चाहिये कि ऐसे मामलों में राष्ट्रीयकरण करने के लिये किसी मुआवजे की जरूरत नहीं रहेगी। अगर इस तरह का संशोधन कर लिया जायगा, तो इस योजना को अच्छी तरह से सफल बनाया जा सकता है। अगर सरकार इस के लिये

[श्री ब्रजराज सिंह]

तैयार नहीं है, तो मुझे खतरा है कि इन योजनाओं को सफल नहीं बनाया जा सकेगा। अगर सरकार यह क्रांतिकारी कदम उठाने के लिये तयार है, तो उन लोगों के विरोध के बावजूद, जोयो जनाओं में विश्वास नहीं करते हैं और जिन्होंने मुल्क में चिल्ल-पों मचा रखी है, कि यह प्लान सोशलिज्म की तरफ जाता है —मैं मानता हूं कि यह प्लान सोशलिज्म की तरफ नहीं जाता है, समाजवाद की तरफ नहीं जाता है —उनके बावजूद सरकार इस प्लान को सफल बना सकेगी और उसका नतीजा यह होगा कि जिन लोगों की चिल्ल-पों चल रही है, चाहे वे सरकार में हैं, या बाहर हैं, जिन लोगों को स्वतंत्र पार्टी के लोग कहा जाता है, वे हिन्दुस्तान से ऐसे गायब हो जायेंगे, जैसे गधे के सिर से सींग।

†**महाराजकुमार विजय आनन्द** (विशाखापटनम) : तृतीय पंचवर्षीय योजना के इस बढ़िया प्रारूप के लिये मैं योजना आयोग को बधाई देता हूं। विरोधी सदस्य, हो सकता है कि, इसकी आलोचना करे लेकिन वह आलोचना आलोचना की दृष्टि से ही होगी। कोई भी देश जो योजना नहीं बनाता, भविष्य का ख्याल नहीं करता और वैसे ही कार्य करता है उसकी स्थिति अच्छी नहीं रहती। स्वतंत्रता के बाद से हम बराबर उन्नति कर रहे हैं। हमारी समृद्धि बढ़ रही है। हमारे देश में धन की वृद्धि भी हुई है और लोगों में खुशहाली भी। अब हम तीसरी योजना की ओर बढ़ रहे हैं आशा है कि सभी लोग सहयोग देंगे। और इस सहयोग के आधार पर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।

जमींदारी उन्मूलन से किसानों को उतना लाभ नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिये था। अतः एक ऐसा विधान बनाना चाहिये कि योजना आयोग द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को अधिक से अधिक भूमि मिले। इन व्यक्तियों के कल्याण के लिये अधिक से अधिक कार्य किया जाना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि जनता पर करों का भार कुछ अधिक पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि यह कर धनवान लोगों से ही लिया जाये।

कुटीर उद्योगों के विपक्ष में तो मैं नहीं हूं लेकिन मेरा विचार है कि मशीनीकरण अधिक करना चाहिये तभी हमारा देश विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रों जैसे अमरीका तथा रूस के बराबर हो पायेगा क्योंकि उनकी वृद्धि का कारण भी उद्योगों में मशीनीकरण करना है।

योजना आयोग से मेरा एक अनुरोध है कि देश में जो हजारों लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं उनकी दशा ठीक की जाय और उन्हें वहां के जीवन से मुक्ति दिलाई जाये। इसके अलावा वहां से बीमारी भी फैलती है। आशा है कि तीसरी योजना में इनके लिये अवश्य ही कुछ किया जायेगा। दिल्ली में भी इन गन्दी बस्तियों के स्थान पर पक्के मकान बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

आंध्र में काफी मात्रा में खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। मेरा ऐसा विचार है कि इसकी अवहेलना की गई है। मेरा निवेदन है कि विशाखापटनम में भारी डीजल कारखाने की स्थापना की जाये।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** (एलुरु) : दूसरी योजना की समाप्ति तक हम विकास की योजनाओं के लिये निर्धारित धनराशि का ९० प्रतिशत व्यय कर चुकेंगे और हमारे लक्ष्य ७० अथवा ७५ प्रतिशत पूरे हो पायेंगे। कृषि उत्पादन को लीजिये। संभव है कि ७५० लाख टन खाद्यान्नों के उत्पादन का हमारा लक्ष्य पूरा हो जाये। परन्तु मैं समझती हूं कि हमें अलग अलग खाद्यान्नों

---

†मूल अंग्रेजी में

के उत्पादन के आंकड़े इकट्ठे करके देखना चाहिए कि किस अनाज में कितनी वृद्धि हुई है। अर्थात् हमें प्रत्येक अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने की नीति बनानी चाहिए।

हम सभी चाहते हैं कि योजनायें पूरी हों क्योंकि वह अच्छे उद्देश्य से बनाई गई हैं। परन्तु प्रधान मंत्री ने ठीक ही बताया है कि इन योजनाओं की क्रियान्विति में कुछ कमी है। मैं उनके इस कथन से सहमत हूं। आप देश के किसानों की आय देखिये। आंकड़ों से पता लगता है कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय १९४९ में १६८ रुपये, १९५१ में १९२ रुपये, १९५४ में २०० रुपये, १९५५ में २०१ रुपये, १९५७ में २०८ रुपये तथा १९५८ में १९५ रुपये थी। अर्थात् कृषि उत्पादन समान रूप से नहीं हुआ था। हमें पता लगाना चाहिये कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बारे में खाद्य तथा कृषि विभाग ने सर्वेक्षण किया था जिसके निष्कर्ष बड़े रोचक हैं। उन्होंने स्पष्टि रूप में बताया है कि छोटे किसानों के पास केवल ३० प्रतिशत खाद्यान्न ही बेचने के लिये बच पाता है। परन्तु जमींदार अपनी उपज का ७० प्रतिशत बाजारों में बेच सकते हैं। इस प्रकार हमें पता लगता है कि मूल्य बढ़ने का लाभ छोटे किसानों के बजाय बड़े जमींदारों को ही होता है। यह बड़े जमींदार पूंजीपति भी होते हैं इसलिये अपनी उपज को धीरे धीरे बाजार में भेजते हैं जिससे मूल्यों में कमी न आ पाये जब कि छोटे किसान उपज को रोक नहीं पाते और सस्ते में ही उसको बेच देते हैं। हमें सब से पहले इसी समस्या को हल करना चाहिए। योजना आयोग तथा सरकार को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे पूरे वर्ष मूल्य एक समान ही रहें।

अब आप देश की निर्यात स्थिति को लीजिये। संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण प्रतिवेदनों से पता लगता है कि विश्व का व्यापार पहले से तीन गुना बढ़ गया है। जब कि हम कच्चा माल निर्यात करने में अग्रगी हैं तब भी हमें इस बढ़े हुए व्यापार का एक प्रतिशत भी नहीं मिलता है। हमारा कहना है कि जूट उद्योग पर हमारा पूरा आधिपत्य है। परन्तु उससे हमें क्या मिला है; कुछ भी नहीं; क्योंकि जब भी हमने जूट के भाव बढ़ाने के बारे में सोचा हम ऐसा नहीं कर पाये। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हमें अपना निर्यात बढ़ाने के लिये एक नियमित और आयोजित कार्यक्रम बनाना चाहिए। मैं समझती हूं कि यदि हम ऐसा कर पाये तो पर्याप्त विदेशी मुद्रा हमें मिल सकेगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि देश में तेज़ी से औद्योगीकरण के कारण बहुत से बेकार किसान उद्योगों में लग जायेंगे। मैं समझती हूं कि ऐसा संभव नहीं है। हमें अपनी कृषि योजना का ढांचा बदल देना चाहिए। हमने सोचा है कि हम भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देंगे। परन्तु देश के सभी राज्यों में हम अभी ऐसा नहीं कर पाये हैं। बाढ़ और अकाल को रोकने के बारे में भी सरकार कुछ नहीं कर पाई है।

यदि हम संसद सदस्य इस बारे में कुछ सुझाव देते हैं तो योजना आयोग हमारे उन सुझावों पर कोई ध्यान नहीं देता है। मंत्रि-मंडल को तो संसद् में अपने कृत्यों के बारे में जवाब भी देना होता है परन्तु योजना आयोग सर्वोपरि है। हम योजना आयोग से कुछ पूछ नहीं सकते। यह एक अजीब स्थिति है।

यह सवाल ठीक ही है कि बढ़ी हुई आय कहां गई, इसकी हमें जांच करनी चाहिए। मैं तो समझती हूं कि बढ़ी हुई आय थोड़े से अल्पसंख्यकों की बपौती है और अधिकांश जनता गरीब है। मैं चाहती हूं कि अन्य राजनैतिक दल भी इस प्रकार के सुझाव दें जिससे इस समस्या को हल किया जा सके।

[कुमारी मो० वेदकुमारी]

मुझे पता लगा है कि केन्द्रीय सरकार ने ७३० करोड़ रुपये की केन्द्रीय योजनायें राज्यों के लिए बनाई हैं। परन्तु खेद की बात है कि आंध्र प्रदेश के लिए केवल एक योजना १२.३७ करोड़ रुपये की निश्चित की गई है। मेरा निवेदन है कि हमें क्षेत्रों के साथ भेदभाव की भावना नहीं बरतनी चाहिए और सभी क्षेत्रों के लिए बराबर बाराबर आवंटन करना चाहिए।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : देश के सामने आज तीसरी पंचवर्षीय योजना पेश की गई है। हमारी हालत इतनी गयी गुजरी नहीं है जितनी कि आनरेबिल मेम्बरों ने बतायी है। आनरेबिल मेम्बर्ज़ की मायूसी देख कर के ऐसा मालूम देता है कि वे ऐसे भंवर में पड़ गये हैं कि न डूबते बनता है और न निकलते बनता है।

लेकिन कुछ भी कहो, इसमें जरा भी सन्देह और शक नहीं है कि पहली और दूसरी योजनाओं में काफी कामयाबी मिली। हां जितनी तरक्की और उन्नति हम चाहते थे वह नहीं हो पायी। लेकिन यह सही है कि इन दोनों योजनाओं ने हमारे देश की शक्ल को और नक्शे को बदल दिया है।

अब तीसरी योजना हमारे सामने है। मुझे इस योजना के बारे में और जितनी भी और योजनाएं देश के सामने आएंगी उनके सब के बारे में यही कहना है कि वह किसी खास पार्टी या फिरके की नहीं हैं। वह सारे के सारे देश की हैं। कल मेरे भाई कृपालानी जी ने कहा था कि जब मैं खड़ा होकर इस प्लान पर बोलता हूं तो मैं किसी पार्टी का नुमायन्दा होकर नहीं बोलता। इसी तरह से हमको इस योजना को बरतना है। यह योजना हम सब की है। यह किसी खास बिरादरी या पार्टी की नहीं है। और अगर इस योजना के नक्शे में कुछ कमियां हैं तो देश का हर बन्दा इस बात का पूरा हकदार है कि वह उस नक्शे को बदले।

सबसे पहली चीज जो कि योजना के वास्ते जरूरी है वह योजना पर पूरा भरोसा और विश्वास का होना है। बिना विश्वास और भरोसे के योजना आगे नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा दो और चीजें योजना के लिये जरूरी हैं और वह हैं परिश्रम और सेवा। इन तीनों चीजों के बिना हम योजना को कामयाब नहीं बना सकते। उसके लिये विश्वास, परिश्रम और सेवा की बड़ी आवश्यकता है। और सेवा भी केवल दिखाऊ सेवा न हो बल्कि दिल से सेवा हो। अगर ये सब चीजें हों तो कोई वजह नहीं है कि हमारी योजना सफल न हो। दोनों तरफ से कुछ आनरेबल मेम्बर्ज़ ने जोशीली और गुस्से से भरी स्पीचिज़ दीं। मैं उनका गुस्सा समझ सकती हूं। उनकी परेशानी मेरी समझ में आ सकती है। लेकिन मैं समझती हूं कि मेरे भाई यह अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम जब हम करने लगते हैं, अच्छाई के लिये कोई भी परिवर्तन जब हम देश में करते हैं, तो उसमें तकलीफों और मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन जो बहादुर कौम होती है और जो आगे बढ़ना चाहती है, उसका पहला फ़र्ज यह होता है कि वह उन मुश्किलों को पार करे और उन तकलीफों का सामना करे।

हमारे साउथ के एक भाई ने एक बहुत परेशानी की बात कही। उन्होंने बयान दिया कि उनके यहां रेलवे लाइन नहीं है और जब वे रेलवे मिनिस्टर से वहां रेलवे लाइन बनाने के लिये कहते हैं, तो जवाब मिलता है कि हम नहीं बनायेंगे, क्योंकि तुम्हारे इलाके में इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट नहीं हुआ है और जब वे इंडस्ट्री वालों को कहते हैं कि साहब, हमारे यहां कोई इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट हो, तो उनको कहा जाता है कि तब करेंगे जब तुम्हारे यहां रेलवे लाइन होगी। हालत यह है कि

रेलवे वाले कहते हैं तुम्हारे यहां इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट नहीं है और इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट वाले कहते हैं कि तुम्हारे यहां रेलवे लाइन नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब वह बयान कर रहे थे कि उनको कितनी मुसीबत हुई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। गवर्नमेंट को इसका कोई हल निकालना चाहिए।

पांडे जी ने व्याख्यान देते हुए दो तीन बातों का चर्चा किया। उन्होंने कहा कि जितना भी पैसा हो, उस सब को तीसरी योजना में लगाना चाहिए। इस बारे में उन्होंने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ों में फ़िज़ूल ख़र्च कर रहे हैं। एक तो उन्होंने भारत सेवक समाज का ज़िक्र किया और कहा कि इस में हमारा ढेरों रुपया बह रहा है। दूसरे उन्होंने साधू समाज का ज़िक्र किया और कहा कि उस में हमारा रुपया ज़ाया हो रहा है। तीसरे उन्होंने सोशल वैलफ़ेयर बोर्ड का चर्चा किया और कहा कि उस में बेकार रुपया जा रहा है। चौथी चीज़, जिस का उन्होंने ज़िक्र किया है कल्चरल शोज़, जिस के बारे में उन्होंने कहा कि वह बेकार चीज़ है और जितना रुपया उस में ख़र्च होता है, वह सब रुपया तीसरी योजना में हम को ख़र्च करना चाहिए। मुमकिन है कि उन का यह विचार ठीक हो, लेकिन मुझे पांडे जी से यह ज़रूर कहना है कि जितनी चीज़ों का उन्होंने ज़िक्र किया है, वे सब इस प्लान के पुरज़े हैं, इस प्लान के टुकड़े हैं, जो कि प्लान से जुदा नहीं किये जा सकते हैं। यह ज़रूर है कि अगर आप को कहीं और रुपया बहता दिखाई देता है, तो उस को रोकिये। लेकिन जहां तक सोशल वैलफ़ेयर बोर्ड का ताल्लुक है, उस ने स्त्रियों में बहुत काम किया है। उस ने स्टेट्स में घूम घूम कर मिशनरी स्पिरिट से औरतों में काम किया है और अब भी कर रहा है। उस ने औरतों में शिक्षा फैलाने और उन को इकानोमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जितनी मेहनत की है, वह कोई दूसरा नहीं कर सकता है।

जहां तक कल्चरल शोज़ का ताल्लुक है, मेरी राय यह है कि अगर किसी इन्सान में कल्चरल बैकग्राउंड नहीं है, अगर वह म्यूज़िक को पसन्द नहीं करता है, नाच को देख कर घबराता है, तो उस में बहुत कमी है। इन्सान की ज़िन्दगी के लिए यह ज़रूरी है कि उस को कल्चरल शोज़ में दिलचस्पी हो।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : वह रोटी के बाद होता है।

श्रीमती उमा नेहरू : सब से बड़ा सवाल यह है कि इस योजना को हम किस तरह से देश में लागू करें और कैसे उस में सफलता हासिल करें। हमारे सामने असली सवाल यही है। हमारी पिछली योजनाओं ने इस देश में तरक्की की नींव डाल दी है। उन्होंने इंडस्ट्रियल पालिसी की नींव डाली है। आज देहातों की शक्ल बिल्कुल बदली हुई है। अगर आप देहात में जायें, तो आप देखेंगे कि हर जगह कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स का काम हो रहा है, नैशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक्स चारों तरफ़ दिखाई देते हैं और इस के अलावा औरतों और बच्चों के चेहरों पर रौनक सी दिखाई देती है। आज गांवों के लोग आपस में बैठ कर पंचायतों की बातें करते हैं कि हमारी पंचायतें कैसी होंगी, हमारे बच्चों को शिक्षा कैसी मिलेगी। आज देहातों में विलेज को-आपरेटिव सोसायटीज़ और को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज़ का जिक्र है।

बच्चों की शिक्षा के बारे में लोग परेशान हैं। उस के बारे में मुझे यह कहना है कि रूरल इंडिया और अरबन इंडिया दोनों में कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन जारी करने के साथ साथ बच्चों को खाना भी दें, दूध भी दें और नाश्ता भी दें। देश के बच्चे बहुत ग़रीब हैं और देश की

स्थिति बहुत खराब है। सरकार को चाहिए कि वह इन बच्चों को अच्छी तरह खिलाने-पिलाने का इन्तज़ाम करे और शिक्षा भी दे, ताकि देश के ये छोटे छोटे पौधे बढ़ें और खूब अच्छे हरे-भरे पेड़ हों।

योजना की जान एग्रीकल्चर है। मेरी राय में एग्रीकल्चर की तरक्की होनी चाहिए और लैंड रिफ़ार्म्ज़ को प्रायर्टी दी जानी चाहिए। काटेज इंडस्ट्रीज़ के ज़िन्दा होने से अन-एम्पलायमेंट का प्रश्न बहुत कुछ हल हो सकता है। हर काटेज इंडस्ट्री को सेल्फ़-सफ़िशेन्ट होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर में तरक्की हो और काटेज इंडस्ट्रीज़ पनपें, तो अंडर-एम्पलायमेंट और अन-एम्पलायमेंट का प्रश्न हम बहुत हद तक हल कर सकते हैं।

कल कुछ आनरेबल मेम्बर्ज़ ने गवर्नमेंट सर्विसिज़ के बारे में भी चर्चा किया। इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि जो गवर्नमेंट सरवेंट्स हैं, वे इस सरकार के हाथ पैर हैं। अगर आप सरकार के हाथ पैरों को बेकार और निकम्मा बनाना चाहते हैं, तो आप की यह योजना भी चल नहीं सकेगी।

ज्यादा न कह कर मैं दो एक बातें कह कर खत्म करती हूं। एक तो यह कि इस योजना में एग्रीकल्चर पर ज्यादा ज़ोर देना चाहिए। दूसरे यह कि फूड प्राडक्शन को बढ़ाना चाहिए, ताकि यहां उस की सैल्फ़-सफ़िशेन्सी हो। तीसरे, कालेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है। चौथे, टैक्निकल और साइंटिफ़िक एजूकेशन को बढ़ाना है। पांचवें, गांवों में बिजली को लाना है और जल्दी से जल्दी देश के स्लम्ज़ को मिटाना है।

मैं इस तीसरी योजना का स्वागत करती हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम परिश्रम से और त्याग से इस योजना को सफल बनायेंगे।

श्रीमती कृष्णा मेहता: (जम्मू तथा काश्मीर): माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग को मैं प्रथम तथा दूसरी योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए बधाई देती हूं। देश की उन्नति की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं यह गम्भीरता से सोचने और देखने की बात है प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले भारत का क्या चित्र था और अब क्या चित्र है, इसे हमें देखना है। एक बदलते हुए नये भारत का चित्र जनता के सामने आ रहा है। एक योजना के समाप्त होने पर और दूसरी के आरम्भ होने पर हमें देखना है कि देश कितना आगे बढ़ा है।

आज यहां पर तीसरी पंचवर्षीय योजना पर वाद-विवाद चल रहा है। इस में चालीस करोड़ जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की शुभ-कामनाओं की रूपरेखा है। चाहे कितनी ही त्रुटियां और कितनी ही कमियां योजना में रह गई हों, ऐसा कहना कि यह फेल हो गई है, सचाई की बात नहीं है, सत्य बात नहीं है। अगर हर एक आदमी अपने हृदय पर हाथ रख कर पूछे कि हमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है और उस दृष्टि से देखे तो उसको अपनी आत्मा से यह आवाज़ आयेगी कि हम काफी आगे बढ़े हैं। परन्तु मैं इस के साथ साथ यह भी कहना चाहती हूं कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि जिस जिस चीज़ को ज्यादा सहायता देने की आवश्यकता हो, उस चीज़ को ज्यादा सहायता दी जाये। जहां तक खाद्य का सम्बन्ध है, मैं समझती हूं कि भारत को अनाज के उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर होना चाहिये और ऐसा करने के लिए जितनी भी मेहनत हम को करनी पड़े हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस काम के लिए हमें जितना

रुपया भी चाहे खर्च करना पड़े, खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिये। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि भारत की जनता को पेट भर कर भोजन मिले और अपने ही देश का भोजन भारत की गरीब जनता को मिले तब गरीब जनता समझेगी कि हमें सफलता मिली है।

यह ठीक है कि अमरीका से एक शानदार समझौता हुआ है जिस के अनुसार लगभग १ करोड़ ६० लाख मेट्रिक टन गेहूं और १० लाख मेट्रिक टन चावल हमारे देश में आयेगा जिसका मूल्य लगभग ६०७ करोड़ रुपया होगा। उसके साथ ही एक संग्रह भंडार बनाने की भी योजना है। इस सब के फलस्वरूप मैं आशा करती हूं कि खाद्यान्न के जो मूल्य हैं वे नहीं बढ़ेंगे और इस के साथ ही साथ जो दैनिक उपभोग की वस्तुयें हैं, उनके मूल्य भी नहीं बढ़ने पायेंगे। यदि ऐसा हो सका, यदि हमने मूल्य न बढ़ने दिये और उत्पादन बढ़ाने में सहायता पहुंचाई, तो मुझे आशा है कि भारत की जनता बहुत ऊपर उठ सकेगी और हमारी यह जो एक कठिनाई है, वह हल हो जायेगी। यह समस्या तो इस तरह से हल हो सकती है लेकिन जो जड़ है, उसको भी तो हमें मज़बूत करना है और जब हम उसको मजबूत कर लेंगे तो हमारा जो काम है वह मजबूती से चल सकेगा। जो अनाज भारत में लाया जायेगा, तो, अगर मैं ठीक कह रही हूं, लगभग ९२ करोड़ रुपया फ्रेट का देना पड़ेगा। इसी तरह से सन् १९६४ में जापान को ४ मिलियन टन आयरन-ओर भेजा जायेगा उस पर भी कई करोड़ रुपया वार्षिक देना पड़ेगा और यह १५ वर्ष तक इसी हिसाब से देते रहना पड़ेगा। ऐसी हालत में क्या यह सही नहीं है कि हम भारत में ही जहाज़रानी के उद्योग को सहायता पहुंचायें ? क्या यह सही नहीं होगा कि भारत में ही जहाज़ों का निर्माण हो ताकि हमारी जो विदेशी मुद्रा है वह बच सके ? परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। जहाज़रानी के लिए १.१ मिलियन जी० आर० टी० जिस का मतलब लगभग २ लाख टन होता है तीसरी योजना के लिए रखा गया है और यह उतना ही है जितना कि दूसरी योजना के अन्त तक के लिए रखा गया था। श्रीमान्, मैं आपका ध्यान पार्लिमेंट की एस्टीमेट्स कमेटी के ७८ वें प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहती हूं जिस में उसने सन् १९५९ में कहा था कि लगभग ९ लाख टन जी० आर० टी० तक इसको बढ़ाया जाये, लेकिन उसकी तरफ भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं समझती हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है कि जहाज़रानी के विकास की तरफ ध्यान दिया जाये। यदि ऐसा किया गया तो जो विदेशों को हमारा धन जाता है, उसको हम बचा सकेंगे और इस विदेशी मुद्रा का और अच्छे कामों के लिए हम उपयोग कर सकेंगे।

रेलों के मामले में जो सफलता मिली है, उसके लिये मैं सरकार को बधाई देती हूं। हमारे देश में जहां पर पहले किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं होता था आज इतनी बड़ी बड़ी चीजें बननी शुरू हो गई हैं कि ठिकाना ही नहीं है। आज चितरंजन में १०,००० से अधिक इंजिन हैं। मद्रास के निकट पैराम्बूर में शानदार डिब्बे बन रहे हैं। सन् १९५५ में जहां सले हुये रेल पथ की लम्बाई केवल ३०० मील थी या उससे कुछ ही अधिक थी, वहां पांच वर्ष बाद वह बढ़ कर १५०० मील हो गई। तीसरी योजना में रेलों के विकास के लिये १२५५ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था है। इसी तरह से १९६५ तक २०,००० मील लम्बी सड़कें और बनाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ दूसरी योजना में रेलवे लाइन के जो अधूरे काम रह गये थे, उनको भी तीसरी योजना में पूरा किया जायेगा। मैं चाहती हूं कि रेलों की उन्नति के लिये, रेलों के विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा उनकी सहायता की जाये। जब मैंने तीसरी योजना की रूप रेखा में अधूरी लाइनों को पूरा करने की बात देखी तो मेरा ध्यान काश्मीर की ओर गया। माधोपुर कठुआ लाइन भी पूरी होगी। मैं माननीय योजना मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि तीसरी योजना में पांच या छः मील वह रेलवे लाइन का हिस्सा है और

आपको यह याद रखना चाहिये कि बारह साल पहले जम्मू में रेलवे लाइन थी और बारह साल से आज तक उसकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। उस पिछड़े हुये इलाके में हम कैसे उठ सकेंगे, कैसे बड़े बड़े उद्योग चला सकेंगे, कैसे हम अपनी विकास योजनाओं को पूरा कर सकेंगे जब तक वहां रेल नहीं जायेगी। इस तरह से तीसरी पंचवर्षीय योजना में पांच मील रेल की लाइन बिछा कर आप जम्मू तथा काश्मीर की जनता से इंसाफ नहीं करेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माताओं से मैं प्रार्थना करती हूं कि वे जम्मू-काश्मीर की तरफ रेलवे लाइन के मामले में जरूर ध्यान दें और ज्यादा नहीं तो तीसरी योजना के अन्त तक जम्मू तक तो जरूर रेल जानी चाहिये। अगर हम रेल लाइन को जम्मू नहीं ले जाते हैं तो हमारी आमदनी का रास्ता बन्द हो जायेगा, जो रुपया रेल पर लगा है उससे पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। अगर हम इसको जम्मू तक ले जायें तो हमारी आमदनी में वृद्धि होगी। मैं यह इसलिये कह रही हूं कि जम्मू ही सिर्फ पहाड़ी इलाके की एक मंडी है और उससे रेलवे को काफी आमदनी हो सकती है। वहां कोयले की खानें भी हैं जोकि उत्तरी रेलवे को बहुत सस्ता कोयला दे सकती हैं और उससे रेलवे को फायदा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो पांच मील आगे आप रेल लाइन ले जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।

मुझे दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि भारत में बाल कल्याण की तरफ बहुत ही थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। जब हम सुन्दर तथा भोले भाले बच्चे, स्वतंत्र भारत के लाल, कुम-लाये हुये चेहरों वाले बच्चे, गरीबी के जाल में जकड़े हुये बच्चे जब हम देखते हैं तो हमारे मन को एक बड़ा भारी धक्का पहुंचता है। अगर आज हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो मुझे डर है कि एक बहुत बड़ी हानि आगे चल कर हमको उठानी पड़ेगी। पंचवर्षीय योजना के निर्माताओं का कर्त्तव्य है कि तीसरी योजना में बालकों की सहायता के लिये अधिक से अधिक धन वे दें। स्कल स्वाथ्य समिति की जो सिफारिशें हैं मैं चाहती हूं कि उनको मान लिया जाये। स्कूलों में ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों के लिये दोपहर के भोजन का प्रबन्ध होना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है। इस पर जो खर्च आयेगा उसकी राशि १४४ करोड़ रुपये दिखाई गई है। मैं चाहती हूं कि अगर इससे भी अधिक खर्च किये जाने की आवश्यकता महसूस हो तो उसे भी किया जाना चाहिये। यहां पर कहा गया है कि तीसरी योजना के पहले साल में १००० ब्लाक्स में इस योजना को लागू किया जायेगा, दूसरे साल में भी १००० ब्लाक्स में लागू किया जायेगा, तीसरे साल में २००० ब्लाक्स में, चौथे साल में ३००० ब्लाक्स में और पांचवें साल ५००० ब्लाक्स में और जहां तक बच्चों की संख्या का संबंध है वह भी मैं आपको बतलाना चाहती हूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में ५० लाख बच्चों को मिलेगा दूसरे वर्ष में ५० लाख बच्चों को मिलेगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तीसरे साल में १०० लाख को मिलेगा, चौथे और पांचवें वर्ष में १५० और २५० लाख को मिलेगा। इसी तरह योजना पर जो खर्च होगा वह कुल मिला कर १४,४०० लाख रु० दिया गया है। मुझे आशा है कि हमारी सरकार इसको मान कर एक बहुत बड़ा काम करेगी।

इसी तरह मैं छोटे उद्योगों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिलाना चाहती हूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में छोटे उद्योगों की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है, जबकि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत ध्यान दिया गया था। मैं यह कहूंगी और दृढ़ता से कहूंगी कि जब तक हमारे देहाती इलाकों में कुछ घरेलू उद्योग नहीं होंगे तब तक हम किसी हालत में नहीं ऊपर उठ सकते। मैं यह मानती हूं कि सोशल वेलफेयर और खादी बोर्डों ने और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स ने बहुत काम किया है, उन्होंने घर-घर में पहुंचने की कोशिश की है। उनकी वजह से बहुत कुछ काम हुआ है,

लेकिन फिर भी हमें ग्रामोद्योगों को जितना भी हो सके बढ़ावा देना चाहिये। साथ ही खादी की तरफ भी खास ध्यान देना चाहिये। मैं इसमें थोड़ा बहुत काम करती हूं। मैं जब गांवों में जाती हूं, जहां जहां खादी के सेंटर हैं, उनकी हालत को देखती हूं। खादी का काम करने वाले की अक्सर मजदूरी कम होती है। २ या ३ हजार रु० जब गांवों में दिया जाता है उस वक्त ध्यान में आता है कि गांव में २–३ हजार छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को अनुदान मिला है।

अब मैं थोड़ी सी काश्मीर की बात कहूंगी। रेलवे तो हमको पांच साल बाद मिलेगी लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कर्ज और अनुदान उद्योग धंधों के लिये दिये गये हैं वह कितने थोड़े हैं? दूसरी योजना में काश्मीर को कुल ८३.८ लाख ऋण अपने उद्योंगों के लिये मिला है। छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये अनुदान मिला है। इस तरह से वह इलाका कैसे उठ सकता है? वह पहाड़ी इलाका, मुसीबतों से घिरा हुआ इलाका, जिस में आर्थिक, राजनैतिक सभी तरह की चीजें चल रही हैं, कैसे पनपेगा? इसलिये मैं सरकार का ध्यान दिलाती हूं और नम्रता से निवेदन करती हूं कि इन चीजों को वहां पर बढ़ावा दिया जाये।

अन्त में जिस शान से हमारी योजनायें बढ़ रही हैं, मैं उसके लिये माननीय मंत्री को बधाई देती हूं।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : (उलुबेरिया) : जब देश की अर्थ-व्यवस्था का विकास योजनाओं के द्वारा किया जाता है तो यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक योजना के बाद उस योजना के कार्यों का निर्धारण किया जाये जिससे अगली योजना पहले अनुभवों के आधार पर बनाई जा सके।

यदि हम अपने कृषि उत्पादन के आंकड़ों का निर्धारण इस आधार पर करें तो पता लगता है कि १९५२–५३ के उत्पादनों के आंकड़ों की तुलना में १९५७–५८ के उत्पादन के आंकड़े अधिक उत्साहवर्धक नहीं हैं। यह उत्पादन आंकड़े इस प्रकार थे:—१९५२–५३ में ५८० लाख टन, १९५३–५४ में ६८० लाख टन, १९५४–५५ में ६६० लाख टन, १९५५–५६ में ६५० लाख टन, १९५६–५७ में ६८० लाख टन और १९५७–५८ में ६२० लाख टन। इसीलिये मुझे सन्देह है कि तीसरी योजना में हम अपना खाद्य उत्पादन ७५० लाख टन से बढ़ा कर १००० लाख टन किस प्रकार कर सकेंगे।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के कार्यों में से यदि हम केवल सिंचाई व्यवस्था को ही लें तो मालूम होता है कि नवम्बर, १९५८ में पश्चिमी बंगाल, मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बम्बई तथा पंजाब की क्रमशः ९१.८ प्रतिशत, २.३ प्रतिशत, ६२.४ प्रतिशत, ९२.८ प्रतिशत, ८०.४ प्रतिशत, ७५.०३ प्रतिशत, ८९.०६ प्रतिशत तथा १९.४ प्रतिशत भूमि में सिंचाई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त सिंचाई की जो व्यवस्था की भी गई है उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार १९५६–५७ में ५३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध थे परन्तु सिंचाई की गई ३४ लाख एकड़ भूमि में। १९५७–५८ में ६२ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने के साधन उपलब्ध थे जबकि सिंचाई की गई केवल ४९ लाख एकड़ भूमि में। १९५८–५९ तथा १९५९–६० में भी केवल ८२ प्रतिशत उपलब्ध साधनों का उपयोग किया गया।

इसी प्रकार सामुदायिक विकास परियोजनाओं को जो काम सौंपे गये उसके बारे में श्री टेलर, श्री विल्सन, बलवन्तराय समिति तथा श्री दुबे बहुत कुछ कह चुके हैं और पता लग चुका है कि इन परियोजनाओं में ऐसा काम किया गया है जिससे इनको बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो

†मूल अंग्रेजी में

गया है। इसलिये अब ऐसा समय आ गया है जब हमें इनके कामों का मूल्यांकन करना चाहिये और इनके द्वारा ऐसे काम करने की व्यवस्था करनी चाहिये जिनके करने से हमारे लक्ष्य पूरे होते हों।

आज कल जनता तथा सभा सदों का ध्यान बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की ओर आकर्षित है। हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आय पहली योजना में १८ प्रतिशत बढ़ी थी तथा दूसरी योजना में उसके २० प्रतिशत बढ़ जाने की आशा है। परन्तु बड़ी मजेदार बात यह है कि यह कोई नहीं जानता कि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय कहां गई और जिसकी जांच के लिये प्रधान मंत्री समिति नियुक्त करने जा रहे हैं। सच तो यह है कि आंकड़े देखने पर पता लगता है कि हमारी वास्तविक आय कम होती जा रही है। १९५० में कुल उत्पादन ५२८.६ करोड़ रुपये, मजूरी २३६.४ करोड़ रुपये तथा लाभ २९२.२ करोड़ रुपये थे। १९५४ में कुल उत्पादन ७३२.६ करोड़ रुपये, मजूरी २९२.३ करोड़ रुपये तथा लाभ ४३०.३ करोड़ रुपये थे। १९५५ में कुल उत्पादन ७७५.५ करोड़ रुपये, मजूरी ३१९.५ करोड़ रुपये तथा लाभ ४५६ करोड़ रुपये थे। इस प्रकार इन १९५०, १९५४, १९५५ वर्षों की वास्तविक आय की प्रतिशतता ४४.७, ३९.९ तथा ४१.१ आती है जो पहले से कम होती गई है। इसलिये सरकार को तीसरी योजना में इसका ध्यान रखना चाहिये जिससे जनता तथा सरकार दोनों की वास्तविक आय बढ़ती जाये। अन्यथा राष्ट्रीय आय की वृद्धि का कोई लाभ ही नहीं है।

इस संबंध में वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करना भी आवश्यक है। आशोक मेहता समिति ने भी मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी। इसलिये तीसरी योजना में ऐसी नीति का अवलम्बन किया जाना चाहिये जिससे उत्पादकों को उचित मूल्य मिले तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य देना पड़े।

हाल में ही मंत्रिमंडल सचिवालय के केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। जिससे पता लगा कि निम्न वर्ग परिवारों का आय-व्ययक सदा घाटे का ही रहता है। जब उनकी इस समय ऐसी हालत है तब उनसे तीसरी योजना में १०० रुपये में से १५ से १७ रुपये बचाने के लिये कहना अन्याय है।

तीसरी योजना में १३० $^{1}/_{2}$ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि बेकारी समस्या को सुलझाने के लिये कोई उचित व्यवस्था यह नहीं की गई है। क्योंकि पहली योजना तथा दूसरी योजना में जितने लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था थी उसमें से क्रमशः ५३ लाख तथा ८० लाख व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिये जा सके हैं। आशा है कि १९६१-६६ में १४५ लाख व्यक्ति बेकार होंगे। इस प्रकार बेकार लोगों की संख्या २२० लाख तीसरी योजना के अन्त तक हो जायेगी।

मेरा सुझाव है कि रोजगार बढ़ाने के लिये सरकार को तीन तरीके काम में लाने चाहियें। पहले सिंचाई और सहकारी खेती से कृषि कार्यों को बढ़ायें। दूसरे देहाती क्षेत्रों में व्यवसायों की व्यवस्था करके। तीसरे देहातों में छोटे पैमाने के उद्योगों का विस्तार करके। हाल में ही पता लगा है कि छोटे उद्योगों का उत्पादन बढ़ गया है। इसलिये हमें इनकी सहायता करनी चाहिये। अमरीका, जर्मनी तथा जापान में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

१९६०–६१ के आय व्ययक के वित्तीय ज्ञापन में बताया गया था कि भारत पर ४,६२२ करोड़ रुपये का ऋण है जो इस वर्ष के अन्त तक ५,२४२ करोड़ हो जायेगा। इसके अतिरिक्त बचत निक्षेपों, राष्ट्रीय योजना बचतों, प्रतिरक्षा बचत प्रमाणपत्रों आदि का १,२४४.८३ करोड़ रुपये ऋण है। यदि हम इन सभी दायित्वों को जोड़कर औसत निकालें तो पता लगता है कि १९४८–४९ के मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय २९० रुपये है तथा प्रति व्यक्ति ऋण १६६ रुपये है। इसीलिये मुझे आश्चर्य है कि हम तीसरी योजना में विदेशी ऋणों का किस प्रकार भुगतान कर पायेंगे।

मैं बताना चाहता हूं कि भारत के रिजर्व बैंक के मई १९५८ के बुलेटिन में भारतीय समवायों की तुलना में विदेशी समवाय अधिक लाभ उठा रहे हैं। इसीलिये आवश्यक हो जाता है कि इसकी जांच की जाये कि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय कहां जाती है।

गत दस वर्षों से सभा में तथा बाहर सभी पक्षों के माननीय सदस्य फरक्का बांध को बनाने के संबंध में जोर दे रहे हैं। जब श्री पाटिल इस विभाग के मंत्री थे उस समय उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को विश्वास दिलाया था कि तीसरी योजना में यह बांध बनाया जायेगा परन्तु तीसरी योजना का प्रारूप देखने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि इस बांध के बन जाने पर ही पश्चिम बंगाल का समुचित विकास हो पायेगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि योजनीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है। प्रत्येक योजना अपने पहले की योजना का सार-तत्व लेकर ही आगे बढ़ती है, उसी का वृहद् रूप होती है। हां, उनकी प्राथमिकतायें बदलती जाती हैं।

प्रथम योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। उससे राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। द्वितीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया था। मैं मानता हूं कि औद्योगिक शक्ति बहुत जरूरी है, लेकिन कृषि ही हमारे सारे योजनीकरण का आधार है। इसलिये कृषि पर कुछ अधिक जोर दिया जाना चाहिये। तृतीय योजना के प्रारूप में यह नहीं मिलता।

तृतीय योजना के इस प्रारूप में कृषि को प्राथमिकता देने और खाद्यान्नों के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने की बात तो मिलती है, लेकिन कृषि के महत्व के अनुरूप राशियों की व्यवस्था नहीं की गई है। १०,२०० करोड़ रुपये के कुल व्यय में से कृषि के लिये कुल मिलाकर १,६७२ करोड़ रुपये ही रखे गये हैं।

यह तो ठीक है कि कृषि और उद्योग परस्पर अनुपूरक हैं, लेकिन वस्तुओं के मूल्य वास्तव में कृषिय उत्पादों के मूल्यों से ही निर्धारित होते हैं। इसलिये यदि कृषि-उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तो देश में मूल्यों की वृद्धि नहीं रोकी जा सकेगी।

कृषीय उत्पादन बढ़ाने के लिये सबसे आवश्यक चीज यही है कि किसानों को प्रेरणा दी जाये। और यह तभी हो सकता है जब किसानों को उनके अपने श्रम और उपज के लिये इतना मूल्य तो मिले जिससे उसे उपज बढ़ाने की प्रेरणा हो। इसीलिये मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूं कि किसानों के श्रम और उनके कृषीय उत्पादन का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित

†मूल अंग्रेजी में

किया जाये। उर्वरक भी आवश्यक हैं। साथ ही, सामुदायिक विकास खंडों को कुछ अधिक महत्व दिया जाना चाहिये, क्योंकि उनकी नींव पर ही कल्याणकारी राज्य की इमारत खड़ी हो सकेगी।

[श्री हेडा पीठासीन हुए।]

कृषीय अर्थ-व्यवस्था पर जितना भी व्यय आवश्यक हो, किया जाना चाहिये।

तृतीय योजना के इस प्रारूप में देहाती क्षेत्रों की बेरोजगारी और पूरे समय का काम न रहने की बेरोजगारी की समस्या की ओर अधिक ध्यान देने की बात कही गई है। लेकिन उसे हल कैसे किया जाये? इसका एक तरीका है ग्रामोद्योग और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। लेकिन योजना में उसके लिये कुल २५० करोड़ रुपये रखे गये हैं। १६५६ के औद्योगिक नीति संकल्प में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने पर जोर दिया गया था। उनको देश भर के देहाती क्षेत्रों में फैलाने की बात थी। लेकिन यह किया नहीं गया। पंजाब में तो ऐसे लगभग सभी उद्योग बड़े बड़े शहरों में शुरू हुए हैं। इस तरह तो देहाती जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकेगा, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योगों के बिना उनके लिये पूरे समय का काम नहीं जुटाया जा सकता।

प्रथम योजना काल में राष्ट्रीय आय १८ प्रतिशत बढ़ी थी। लेकिन साथ ही, कृषीय और औद्योगिक क्षेत्रों की अलग-अलग आय में असमानता भी बढ़ गई थी। द्वितीय योजना के फलस्वरूप यह असमानता और भी बढ़ जायेगी। लेकिन यह तो औद्योगिक नीति संकल्प की नीति के विरुद्ध है, क्योंकि उसमें हर प्रकार की असमानताओं को घटाने की बात कही गई थी।

इस असमानता को घटाने का एक यही तरीका है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को देहाती क्षेत्रों में ले जाया जाये। भारी उद्योगों के विकास को भी इतनी ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि हम पूंजीगत वस्तुओं के लिये विदेशों पर निर्भर रहेंगे, तो हम आत्म-निर्भर नहीं बन सकेंगे।

प्रादेशिक असमानताओं को दूर करना केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है। सभी प्रादेशिक इकाइयों का विकास समान रूप से होना चाहिये। भारी उद्योगों के मामले में सभी राज्यों को बराबर की सुविधायें और सहायता दी जानी चाहिये। इस मामले में पंजाब की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। द्वितीय योजना के अन्त तक पंजाब में भारी उद्योगों के लिये प्रति व्यक्ति विनियोजन का लक्ष्य १३ रुपये रखा गया था। लेकिन अनुज्ञप्तियां देने में इतना विलम्ब होता है, कि शायद यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सकेगा। जबकि प्रति व्यक्ति विनियोजन का लक्ष्य मध्य प्रदेश के लिये ४६.३१ रुपये, उड़ीसा के लिये ६७.६३ रुपये और पश्चिमी बंगाल के लिये ४८.६७ रुपये है।

प्रधान मंत्री की यह बात मैं मानता हूं कि देश में उचित ढंग से योजनीकरण करने के लिये समुचित वातावरण पैदा करना जरूरी है। अभी कुछ दिनों से आसाम और पंजाब में गड़बड़ी चल रही है। ऐसी चीजें निन्दनीय हैं। पंजाबी सूबे के आन्दोलन में लगभग २०,००० व्यक्ति जेल जा चुके हैं। उनकी मांग भाषा से सम्बन्ध रखती है। केन्द्र को चाहिये कि ऐसी

समस्याओं को वार्ता के द्वारा केन्द्रीय स्तर पर हल करे। आखिर, समस्याओं का हल तो केन्द्रीय सरकार को ही निकालना पड़ेगा। योजना की सफलता के लिये यह भी जरूरी है कि देश की सीमा पर स्थित राज्यों को सुदृढ़ बनाया जाये।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोडी) : तृतीय योजना के प्रारूप में आरम्भ में ही कहा गया है कि योजना का उद्देश्य केवल उत्पादन-वृद्धि या अधिक ऊंचा रहन-सहन का स्तर बनाना नहीं, बल्कि साथ ही राष्ट्रीय जीवन में सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा करना भी है। उद्देश्य तो बड़ा भला है। लेकिन हमें देखना चाहिये कि पिछली दो योजनाओं का हमारा क्या अनुभव है।

पिछले दो दिनों की चर्चा के दौरान में लगभग सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने काफी प्रगति कर ली है। श्री च० द० पाण्डे ने कहा कि अब योजना की सफलता के कारण ही लोग गाय-बकरियां खरीदने लगे हैं। क्या पहले नहीं खरीदते थे।

इस बात से इन्कार नहीं कि कुछ सुधार हुआ है। लेकिन जब प्रधान मंत्री ने कहा कि अब लोग ज्यादा बढ़िया कपड़े पहनने लगे हैं और ईंटों के पक्के मकान बनवाने लगे हैं, तो मुझे कुछ पीड़ा ही हुई। सारे देश की जनता को यह सुनकर पीड़ा हुई। इसलिये कि हमारे प्रधान मंत्री को अपने देश की जनता की वस्तविक दशा का पता ही नहीं है। प्रधान मंत्री ने भूखे-नंगे भारत को नहीं देखा। प्रधान मंत्री को सम्राट विक्रमादित्य की भांति छद्मवेश में जा कर देश भर की जनता की हालत देखनी चाहिये। उनका दिल भर आयेगा।

रहन-सहन का स्तर नहीं, रहन-सहन का व्यय बढ़ता जा रहा है। जन-जीवन में कोई भी सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन नहीं आया है।

हमने दो योजनाओं पर करोड़ों खर्च किये हैं, सड़कें और बांध वगैरह बनाये हैं। लेकिन योजना तो इसलिये बनाई जाती है कि देश के संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग किया जा सके, अपव्यय को रोका जा सके। इसमें हमें कोई सफलता नहीं मिली। हमें अपने पिछले अनुभव से इसीलिये लाभ उठाना चाहिये। अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करना चाहिये।

इस प्रारूप में संसाधनों की जो स्थिति बताई गई है, उससे बड़ी चिन्ता होती है। कराधान में वृद्धि करने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। तृतीय योजना काल में हमें पिछले ऋणों की किस्तें चुकानी हैं। विदेशी मुद्रा का संकट है।

हम हमेशा तो बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें आन्तरिक संसाधन बढ़ाने चाहियें। आन्तरिक संसाधन केवल कराधान तो नहीं। करों में वृद्धि होने से मुद्रा-स्फीति और बढ़ जायेगी। आम जनता की तंगी और बढ़ जायेगी। यह गलत तरीका है।

मद्य निषेध की व्यवस्था रद्द कर के, हम अपने आन्तरिक संसाधन बढ़ा सकते हैं। अन्य देशों ने भी यही किया है।

सरकार को अपव्यय बन्द करने पर कमर कस लेनी चाहिये। सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और सर्वोदय केन्द्रों पर बड़ा अपव्यय कर रही है। यही हाल अम्बर चर्खे और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का है। इनसे देश को कोई लाभ ही नहीं पहुंचता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वयं विनोबा जी ने कहा है कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य नहीं, अकल्याणकारी राज्य है ।

अब सवाल उठता है असमानताओं को कम करने का । प्रारूप ने अपने उद्देश्यों में प्रमुखता इसी बात को दी है कि देश में सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा हो । लोकतंत्रवाद का मतलब यही होता है कि जनता के जीवन में राजनीतिक और सामाजिक क्रांति हो। यह नहीं हुआ है ।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमारी राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में २० प्रतिशत वृद्धि हुई है । लेकिन वह गई कहां ? प्रधान मंत्री तक नहीं जानते ! वह जनता का खून चूसने वाले नर-भक्षकों के हिस्से में पड़ी है । जनता के तो कष्टों में ही वृद्धि हुई है ।

प्रारूप में स्वीकार किया गया है कि पिछली दो योजनाओं की सफलताओं से अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की २२ करोड़ जनता को कोई भी लाभ नहीं हो पाया है ।

दूसरी तरफ प्रधान मंत्री कहते हैं कि जनता और अच्छे कपड़े पहिनने और पक्के मकान बनवाने लगी है !

इससे स्पष्ट है कि यह योजना जनता के लिये नहीं, समाज के कुछ विशेषाधिकार-प्राप्त वर्गों के लिये है । इसीलिये जनता में असन्तोष बढ़ रहा है ।

जनता की दशा सुधारने का मुख्य दायित्व इस प्रारूप में सामुदायिक विकास मंत्रालय को सौंपा गया है । प्रधान मंत्री कहते हैं कि देश के गांवों में बड़ा परिवर्तन हुआ है । मैं गांव में रहता हूं । यह बात बिलकुल गलत है । वहां लोग भूखे-नंगे हैं । प्रधान मंत्री मेरे साथ आकर देख सकते हैं । मैं ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं का काम काफी नजदीक से देखा है । मेरा तो ख्याल है कि सरकार को उन पर रुपया बर्बाद नहीं करना चाहिये । असमानताओं को दूर करना एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है । उसका दायित्व ऐसे एक मंत्रालय को नहीं सौंपा जाना चाहिये ।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण के लिये इसमें १०० करोड़ रुपयों की व्यवस्था है । लेकिन उनको अभी तक योजनाओं से कोई लाभ नहीं पहुंचा । इस राशि को बढ़ा कर १५० करोड़ रुपये कर देना चाहिये, क्योंकि यह २२ करोड़ जनता का प्रश्न है । केवल रुपये खर्च करके उनकी दशा में सुधार नहीं किया जा सकता । उनको परती जमीनें दी जानी चाहियें । देश में लगभग ६ करोड़ एकड़ परती जमीन पड़ी है । उसमें से केवल १ करोड़ को ही क्यों कृषि-योग्य बनाया जा रहा है ।

गुजरात में अनुसूचित जातियों के लोगों ने विधान सभा से परती जमीनों की मांग की थी । लेकिन उनके शान्तिपूर्ण मोर्चे पर अन्धाधुन्ध लाठियां बरसाई गयी थीं । औरतों और बच्चों तक को पीटा गया था। उनके लिये कोई गुंजाइश ही नहीं । सभा को इस मामले में कुछ करना चाहिये ।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : मिस्टर चेयरमैन, सर थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान पर जो डिस्कशन हो रहा है, उस में सब से पहला अहम सवाल यह है कि इसका आबजेक्टिव,

मकसद, क्या है । जब हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह भी मालूम करना पड़ेगा कि फर्स्ट और सेकिंड फाइव यीअर प्लान्ज का मकसद क्या था । जहां तक मकसद का ताल्लुक है, आप इस बात से एग्री करेंगे कि तीनों फाइव यीअर प्लान्ज का मकसद एक ही था। पिछले दस साल का जो हमारा तजुर्बा है, उस की रोशनी में हम ने यह देखना है कि हमारा यह मकसद कहां तक पूरा हुआ और अगर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं पूरा हुआ और उस को पूरा करने के लिये अब कौन से कदम हमें उठाने पड़ेंगे ।

इन तमाम बातों को मद्दे-नजर रखते हुए मैं सब से पहले यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मकसद का सवाल है, हमारा सब से बड़ा वाहिद मकसद यह है कि लोगों की हालत सुधरे और मौजूदा ऊंच-नीच, डिसपैरिटी, कम हो । हमारी इन तीनों प्लान्ज का ही यह मकसद नहीं रहा है, बल्कि जब हम अंग्रेज के खिलाफ आजादी के लिये लड़ाई लड़ा करते थे, उस वक्त भी हमारा मकसद यही था । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारा मकसद कहां तक पूरा हुआ और अगर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ और उस को पूरा करने के लिये कौन से कदम उठाने चाहिये ।

मैं सब से पहले रिजनल डिसपैरिटीज (प्रादेशिक असमानता) को लेता हूं। इस के बारे में ड्राफ्ट प्लान के सफहा ७३ पर जिक्र किया गया है । आज हम देखते हैं कि दो प्लान्ज के पूरा होने के बावजूद देश में बहुत से ऐसे हिस्से मौजूद हैं, जिन की तरक्की अभी तक नहीं हुई। सब से पहले हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हमारे तमाम देश की तरक्की ठीक तरीके से हो और यकसां तौर पर हो । हमें यह देखना होगा कि कौन सा इलाका वाकई बैकवर्ड है । बहुत से दोस्तों ने कहा है कि मेरा इलाका बैकवर्ड है, क्योंकि वहां इंडस्ट्री की कमी है, रेल की कमी है, वगैरह। मैं समझता हूं कि यह बड़ा अहम सवाल है । हमें पहले यह डेटरमिन करना पड़ेगा कि बैकवर्ड इलाका कौन सा है । मैं समझता हूं कि सब से पहले पसमान्दा इलाका, अनडेवेलप्ड इलाका वह है, जहां जिन्दगी की जरूरी चीजें भी नहीं मिलतीं, जहां पानी का मसला भी अभी तक हल नहीं हुआ । सब से पहले हमें उस इलाके की तरक्की की तरफ ध्यान देना पड़ेगा । इसके लिये में दो तीन तजवीजें हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।

पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में इस हाउस में कहा गया कि कुछ हिली इलाकों को डेवेलप करने के लिये कमेटीज बनाई जा रही हैं । मैं चाहता हूं कि तमाम देश में ऐसे इलाकों का सरवे हो और उन इलाकों की देख-भाल के लिये, डेवेलपमेंट के लिये सैन्टर में एक सैपेरेट मिनिस्ट्री बनाई जाये और उसके लिये रुपया एलोकेट किया जाये । यह एक तजुर्बे की बात है कि जो रुपया स्टेट्स को दिया जाता है, जो ग्रांट्स दी जाती हैं, वे उस इलाके पर खर्च नहीं होती हैं। इसलिये हमें उस इलाके की तरक्की और डेवेलपमेंट के लिये खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा ।

दूसरा सवाल हमारे सामने सोशल डिसपैरिटी का है । यह ठीक है कि आजादी मिलने से हमारी पोलीटिकल डिसपैरिटी खत्म हो गई, लेकिन पोलीटिकल डिसपैरिटी को खत्म करना हमारा वाहिद मकसद नहीं था, वह तो सोशल और इकानामिक डिसपैरिटी को खत्म करने का एक तरीका था। अगर तेरह साल के बाद भी हम सोशल और इकानोमिक डिसपैरिटीज को खत्म नहीं कर सके, तो आज हम को मालूम करना पड़ेगा कि हमारे रास्ते में कौन सी दिक्कते हैं । जहां तक सोशल डिसपैरिटी का सवाल है, आज हम देखते हैं कि बहुत से लोगों

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

की सोशल हालत ऐसी है कि हम अभी तक उन के जिन्दगी के जरूरी मसलों, मसलन तालीम, सैनीटेशन, हाउसिंग वगैरह, को हल नहीं कर सके हैं। मैं ये सब बातें इस लिये कह रहा हूं कि अगर हम ने प्लान को कामयाब बनाना है, तो उसके लिये सब से जरूरी बात यह है कि आम आदमी में इन्सेटिव (प्रेरणा) पैदा हो और वह पैदा नहीं हो सकता, जब तक कि डिसपैरिटीज को दूर करने की कोशिश न की जायेगी। इस ड्राफ्ट प्लान में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। इस सिलसिले में मेरी अपील यह है कि इसके लिये एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाये और उस को पूरा करने की कोशिश की जाये।

आप एजुकेशन को ही ले लीजिये। थर्ड फाइव यीअर प्लान में कहा गया है कि इस बात की कोशिश की जायेगी कि छः साल से ले कर ग्यारह साल तक के बच्चों को फ्री यूनिवर्सल और कम्पलसरी एजूकेशन दी जाये। यह बहुत अच्छा मकसद है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस को पूरा करने की कोशिश की जायेगी। लेकिन गवर्नमेंट को यह भी सोचना पड़ेगा कि जब तक हमारे मौजूदा एजूकेशन सिस्टम में तब्दीली न की गई, तो यह मकसद पूरा नहीं होगा।

गवर्नमेंट यह तय कर रही है कि तमाम मुल्क में फ्री कम्पलसरी और यूनिवर्सल एजूकेशन हो, तो फिर उस सैट-अप में, उस ढांचे में, हमें कुछ स्कूल भी बन्द करने पड़ेंगे और एजूकेशन में जो इन-ईक्वैलिटीज पैदा हो गई हैं, उन को भी खत्म करना पड़ेगा। हमें यह भी इन्तजाम करना पड़ेगा कि हर बच्चे की तालीम पर, खास तौर पर छः साल से ग्यारह साल तक, यकसां रुपया खर्च हो और देश में जो खास पब्लिक स्कूल बनाये गये हैं, उन को भी हमें रीमूव करना पड़ेगा, वरना वे सोशल डिसपैरिटीज उसी तरीके से कायम रहेंगी। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने भी १६ तारीख को एक भाषण देते हुए इस बात का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि वह एक बड़ी महत्वपूर्ण स्पीच थी। उस के दो तीनों फिकर की तरफ मैं हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज तेरह साल के बाद हम ने इस बात को महसूस किया है जो कि जो प्लान और स्कीम्ज हम बनाते हैं, वे क्यों कामयाब नहीं होतीं। उस का कारण उन्होंने यह बताया कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पुराने तरीके की और ब्यूरोक्रेटिक है, जिस में देरी हो जाती है और उस देरी के लिये किसी भी आफिसर को कुसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिये मैं ने इस बात का जिक्र किया कि एजूकेशन में जो डिसपैरिटीज हैं, उन का नतीजा यह होता है कि पब्लिक स्कूल्ज में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बड़े हो कर एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उन को चांसिज ज्यादा मिलते हैं, वे दूसरे ढंग से सोचते हैं। इस लिये इस तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी प्लान बनायें, अगर हम उस को कामयाब करना चाहते हैं, तो सब से पहले हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सुधारना पड़ेगा। ताकि जो स्कीमें बनाई जायें, उनका इम्प्लेमेंटेशन हो। अगर हम किसी से कहें कि वे पूरी नहीं होती हैं तो वह सीधा यह जवाब देगा कि पूरा करने के लिये कौन जिम्मेवार है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में खराबी है, तो उसको कौन दूर कर सकता है। मैं इस किस्म की सैकड़ों मिसालें हाउस के सामने पेश कर सकता हूं। पी० ए० सी० की जो रिपोर्टें होती हैं उनमें भी इन बातों का अक्सर जिक्र होता है और आप देखते है कि किस तरीके से गलत स्कीमें बनाई जाती हैं, रुपया मिसयूज होता है, रुपया वेस्ट (अपव्यय) होता है। उसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिये और इसका एक ही तरीका है कि हमारा जो मौजूदा सिस्टम है, उसको सुधारा जाये,

कसूरवार को पकड़ा जाये। जब आप यह मालूम नहीं कर सकेंगे कि कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेवार है, तो आप सजा किस को दे सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरे प्लान का जो प्रोग्राम है, वह बिल्कुल साउंड है लेकिन सब से पहले हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरफ ध्यान देना होगा और उसको सुधारने की, उसको ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी।

जहां तक प्लान का सम्बन्ध है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया कि सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा और काम चलेगा काम करने से। मैं इसके साथ दो लफ्ज और एड करना चाहता हूं कि सिर्फ काम करना ही जरूरी नहीं, काम किया जायगा किसी मकसद के लिये। अमरीका के एक मशहूर राइटर वाशिंगटन ने कहा है कि सफलता उनको ही मिलती है जो उच्चादर्शों से प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हैं। हिन्दुस्तान के लोग जितना काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, शायद ही किसी दूसरे मुल्क के लोग इतना काम या इतनी मेहनत करते हों। लेकिन हमारा मकसद उसके साथ साथ यह हो कि हमने देश को, कंट्री को मुल्क को, ऊपर उठाना है और अगर यह मकसद हमारे सामने रहता है तो हम काफी तरक्की कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्लान में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हमारे पास आज सब से बड़ा रिसोर्स जन शक्ति है, जो भी आज हमारे पास ताकत है, हमें उससे ही काम लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे पास सब से बड़ी ताकत जो है वह मैनपावर है। अगर आज हम इस मैनपावर का ठीक तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो देश का नक्शा बदल सकता है। अगर हम पांच साल में मैनपावर का मुकम्मिल तौर पर इस्तेमाल करने में, उसको यूटिलाइज करने में कामयाब होते हैं, तो जो हमारा मकसद है, उसमें हमें बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर जो प्रोग्राम बनाये जाते हैं, जो स्कीमें बनाई जाती हैं, वे इस ढंग से बनाई जायें कि देश का हर आदमी देश की तरक्की के लिए कोशिश करे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमें न पैसे की जरूरत होगी, न अमरीकन डालर की जरूरत होगी और अगर इससे चार गुना एम्बीशस प्लान भी बनाया जाता है तो वह भी कामयाब हो सकता है। आज हमारे सामने सब से पहला सवाल यह है कि देश के लोगों के अन्दर जो फ्रस्ट्रेशन (पस्ती) आ रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए। आज जहां भी हम लोग जाते हैं तो हर आदमी सवाल करता है और इसमें काफी हद तक सदाकत भी है कि जो प्रोग्राम बनाये जाते हैं, उनसे आम लोगों को फायदा क्यों नहीं पहुंचता है। इस वास्ते यह जो फ्रस्ट्रेशन है, इसको हमें दूर करना है और इसको अगर हम दूर कर देते हैं तो हर प्लान जो हमारा है, वह कामयाब हो सकता है। हमारे पास मैनपावर की कमी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज अगर हिन्दुस्तान के अन्दर इस बात का सर्वे किया जाए कि कितनी मैनपावर है जो कि काम कर सकती है तो मेरा ख्याल है कि कम से कम २० करोड़ आदमी ऐसे जरूर निकल सकते हैं, जो कि काम कर सकते हैं। अगर उनमें से हर आदमी दो घंटे इस इरादे से काम करे कि मैंने देश को मजबूत करना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ४० करोड़ घंटा रोजाना काम हुआ। अब मिनिमम वेज के हिसाब से देखा जाए तो पता चलेगा कि आठ घंटे के लिए आप दो रुपया देते हैं और इसका मतलब यह हुआ कि १० करोड़ रुपये का काम रोजाना हुआ। पाँच साल में कितना काम हुआ, इसका अंदाजा आप लगा लीजिये। जो आपके प्लान के टारगेट्स हैं, और जो प्रोग्राम हैं, वे इससे भी बढ़ जाते हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें।

आखिर में एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। हमें देश के अन्दर ऐसा एटमासफीयर क्रियेट करना है कि हड़तालें और स्ट्राइक्स और एजीटेन्शस वगैरह न हों। यह बात मैंने इसलिए

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

कही क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में इस बात का ज़िक्र किया। मुझे इसका दुःख इसलिए और भी ज्यादा हुआ कि जिस स्टेट का जिक्र उन्होंने किया, जिस स्टेट को उन्होंने रेफर किया, मैं उस स्टेट को बिलांग करता हूं। यह वाकई में सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जब से हिन्दुस्तान आज़ाद हुआ है जिसको कि १३ साल हो गए हैं, तब से आए साल या दो दो साल के बाद वहाँ एजीटेशन होते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मैनपावर वहाँ वेस्ट हो रही है और कितना देश का नुक्सान हो रहा है। मैं समझता हूं कि सिर्फ इस चीज़ को छेड़ने से काम नहीं चलेगा। हम हिस्ट्री और पालिटिक्स के स्टूडेंट हैं। हमको इस चीज़ को हल करना होगा, इसको छेड़ने से काम नहीं चल सकता है। हमें मालूम करना पड़ेगा कि इसका क्या कारण है कि १३ साल के अन्दर इतनी एजीटेशन वहाँ हो रही हैं। कारण मालूम करने के बाद ही उसका कोई हल निकल सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब जो कि हिन्दुस्तान की एक बार्डर स्टेट है वहाँ इस मामले को हल करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में मेरी एक तजवीज़ है। बेहतर हो जिस तरह से असम को यहाँ से एक पालियामेंटरी डेलीगेशन गया है, वहाँ भी एक पार्लियामेंटरी डेलीगेशन जाए और असलियत का पता लगाये और उसको हमें बताये। मेरा तो १३ साल का जो तजुर्बा है वह यह बताता है और उसके आधार पर मैं यह कह रहा हूं कि पंजाब के अन्दर पालिटिकल पावर हासिल करने के लिए हर किस्म के तरीकों की मदद ली जा रही है। हमने तारीख को पढ़ा है और उसमें मुगलिया हिस्ट्री को भी पढ़ा है ; एक तारीख का बड़ा मशहूर सवाल है कि सलतनत मुगलिया के ज़वाल का, उसके डाउनफाल के क्या काज़िज़ थे और उन काज़िज़ में से एक फारी काज़ जो मेरी समझ में आया यह था कि जो हुकमरान थे, वे हकूमत हासिल करने के लिए एक दूसरे को खत्म कर देते थे, नाजायज़ तरीके इस्तेमाल में लाते थे। मैं समझता हू कि आज पंजाब के अन्दर भी पालिटिकल पावर हासिल करने के लिए हर किस्म के तरीके से मदद ली जा रही है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जो पंजाब में जाकर असलियत का पता लगाये और जब असलियत का पता लग जाए तो जो मसला है, वह हल हो सकता है, उसका कोई हल ढूंढा जा सकता है।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : मैं चाहता हूं कि तृतीय योजना के बारे में कुछ कहने से पहले पिछली दो योजनाओं की सफलताओं की चर्चा करूं। पिछली दो योजनाओं के विकास को देखकर, हम तृतीय योजना की सही पृष्ठभूमि जान सकेंगे और तब निश्चित कर सकेंगे कि किस मद पर अब अधिक जोर दिया जाना चाहिये।

पिछली दो योजनाओं में क्रमश: कृषि और उद्योगों पर जोर दिया गया था। इन दो वर्षों में हमने काफी संतोषप्रद प्रगति की है। इसलिये तृतीय योजना का विकास व्यय १०,२०० करोड़ रुपये रखना सर्वथा उचित है।

हमने भारी उद्योगों के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन छोटे पैमाने के उद्योगों में यथेष्ट प्रगति नहीं हुई। साथ ही, भारत के सभी प्रदेशों में समान रूप से विकास नहीं हुआ। इसलिये तृतीय योजना को देश के कम विकसित क्षेत्रों के विकास की व्यवस्था करनी चाहिये थी।

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण भारत की जनता को इस बात से बड़ी निराशा हुई है कि वहाँ न तो कोई नई रेलवे लाइन डाली गई और न किसी पत्तन का विकास ही किया गया। दक्षिण भारत की जनता को योजनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ। इससे उनको बड़ी निराशा हुई है। निराशा की इस भावना के रहते हुए, उनकी ओर से योजना के लिये सहयोग मिलना कठिन है। इसलिये उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि तृतीय योजना में भी उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी निराशा और बढ़ जायेगी।

माननीय रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में आश्वासन दिया था कि वह हसन-मंगलौर लाइन के साथ दो और नई लाइनों के लिये शीघ्र ही अनुपूरक माँग रखेंगे। दो और नई लाइनों के लिये अनुपूरक अनुदान की माँग रखी गई है, लेकिन हसन-मंगलौर लाइन के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैसूर तो ब्रिटिश काल से ही औद्योगिक विकास कर रहा है। मैसूर के तैयार माल को बाहर भेजने के लिये तभी से एक पत्तन की माँग की जा रही है। लेकिन स्वतंत्र होने के दस वर्ष बाद तक भी पत्तन बनाने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे आम जनता ही नहीं, वहाँ के उद्योगपतियों में भी निराश छा गई है।

लौह अयस्क और कोयला, इत्यादि के परिवहन के लिये रेलें जुटाने पर जोर दिया जा रहा। लेकिन दक्षिण भारत में लौह अयस्क और मेंगनीज होते हुए भी रेलवे लाइनें नहीं डाली जा रही हैं।

मैसूर में जहाज बनाने का कारखाना भी नहीं बनने दिया गया। तब उनसे योजना के लिये सहयोग देने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? पिहले कोचीन के विकास के लिये कहा गया था, लेकिन अब उससे भी हाथ खींचा जा रहा है।

इस योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों, कुटीर उद्योगों और हथकरघा उद्योगों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। तभी छोटे-छोटे प्रदेशों का विकास होगा। तभी आम जनता को महसूस होगा कि योजना के फलस्वरूप कुछ विकास हो रहा है।

हथकरघा उद्योग पर लगभग ७० लाख व्यक्ति निर्भर करते हैं। दस वर्ष में इस उद्योग ने यथेष्ट प्रगति नहीं की। हम उन्हें सहकारिता के क्षेत्र मे नहीं ला सके हैं। उनको जो सुविधायें दी जाती हैं, उनका फायदा बिचौलिये उठा जाते हैं। मिल मालिक इस उद्योग को दबा देना चाहते हैं। उनको न सूत मिलता है और न दूसरा कच्चा माल। तृतीय योजना को इस उद्योग को प्राथमिकता देनी चाहिये।

देश में मुद्रा-स्फीती की प्रवृत्ति है। जब तक मूल्यों में स्थायित्व नहीं लाया जायेगा, तब तक इस प्रवृत्ति को खत्म नहीं किया जा सकेगा। यदि मूल्य चढ़ते ही गये, तो साधारण जनता के लिये योजना की प्रगति का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, भावनाओं से विनिर्मित, कल्पनाओं से सुसज्जित यह एक सुनहला सपना है जिसके ऊपर आज हम विचार कर रहे हैं। पहला चरण इसका समाप्त हुआ, दूसरा समाप्त होने को जा रहा है और तीसरे के सम्बन्ध में आज यहां पर विवाद हो रहा है।

लेकिन यह एक स्वप्न है जिसको हम साकार करना चाहते हैं। उस स्वप्न को साकार करने के लिए कुछ बातों को हमें निश्चित रूप से तै करना होगा, तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकेंगे।

[श्री नवल प्रभाकर]

इस समय जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वह है जीवनोपयोगी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना ।

पहला प्लान हमारा आया, जनता ने उसका स्वागत किया । दूसरा प्लान आया उसका भी स्वागत किया । हम सोचते हैं कि हमारा जीवन मान बढ़ेगा । देश उन्नत होगा, देश नवनिर्माण की ओर बढ़ेगा, हम तरक्की करेंगे । तरक्की हम करते हैं , बढ़ते हैं, चलते हैं और देखते भी हैं । किन्तु जब हम अपना निजी जीवन या घरेलू जीवन या अपने आसपास का वातावरण देखते हैं, तो यह जो बढ़ती हुई महंगाई है वह हमें अस्त व्यस्त कर देती है, और उसकी वजह से बहुत ही देश के अन्दर अस्तव्यस्तता चल रही है । मैं कहा चाहता हूं सरकार से कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें बहुत ही सख्ती के साथ, जम करके, इस बात का मुकाबला करना होगा और हम चीजों के मूल्यों को स्थिर रखेंगे । हो सका तो हम उनको घटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर घटा न पाए तो इससे ऊपर नहीं बढ़ने देंगे । यह हमें करना होगा तभी तीसरी पंचवर्षीय योजना से जो हम आशाएं लगाए हुए हैं वे पूरी हो सकेंगी ।

अब रोटी और रोजी का प्रश्न है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि हम ८० लाख व्यक्तियों को काम देंगे लेकिन हम ८० लाख व्यक्तियों को काम नहीं दे सके । अनुमान है कि हम ६०–६५ लाख को काम दे पायेंगे । यह भी एक महत्वपूर्ण बात है । हमें यह देखना है कि हमें अपनी जनशक्ति का सदुपयोग करना है । यह ठीक है कि हम बड़े-बड़े कारखाने लगायें लेकिन जो छोटे उद्योग धन्धे हैं उनको भी हम न भूलें । हम को इस ढंग से सोचना चाहिये कि किस तरीके से हम काम करें ताकि हम ज्यादा लोगों को काम में लगा सकें ।

आज जो हमारे शहरों में बेकारी है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा पढ़ाई का वही पुराना ढंग चला आ रहा है । आज हमारे नवयुवक पढ़ने के बाद यही सोचते हैं कि हमें कहीं न कहीं नौकरी करना है । यदि हम को अपनी तीसरी योजना को सफल बनाना है तो इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने पढ़ाई के सिलसिले को बदलें । और उसको बदलने के लिये हमें यह करना होगा कि हम अपने नवयुवकों को उनकी रुचि का काम दे सकें । आज हम देखते हैं कि हमारे नौजवान काम करना चाहते हैं । दो तीन दिन पहले शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर बोलते हुए भी मैंने यह बात कही थी ।

मुझे और जगह का तो ज्ञान नही है, दिल्ली के सम्बन्ध में पता है । हमारे यहा टैकनिकल ज्ञान प्राप्त करने के लिये, लोगों को उद्योग धंधा सिखाने की व्यवस्था है, लकिन वह व्यवस्था बहुत कम है और स्थान बहुत थोड़े हैं । एक हजार आदमियों के लिये व्यवस्था है जबकि मांग १५००० की है । १५००० लोगों ने आवेदन किया है । उन्होंने प्रार्थना की है कि उनको काम सिखाया जाए लेकिन सरकार उनको काम सिखाने में असमर्थ है । तो मैं यह कहा चाहता हूं कि यदि हमें अपने नौजवानों को काम से लगाना है तो यह जरूरी बात है कि हमें उनको धंधा सिखाना चाहिये, नहीं तो मैट्रिक पास करके वे नौकरी ही तलाश करेंगे । जहां तक दिल्ली का सवाल है, उनसे यह कह दिया गया है कि जो थर्ड डिवीजन में मैट्रिक पास होंगे उनको कालिज में भरती नहीं किया जाएगा । उनके लिये कालिज के दरवाजे बन्द रहेंगे । नौकरी उनको मिलेगी नहीं । तो वे बेकार रहेंगे । तो मैं मंत्री जी से कहा चाहता हूं कि उनको अधिक से अधिक लोगों को टेकनिकल ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि वह प्रशिक्षण पाकर अपने घर के अन्दर कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकें और उससे अपने परिवार का गुजारा कर सकें । आज तो यह प्रवृत्ति है कि पढ़ने के बाद हमें प्रशासन में नौकरी करनी है :

प्रशासन के बारे में भी मैं कुछ कहा चाहता हूं। प्रशासन का हाल आज यह है कि प्रशासन ढीला और निकम्मा हो गया है। जनता आज इस बात को महसूस करने लगी है कि दफ्तरों में जितना काम होना चाहिये उतना काम नहीं हो रहा है। आज हर चीज की सीमा निर्धारित की जा रही है। आप भूमि की सीमा निर्धारित कर रहे हैं। आय की सीमा निर्धारित करने की बात की जाती है। मेरा सुझाव है कि आपको काम की भी कोई सीमा निर्धारित करनी चाहिये। आपको यह निश्चित करना चाहिये कि एक व्यक्ति जिसको हम पैसा देते हैं उससे हमें कितना काम लेना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सरकार इस काम के लिये एक कमेटी बिठाए जो कि यह देखे कि एक क्लर्क को कितना काम करना चाहिये और वह कितना काम आसानी से उन घण्टों में कर सकता है जितने घण्टे कि उसे काम करना चाहिये। आज अवस्था यह है कि दफ्तरों में काम पूरी तरह से नहीं होता। दस बजे आना चाहिये, उसके साढ़े दस और ११ बजे तक क्लर्क आते हैं। उसके बाद कुछ बात करते हैं, फिर कुछ काम करते हैं। फिर देखते हैं कि कब एक बजता है और लंच का टाइम होता है। एक बजे से पहले ही काम छोड़ देते हैं और दो बजे के बाद फिर आते हैं, फिर कुछ बातचीत करते हैं, यूनियन की बात करते हैं, सिनेमा के स्टारों की बातें करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा काम करते हैं और फिर घड़ी की तरफ नजर जाती है और पांच बजे से पहले वह अपना स्थान छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर सरकारी नौकर के लिये यह नियत कर दें कि उसको कितना काम करना चाहिये और वह उतना काम करने के लिए जिम्मेदार हो। अगर वह उतना काम नहीं करता है तो उससे जवाब तलब किया जा सकता है। मैं तो समझता हूं कि प्रशासन में कार्यक्षमता लाने के लिये आपको यह कदम उठाना पड़ेगा। और आप को यह कदम उठाना चाहिये तभी हम देश को प्रगति की ओर ले जा सकेंगे।

इसी तरह से ओवरसियरों और इंजिनियरों आदि की बात ले लीजिये। आज बहुत से मजदूर सरकारी नौकरी में इसलिये आना चाहते हैं कि वहां उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। मैंने देखा है कि सड़क बन रही है, मजदूर बैठे हैं हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर काम करते हैं और फिर काम नहीं करते हैं। तो आपको यह तै करना होगा कि जनता के पैसे में से हम जिस व्यक्ति को इतनी मजदूरी देते हैं उससे इतना काम लिया जाएगा। ऐसा करके ही हम अपनी योजनाओं को सफल बना सकेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह होगा कि जो योजना आपने बनायी है, जो टारजेट रखे हैं वह सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वह लक्ष्य पूरे नहीं होंगे और उसके लिये तरह-तरह के बहाने बनाये जायेंगे। तो मैं यह कहा चाहता हूं कि इस ओर जरूर ध्यान दिया जाए।

गांवों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हम गांवों के सुधार की बात करते हैं। आज गांवों की अवस्था क्या है? आज उनकी हालत शहर की एक गन्दी बस्ती से भी बुरी है। हम कहते हैं कि वहां पर कम्यूनिटी डेवेलपमेंट का काम होता है। यह ठीक है कि वहां कम्यूनिटी डेवेलपमेंट का काम होता है। कुछ गलियारे सड़कें बन गए हैं, कुछ कुएं खुद गए हैं, लेकिन हालत यही है कि वहां एक परिवार रहता है, उसमें अगर चार पांच पशु हैं, तो वहीं वे बंधते हैं और वहीं पर वे लोग रहते हैं। वहां ही पशुओं की गन्दगी है और वे सब मिल कर एक दूसरे में समाए हुए हैं। जहां सरकार भूमि-सुधार की बात करती है और सहकारी खेती की बात करती है, मैं चाहता हूं कि उसको यह भी तय करना पड़ेगा कि प्रत्येक गांव में एक सहकारी डेयरी फ़ार्म हो। मुझे याद आता है कि बापू जी ने एक बार सुझाव दिया था कि प्रत्येक गांव में सहकारी डेयरी फार्म होना चाहिये और उसमें सब लोगों के पशु बंधने चाहियें, ताकि गांव की गन्दगी दूर हट जाये। पशुओं का गोबर एक जगह इकट्ठा किया जाये, उससे हम खाद बनायें और उसको काम में लायें। मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे।

भूमि सुधार के सम्बन्ध में मैं कहता हूं कि . . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब खत्म करें।

श्री नवल प्रभाकर : मैंने तो अभी आरम्भ ही किया है। मैं बहुत जल्दी खत्म कर देता हूं।

भूमि-सुधार में हमने कानून तो बनाए और वे ठीक हैं, लेकिन आज हालत यह है कि जो काश्तकार है, वह भी अदालत में खड़ा हुआ है और जमींदार को तो अदालत में खड़ा रहना ही है, क्योंकि वह पैसे वाला है, वह दस मुकदमे लगा देता है। इस विषय में यह देखना चाहिये कि कहां संशोधन और परिवर्तन की ज़रूरत है।

दिल्ली के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। दिल्ली में यह पार्लियामेंट है। दिल्ली का नक्शा मैं आपको क्या बताऊं? अगर आप कल्पना कीजिए उस नवयुवती की, जिसके चेहरे पर पाउडर लगा हुआ है, जिसके बालों में सुगन्धित तेल लगा हुआ है, जिसके गले में एक रेशमी चुनरी है, लेकिन नीचे लहंगा फटा हुआ है, तो वही हालत आज दिल्ली की है। वह युवती जो है, वह अंग्रेजी भी बोलती है और दूसरी बहुत सी भाषायें बोलती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां हमारे यहां गन्दी बस्तियां हैं, वहां नई दिल्ली के आलीशान मकान भी हैं। मैं चाहता हूं कि जहां नई दिल्ली की शानो-शौकत है, वहां दिल्ली की गन्दी बस्तियों को भी हम देखें। यह ठीक है कि प्लान में इसका प्राविजन है। मास्टर प्लान भी बन गया है और वह १९८१ तक के लिये है। बहुत सारी ज़मीन एक्वायर भी हो गई है। मैं पिछले पांच बरस से देखता आ रहा हूं, लेकिन इस सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है, वह नगण्य के बराबर है। रोजाना मैं अपने इलाके में जाता हूं और देखता हूं कि कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है। हां, भारत सेवक समाज की तरफ़ से थोड़ा बहुत काम हो रहा है। यह मैं मानता हूं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक कार्पोरेशन का सम्बन्ध है, या पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का सम्बन्ध था, उसमें स्थिति यह है कि आज सुधार किया जाता है और कल वह खत्म हो जाता है। जहां सीमेंट लगाया जाता है, वह पानी पड़ते ही बह जाता है। यह हालत है। मैं चाहता हूं कि सरकार उन स्लम-एरियाज में सुधार करने का प्रबन्ध करे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय केन्द्र द्वारा शासित है। वहाँ आज हालत यह है कि छात्रों के लिये कालेज नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस तरह का कुछ प्रबन्ध होना चाहिये कि हम कम से कम केन्द्र में तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये बच्चों को सुविधा दे सकें। मेरा यह नम्र निवेदन है कि तीसरी योजना में बच्चों के लिये ज़रूर यह व्यवस्था की जाये।

अन्त में अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में कह कर मैं बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अब कोई नया प्वायंट नहीं लेना चाहिये। उन का समय खत्म हो गया है।

श्री नवल प्रभाकर : मैं दो मिनट में खत्म कर देता हूं।

अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में इसमें लिखा है कि हम उनकी आर्थिक प्रगति की आशा करते हैं। मैं चाहता हूं कि जहां हमने उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाया है, वहां हमें उनकी आर्थिक अवस्था को भी सुधारना चाहिये। जब तक उनकी आर्थिक अवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक उनकी सामाजिक अवस्था में सुधार के लिये, प्रचार के लिये कितना ही पैसा लगायें, हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी और वे लोग समाज में फिट नहीं हो सकेंगे। मेरी आशा है कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरिजनों और परिगणित जाति के लोगों को ऐसे अवसर दिये जायेंगे कि जिससे उनकी आर्थिक अवस्था अधिक से अधिक अच्छी हो और वे देश में सम्मानपूर्वक जिन्दगी बिता सकें।

†श्री मी० र० मसानी (राँची–पूर्व) : मैं श्री रंगा, अपने तथा अपने दल के अन्य सदस्यों के स्थानापन्न प्रस्तावों का समर्थन करता हूं । साथ ही मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना का समर्थन नहीं करता । माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने हमारे ऊपर जो लाँछन लगाये हैं उन के व्यक्तित्व एवं पद को देखते हुए शोभनीय नहीं है ।

इस प्रारूप की चर्चा करते हुए मैं तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । पहली बात तो सहयोग और सहकारी खेती की है । श्री रंगा ने बता दिया है कि हम सहयोग में विश्वास रखते हैं। लेकिन सहकारी खेती हमारे विचार से और कुछ नहीं है बल्कि रूस में प्रचलित सामूहिक खेती ही हैं ।

योजना के बारे में हमारा प्रधान मंत्री से यही मतभेद है कि योजना किस ढंग की होनी चाहिये । नियम कैसे होने चाहियें । प्रधान मंत्री के इन सिद्धान्तों से हम सहमत हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन हो तथा सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोका जाये । लेकिन इस सिद्धान्त के जिस निष्कर्ष पर वे पहुंचे हैं उन की अपेक्षा हमारे निष्कर्ष दूसरे ही हैं । राज्य के पास सत्ता के केन्द्रीभूत हो जाने में ही हमें डर मालूम होता है । इसलिये हम सिद्धान्त के विरुद्ध हैं ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि हम भारी औद्योगीकरण, शीघ्रगामी औद्योगीकरण तथा भारी उद्योगों में विश्वास नहीं रखते । हम सभी तरह के विकास में विश्वास रखते हैं । हम चाहते हैं कि भारी-भारी उद्योगों की स्थापना हो, औद्योगीकरण हो, लेकिन यह सब कुछ कृषि तथा छोटे-छोटे उद्योगों की उन्नति एवं विकास के साथ-साथ ही हो ।

मेरे विचार से तीसरी योजना में चौथे इस्पात संयंत्र को सम्मिलित करना बल्कुिल बेकार है । हम चौथे इस्पात संयंत्र के विरोधी तो नहीं हैं । लेकिन अभी इस के लिये उपयुक्त समय नहीं है । अतः मेरे विचार से जो धन इस चौथे संयंत्र पर लगाया जा रहा है उसे अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यों पर लगाया जा सकता है । इस्पात उद्योग पर इस योजना में जो राशि व्यय होगी उस से न तो अधिक आय ही होगी और न अधिक लोगों को रोज़गार ही मिलेगा लेकिन इतना ही धन यदि और उद्योगों में लगाया जाये तो उससे न केवल आय ही अधिक होगी बल्कि अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरा कारण यह भी है कि इस तैयार माल के खपत का प्रश्न उठता है । हम संभरण की अपेक्षा उत्पादन अधिक करने लगेंगे । तीसरा कारण इस संयंत्र के न लगाने का यह भी है कि इस उत्पादन का क्या होगा । यह कहा गया है कि हम निर्यात करेंगे । लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वह निर्यात कहाँ होगा क्योंकि सभी देश इस्पात के मामले में आत्मनिर्भर हैं । अतः चौथे इस्पात संयंत्र को लगाना बिल्कुल व्यर्थ है ।

इस योजना में कृषि के प्रति तो केवल मौखिक सहानुभूति ही दिखलाई गई है, जबकि उद्देश्य तो भारी उद्योगों को ही लाभ पहुंचाने का है ।

सरकारी क्षेत्रों में योजना के कुल व्यय की दो तिहाई राशि व्यय की जायेगी । इस राशि का तीन चौथाई भाग गैर-कृषिजन्य कामों पर व्यय होगा । अतः मेरे विचार से योजना की बहुत बड़ी कमी है । लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है । उस का उपाय यह है कि यदि हम अपना धन कृषि सम्बन्धी उत्पादन पर लगायें तो हमारी राष्ट्रीय आय में बड़ी तेज़ी के साथ विकास होगा । और तीसरी योजना में जो आय बताई गई है उस से भी अधिक आय होगी । हालाँकि श्री जयप्रकाश नारायण हमारे दल में नहीं लेकिन फिर भी उन की राय है कि यह योजना गलत ढंग से तैयार की गई है । अतः मैं कह सकता हूं कि यह हमारी विचारधारा ही नहीं है बल्कि दूसरे लोग भी इस योजना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मी० रु० मसानी]

के बारे मे ऐसा ही सोचते हैं। हम ने इस योजना आयोग को अतिरिक्त संवैधानिक निकाय कहा है। इस की रचना साम्यवादी रूस के आधार पर की गई है। जो लोकतंत्रीय ढांचे के बिल्कुल विपरीत है। आज वह समय आ गया है जबकि लोग इस प्रकार की व्यवस्था से अलग हटने लगे हैं।

इस योजना से सम्बन्धित दो बातों का उल्लेख करूंगा। पहली बात तो यह है कि आय-व्यय सम्बन्धी प्राक्कलन के आँकड़े गलत दिये गये हैं। और दूसरी बात यह है कि इस से निश्चय ही मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इस योजना का कुल पूंजी व्यय ११,२५० करोड़ बताया गया है। यह ठीक है कि यह राशि घरेलू एवं वैदेशिक सहायता से आयेगी। योजना आयोग का कहना है कि हमारे राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत की वृद्धि होगी लेकिन मुझे इस में डर प्रतीत होता है। क्योंकि यदि आप देखें तो आप को पता चल जायेगा कि वर्ष १९५७-५८ की समाप्ति तक के पिछले ९ वर्षों में राष्ट्रीय आय मे २.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गत तीन वर्षों में यह वृद्धि केवल १.९ प्रतिशत की है। अतः यह सोचना कि आय १.९ से बढ़ कर एकदम ५ प्रतिशत हो जायेगी भ्रान्तिमूलक बात है। क्योंकि लोगों को कृषि तथा छोटे-छोटे उद्योगों में रुपये लगाने से रोका जा रहा है जिन से कि आय अधिक हो सकती अतः हम कैसे आशा कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। अतः मेरे विचार से यह कहना गलत है कि राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत की वृद्धि होगी।

बचत के बारे में भी यह अनुमान लगाया गया है कि यह बढ़ कर ११ प्रतिशत हो जायगी जो भी सन्देहजनक है क्योंकि अभी तक बचत की दर ८ प्रतिशत है। परिस्थितियों को देखते हुए यह आशा नहीं की जा सकती कि यह बढ़ कर ८ से ११ प्रतिशत हो जायेगी। अतः अधिक अनुमान लगाना अनुचित है।

वैदेशिक सहायता का जो अनुमान हम ने लगाया है उतनी सहायता मिलना भी कठिन प्रतीत होता है क्योंकि जितनी सहायता मिलने का आश्वासन प्राप्त हुआ है अथवा मिलने की आशा है वह भी हमारे अनुमान की आधी है।

अब तक के सभी वित्त मंत्रियों ने यह बताया है कि हमारे यहाँ मुद्रास्फीति अमरीका तथा अन्य देशों की अपेक्षा कम है। यह बात सच है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्रारम्भ कैसा है तथा मुद्रास्फीति को सहन करने के लिये आप की क्षमता कितनी है। मुद्रास्फीति का अन्दाजा हमें दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से ही करना चाहिये न कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से। आज १ रुपये का मूल्य १९३९ में एक रुपये के मूल्य की अपेक्षा केवल १/५ रह गया है। प्रधान मंत्री का कहना है कि अर्थ व्यवस्था के विकास के साथ-साथ मुद्रास्फीति होना अनिवार्य है। लेकिन मुद्रास्फीति से तो जनता में संकट आता है इस से लोगों को भूखा मरना पड़ता है। अतः योजना के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न करना बुद्धिमानी नहीं है। मुद्रास्फीति समाजवादी समाज के सिद्धान्त का विरोधी है।

प्रधान मंत्री का कहना है कि नियंत्रण के द्वारा हम वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से रोकेंगे। भगवान ही जाने कि इस नीति से हमारे देश का क्या होगा। मेरा निवेदन है कि मूल्यों की वृद्धि मुद्रास्फीति को कम कर के, घाटे की वित्त व्यवस्था न कर के, तथा कृषि तथा अन्य ऐसे उद्योगों में रुपया लगा कर जिनसे आय अधिक हो, कम की जा सकती है।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप भविष्य में उन्नति करना चाहते हैं तो आज की समृद्धि के आधार पर कल की नींव खड़ी करो। वर्तमान पीढ़ी के साथ अच्छा व्यवहार करो। आगामी पीढ़ियों की भलाई के लिये वर्तमान पीढ़ी से भूखा मरने के लिये कहना ठीक नहीं है। हमारी योजना की सम्पूर्ण व्यवस्था सोवियत ढांचे पर आधारित है जो आगामी पीढ़ियों के भविष्य का ध्यान रख

कर वर्तमान पीढ़ी की अवहेलना करती है। आज की योजना के निर्माता हम से भविष्य के कल्याण के लिये भूखा रहने के लिये कह रहे हैं। लेकिन भारतीय अधिक धैर्य नहीं रख सकते वे तो अपने प्रयत्नों का फल देखना चाहते हैं। अतः हम दूसरे ढंग की ही योजना चाहते हैं। मेरा विचार यह है कि योजना इन पाँच वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति की लगभग १.४ आय छीन लेगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिये।

अतः मैं स्थानापन्न प्रस्तावों पर जोर देता हूं। और कहता हूं कि हम इस योजना को सर्व-सम्मति से पारित नहीं होने देंगे। हम इस के विपक्ष में अपनी सम्मति देंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब चेअरमैन साहब, हाउस में बहुत तकरीरें हुई हैं, बड़ी ज़बर्दस्त तकरीरें हुई हैं, लेकिन ताहम मैं यह कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं करता कि जो बेसिक आब्जेक्टिव हमारे सामने रक्खे गये हैं, जो बेसिक बातें हमारे सामने रक्खी गई हैं, उन में आम तौर पर बहुत थोड़ा फर्क है। थोड़ा सा अप्रोच हो सकता है, थोड़ा सा नतीजा देखने में फर्क हो सकता है, लेकिन जहाँ तक प्लैन के आब्जेक्टिव का सवाल है, उन में किसी को फर्क नजर नहीं आया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे सामने दो तीन बातें उसूल की रक्खीं और बतलाया कि हम यहाँ यह चाहते हैं, वही उसूल हम देखते हैं कि हमारे काँस्टिट्यूशन में भी हैं। इस प्लैन के अन्दर भी वही उसूल हैं। जब इन तीनों के अन्दर हमें रिकसिलिएशन मालूम होता है और यह दिखलाई देता है कि इन तीनों में कोई फर्क नहीं है तो मुझे यह कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं है कि जहाँ तक सोशलिज्म का सवाल है, वहाँ तक किसी में कोई फर्क नहीं है। बाकी तरीके इम्पलीमेंटेशन में क्या फर्क होगा, इम्पलीमेंटेशन का, इन्फ्लेशन किस तरह से मुल्क में हो रहा है उस के बारे में मैं अपने दोस्त श्री मसानी की स्पीच को सुना। उस के बारे में मैं कोई राय यहाँ देने के लिये तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं ने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया है। लेकिन मैं एक मोटी सी बात जानता हूं कि जहाँ तक हमारे पंडित नेहरू के सोशलिज्म का सवाल है, वह यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर हर एक आदमी को खाना मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, हेल्थ के वास्ते सैनिटेशन मिले। मैं तो सोशलिज्म के माने यही समझता हूं।

आचार्य कृपालानी : प्राइमरी एजूकेशन।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हाँ, प्राइमरी एजूकेशन, मैं उसे भूल गया था। हमारे देश का जो काँस्टिट्यूशन है उस के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उठा कर देखिये, उन के अन्दर भी यही चीजें दर्ज हैं। इन के सिवा वहाँ पर कोई चीज दर्ज नहीं है। आप किसी भी दफा को निकाल कर देखिये, दफा ४१, ४२, ४३ सबों में यही चीजें दर्ज हैं। अगर प्लैन इस गरज से बनी है, पहली दोनों प्लैन्स अगर इसी गरज से बनी थीं, तो मुझे कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं कि उन के आब्जेक्टिव ठीक हैं, उन के डिटेल में, इस बात में कि काम कैसे होना चाहिये, फर्क हो सकता है, लेकिन उन के आब्जेक्टिव्ज में कोई फर्क नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहाँ तक इस प्लैन के आब्जेक्टिव्ज का सवाल है, उन को हमारे सामने हर एक शख्स सपोर्ट करता है। उन के इम्प्लिमेंटेशन का जहाँ तक सवाल है, उस में फर्क जरूर होगा और रहेगा और उसी फर्क के बारे मे यहाँ पर तकरीरें हो रही हैं।

श्री मसानी साहब का यह कहना कि एक बाहर की आथॉरिटी ने, प्लैनिंग कमीशन ने इसे बना कर रख दिया और किसी को यहाँ पर उस पर नुकताचीनी करने का अत्याचार नहीं है, इसका जवाब तो खुद उन की स्पीच है। वह खुद इस बात की सुबूत है . . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मी० रु० मसानी : मैं ने यह नहीं कहा था । मैं ने कहा था कि कैबिनेट मिनिस्टर के हक के खिलाफ है । यह पालिसी बना देते हैं, ऐडवाइस नहीं देते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि प्लैनिंग कमीशन का यह रोल फिल वाकया हमारे कांस्टिट्यूशन में दर्ज नहीं है । प्लैनिंग कमिशन की अपनी कान्स्टीट्यूशनल पोजीशन नहीं है जिस से वह काम करता है, यह उस कांस्टीट्यूशन में दर्ज नहीं है और यह पहली दफा नहीं है जब मैं यह कह रहा हूं । पहले भी कह चुका हूं कि यह सूरत है । लेकिन ताहम जो चीज वहाँ से आती है वह कैबिनेट में आती है और जो चीज कैबिनेट चाहती है वह वहाँ पर जाती है और उस के बाद इस हाउस के अन्दर आती है । उस में हर एक शख्स को अख्त्यार है अपनी राय जाहिर करने का । कितने ही कांग्रेस मेम्बर रोज प्लैनिंग कमिशन के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं । आज मसानी साहब की नुक्ता चीनी मैं ने सुनी । यह कहना कि प्लैनिंग कमिशन कैबिनेट के ऊपर एक बाडी है, यह दुरुस्त नहीं है । पालियामेंट के ऊपर प्लैनिंग कमिशन को ज्यादा अख्त्यार है, यह कहना भी दुरुस्त नहीं है । फर्स्ट प्लैन, सैकेन्ड प्लैन और आज यह थर्ड प्लैन पालियामेंट के सामने आई । इस लिये कि सब लोग उसे क्रिटिसाइज कर सकें ।

आचार्य कृपालानी : मिनिस्टर खुद कहता है कि यह मुसीबत हमारे ऊपर पड़ी है तो हम क्या करें ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर आप मिनिस्टर साहब का कहना मानते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना मान लीजिये क्योंकि वह सब से बड़े हैं । मिनिस्टर भी वैसा ही एक मेम्बर है यहाँ का जैसे मैं एक अदना मेम्बर हूं और उसे भी अपनी राय जाहिर करने का उसी तरह अख्त्यार है जिस तरह से मुझे अपनी राय जाहिर करने का अख्त्यार है । मैंने खुद उन मिनिस्टर साहब से इस हाउस में कहा था कि आप जो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं उस पालिसी को आप फालो करते हैं, ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर होते हुए आप अपनी पालिसी को फालो नहीं कर सकते, तो आप मिनिस्टर नहीं हैं । सुपर मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं । मिनिस्टर आप हैं नहीं, इस लिये कैबिनेट एग्रीकलचर मिनिस्टरलेस बाडी है । इसी तरह से मैंने प्लैनिंग कमिशन के बारे में कहा था कि वह हमें मिनिस्टरलेस बाडी नहीं बना सकता । यहाँ एक मिनिस्टर ने बयान दिया, मैं उस की बात को सही समझूं, अपनी राय छोड़ दूं, यह हमारे मसानी साहब के खिलाफ होगा कि सब लोग यहाँ पर अपनी राय जाहिर कर सकें । इस वास्ते हमारे सामने जो सवाल है वह यह है कि क्या हम मानने के लिये तैयार हैं कि हमारी पिछली दो प्लैन कामयाब हुईं ? जो प्लैन खत्म हुईं उन में अगर हम इस उसूल से देखें, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा और जो हमारे कांस्टिट्यूशन में दर्ज हैं, कि वह कहाँ तक कामयाब हुई तो मुझे जरा भी ताम्मुल नहीं है यह कहने में कि जब तक हमारे देश में इतना अनएम्प्लायमेंट है जितना कि आज है, जब किसी देश के अन्दर इतनी जमीन होते हुए सेल्फ सफिशिएसी इन फूड न हो, तो इस में कोई शक नहीं है कि दोनों प्लैन फेल हुईं क्योंकि अनएम्प्लायमेंट का सोल्यूशन इस प्लैन में नहीं है । इस अनएम्प्लायमेंट का सोल्यूशन जरा मुश्किल चीज है कांस्टिट्यूशन के आइडियल को देखते हुए कि हम किसी शख्स को अनएम्प्लायड न रहने दें, हम हर एक को अच्छी कंडिशन्स आफ सर्विस और ऐडिक्वेट मीन्स आफ लाइवलीहुड मुल्या करें । यह आइडियल सोशलिज्म का है जो कि हमारी सरकार के सामने है, लेकिन क्या यह आइडियल

†मूल अंग्रेजी में

कभी पूरा हुआ है ? अगर इन्टेन्शन्स के मुताबिक आइडियल्स पूरे हों तो जैसा शेक्सपिअर ने लिखा था हर एक आदमी का घर झोपड़ी न हो कर महल हो जाय । यह चीजें हैं जिन के पीछे हम चल रहे हैं । खुद हमारे कॉंस्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है, हम ने उस ने पास कर दिया कि दस बरस के अन्दर हम फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन १४ साल तक के हर एक लड़के लड़की को देंगे । हम ने कह दिया कि हम हर एक को ऐडिक्वेट मीन्स आफ लाइवलीहुड देंगे । लेकिन वह आइडियल्स थे । उन की तरफ हमें सरकना था, चलना था और उन की तरफ हम चल रहे हैं, अगर इस लिहाज से हम अपनी दोनों पहली प्लैन्स को देखें कि हम आइडियल्स के पीछे चल रहे हैं या नहीं तो पहली प्लैन भी कामयाब और दूसरी प्लैन भी कामयाब । लेकिन दोनों नाकामयाब, अगर आप देखें कि वह आइडियल पूरा हुआ या नहीं । हमारे सामने सवाल यह है कि यह तीसरी प्लैन हमें उस आइडियल की तरफ ले जाती है या नहीं, जो कॉंस्टिट्यूशन में रखा गया था और जो सोशलिज्म का आइडियल है, और जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन का जो व्यू है कि यह होना चाहिये । हमें देखना है कि इस नुक्ते निगाह से यह प्लैन हमें कहाँ ले जाती है ।

वैसे साफ है कि जो मुल्क अपने फूड के वास्ते अमरीका में जा कर एकदम से ७० मिलियन टन फूड के वास्ते बात करे उस से जाहिर है कि में अपनी प्लैन में कामयाब हुआ । इस में कोई शक नहीं है । कल मैंने कृपालानी साहब की तकरीर सुनी कि कितना माउंटिंग नम्बर अनएम्प्लायमेंट का हर एक प्लैन के साथ रहा । उस से साफ जाहिर है कि हम इस प्राब्लेम को साल्व नहीं कर सके । सवाल यह है कि हम उसे साल्व कैसे करें । इस के सोल्यूशन के लिये जो प्लैनिंग कमिशन और सरकार बताती है, जो हमारे अगुआ बतलाते हैं, वह क्या है ? वह यह कहते हैं कि एक काम तो यह करो कि आइन्दा के वास्ते मुल्क में सेल्फ सफिशिएन्सी इन फूड करो, दूसरी चीज यह है कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करो । इंडस्ट्रियलाइजेशन से मुझे पता नहीं क्या होगा । आम तजुर्बा यह है कि जहाँ इंडस्ट्रीज़ बनीं, उन पर रुपया बेशुमार खर्च हुआ पर बहुत थोड़ा एम्प्लायमेंट उन के अन्दर हुआ । लेकिन इस के सिवा इलाज क्या है ? एम यह है इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि उस से इस देश के अन्दर काम बढ़ेगा, हर एक के लिये काम होगा । इसके पीछे यह आइडिया है । अगर यह आइडिया गलत है तो मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल गलत चीज है । आप इडस्ट्रिलाइजेशन के पीछे न जाइये । किसी चीज के अन्दर न जाइये, बस परमात्मा से दुआ कीजिये कि हमें कोई ऐसी अक्ल दे कि इस चीज का इलाज सोचें । लेकिन अगर यही इलाज है और पंडित नेहरू का यह कहना, कि बेसिक इंडस्ट्रीज़ जरूरी चीज है, हेवी इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर बेसिक इंडस्ट्रीज़ के बिना कामयाबी नहीं होगी, सही है तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ के लिये जितना रुपया खर्च किया जाय उतना थोड़ा है क्योंकि इस के बेसिस पर सब चीज होगी । मैं मानता हूं कि ऐनिमल हस्बैन्ड्री ऐग्रिकल्चर की बुनियाद है उसी तरह से मैं समझता हूं कि जो आप की बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वह इंडस्ट्रियलाइजेशन की बुनियाद हैं । अगर आप के यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो बेसिक इंडस्ट्रीज की बुनियाद पर होगा । आप देखिये कि जापान में क्या हुआ ? उस ने दूसरे मुल्क से एक बार एक मशीन मंगाई, लेकिन दूसरी बार वह मशीन उस ने दूसरे मुल्क से नहीं मंगवाई । हमारे देश के अन्दर एक नहीं सैकड़ों मशीनें दूसरे मुल्कों से एक ही तरह की अब तक आती रही हैं । सारी शुगर मिल्स को आप देखिये, कितनी शुगर मिल्स की मशीनें हमारे यहाँ आई हैं, कितना रुपया हम ने उन पर खर्च किया । अगर हमारे यहाँ बेसिक इंडस्ट्रीज होंगी तो यहाँ मशीन इंडस्ट्री फर्स्ट क्लास चीज है जिस की तरफ हमें तवज्जह देनी चाहिये । मैं देखता हूं कि इस प्लान के अन्दर इसका लिहाज रखा गया है । इसलिए मैं कहना चाहता

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हूं कि यह प्लान भी पहले दो प्लानों का प्रोजेक्शन है। मुझे यह कहने मे कोई तअम्मुल नहीं कि जहाँ तक इसके आब्जैक्टिव हैं वह ठीक हैं। यह निहायत काबलियत की बात की गयी, और मैं उन लोगों को दाद देता हूं जिन्होंने हमारे सामने यह प्लान रखी है। लेकिन जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है, अगर सिर्फ प्लानिंग से काम हो जाय तो फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं। जो ज्यादा जरूरी चीज़ हैं उन को हम इस देश में नहीं देखते हैं। हम ने अपने कांस्टीट्यूशन में आर्टिकिल १४ रखा है, आर्टिकिल ३५५ रखा है और आर्टिकिल ३५६ रखा है। इसका मतलब यह था कि हमारे देश की हुकूमत इन उसूलों के मुताबिक काम करेगी। दफा १४ में कहा गया है कि हर आदमी को इक्वालिटी विफोर ला होगी। और हर आदमी को ही नहीं ग्रुप आप परसन्स को भी ला में ईक्वालिटी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक सब के साथ इन्साफ नहीं होगा तब तक इस देश के अन्दर लोगों को गवर्नमेंट में विश्वास नहीं होगा।

आज पंजाब का जिक्र किया जाता है और आसाम और बंगाल का जिक्र किया जाता है। क्या हो रहा है पंजाब के अन्दर? ये चीजें क्यों आती हैं। ये इसलिए हो रहा है कि देश के अन्दर कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हुकूमत नहीं होती। जब तक ऐसा नहीं होगा देश के अन्दर पीस नहीं होगी। आसाम वाले यही तो कहते थे कि हमारे साथ इन्साफ नहीं हुआ, हमको नौकरियाँ नहीं मिलतीं। हमको इन्साफ नहीं मिलता। इसी तरह से जिस इलाके से मैं आता हूं यानी हरियाना, वहाँ बराबर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और उनको किसी चीज में पूरा हिस्सा नहीं मिलता। मैं बराबर इस चीज की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाता आ रहा हूं लेकिन अभी तक इसको दुरुस्त नहीं किया गया। यह गवर्नमेंट का फर्ज है कि हर इलाके के साथ, हर ग्रुप के साथ इन्साफ होना चाहिए। आज सब के साथ इन्साफ नहीं हो रहा है। उसका नतीजा यह हुआ है सारे देश के अन्दर कुहराम मचा हुआ है। गवर्नमेंट ने कई गलतियाँ की हैं। अगर कोई ग्रुप जबरदस्त होता है तो उसके हक में फैसला कर दिया जाता है। उसी का नतीजा है कि आज देश के अन्दर फ्रस्ट्रेशन है। प्लान तभी कामयाब होगा जब देश के अन्दर पीस होगी और लोगों को यकीन होगा कि उनके साथ इन्साफ किया जायेगा। आज लोगों में यह यकीन फेड होता जा रहा है। लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट सही फैसला नहीं करती है। और पंजाब में जो आज खराबी हो रही है उसकी यही वजह है।

इसी तरह से मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि प्लान की कामयाबी के लिये यह निहायत जरूरी है कि देश के अन्दर सालिडेरिटी हो और वह तभी हो सकती है जब कि देश का हर आदमी यह समझे कि मैं भी इस देश का सिटीजन हूं और मेरे साथ पूरा इन्साफ होगा। तो एक चीज तो प्लान की कामयाबी के लिए यह जरूरी है कि देश के अन्दर सालिडेरिटी हो।

दूसरी चीज जो कि प्लान के लिए निहायत जरूरी है वह है लोगों का कोआपरेशन। यह यह कोआपरेशन इसलिए नहीं मिलेगा कि गवर्नमेंट कोआपरेशन करने के लिए कहती है। बल्कि वह कोआपरेशन आपको तब मिलेगा जब हर आदमी यह समझेगा कि ऐसा करने में उसका अपना भी फायदा है। जब किसान को यह मालूम होगा कि पैदावार बढ़ाने से उसको भी फायदा होगा तभी वह पैदावार बढ़ायेगा वरना वह नतीजा नहीं निकलेगा जो आप निकालना चाहते हैं।

अब आप मुलाहिजा फरमायें कि जहाँ तक सेल्फ सफीशेंसी का ताल्लुक है उस पर बहुत जोर दिया गया है। इसके लिए लैंड रिफार्म की जरूरत महसूस की गयी है और इसके लिए एलोकेशन्स किये गये हैं। मैं इन दो चीजों पर ही कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

लैंड रिफार्म के बारे में मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि आपने सीलिंग वगैरह का ला पास कर दिया है और उस पर कुछ कुछ अमल भी हो रहा है। लेकिन आप ला तो कुछ पास करते हैं, उसूल कुछ रखते हैं, पर उसका नतीजा कुछ और होता है। एक उसूल आपने रखा कि देश के अन्दर इंटरमीजियरी नहीं होने चाहिए। देश के अन्दर कोई टिनेंट नहीं रहेगा बल्कि हर एक काश्त करने वाला जमीन का मालिक रहेगा और उसका गवनमेंट से सीधा सम्बन्ध रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब के अन्दर क्या हो रहा है। सन् १९५३ में पंजाब में एक कानून पास किया गया था कि सा् १९५३ की जमीन देखी जाएगी कि उस वक्त किस के पास कितनी जमीन थी और जो ज्यादा जमीन होगी उसको सरप्लस करार दिया जायेगा, इसमें यह तो नहीं लिखा है कि वह जमीन गवर्नमेंट के कब्जे में आ जायेगी। अब आप देखें कि वहां तजवीज क्या है। वहां पांच पांच एकड़ जमीन पर मजारे बिठाये जा रहे हैं, वह बटाई पर मालिक की जमीन पर काश्त करेंगे और मालिक रेवेन्यू देगा और इस तरह से इंटरमीजियरी बना रहेगा। उसूल तो यह था कि जो जमीन को जोते वही उसका मालिक रहे ताकि वह पैदावार बढ़ाने में अपना दिल लगा सके लेकिन उस उसूल को छोड़ कर पांच पांच एकड़ के टिनेंट बनाये जा रहे हैं और बीच में मालिक को रखा है जो कि इंटरमीजियरी रहेगा और जमीन जोतने वालों को सबारडिनेट टेन्योर दिया जायेगा। यह गलत चीज है। लेकिन अगर आप ऐसा करना ही चाहते हैं तो कम से कम उनको दस एकड़ जमीन तो दें जो कि इकानमिक होल्डिंग हो। अगर किसी जमीन में ५ एकड़ में उतनी पैदावार होती हो जितनी कि दस एकड़ में हो सकती है, तो आप पांच एकड़ दें, लेकिन इतनी जमीन तो दें कि उसका पेट भर सके। यह आप नहीं कर रहे हैं। और मालिक और मजदूर के झगड़े को दृढ़ भी बना रहे हैं।

सीलिंग में क्या गजब हुआ है वह मैं दुहराना नहीं चाहता। वह मैं दिल्ली लैंड सीलिंग बिल पर अर्ज कर चुका हूं। औरत व बच्चों की जमीन आप बगैर कम्पेन्सेशन के ले लेंगे। माइनर की जमीन उसके बाप को दे दी जायेगी। हिन्दू ला के उसूलों को आप खैरबाद कर रहे हैं। जहां तक पारटीशन का सवाल है आप एक आदमी के बर्थ राइट को छीन रहे हैं। तो इस तरह से आप इन बेसिक उसूलों के खिलाफ जा रहे हैं और प्लानिंग कमीशन भी व प्राइम मिनिस्टर की राय के खिलाफ जा रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह के लैंड रिफार्म से फायदा नहीं हो सकता।

अब मैं एक दूसरी चीज की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। हम ने इस प्लान में एग्रीकल्चर के लिए ६०० करोड़ रुपया रखा है। मेरी नाकिस राय में यह बहुत थोड़ा है। इसको ज्यादा करना चाहिए। लेकिन जो मैं आज खास मजमून आपके सामने रखना चाहता हूं वह ऐनीमल हसबेंडरी है। उसके लिए ५० करोड़ रुपया का एलोकेशन किया गया है।

जनाब वाला अगर कोई जिन्दा चीज इस गवनमेंट के जमाने में सब से ज्यादा मजलूम है तो वह गाय है। इस मुल्क में २० करोड़ जानवर हैं जिन में से १५ करोड़ गायें हैं और पांच करोड़ भैंसें हैं। उनके वास्ते सरकार ने क्या किया है। मैं इस सिलसिले में दो चार बातें आपकी इजाजत से अर्ज कर देना चाहता हूं।

जिस वक्त सरकार पावर में आयी उस वक्त एक कमेटी बिठायी गयी। उस वक्त आनरेबिल डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मिनिस्टर थे। एक कमेटी बिठायी गयी और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उस के बाद और कई मिनिस्टर आये लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जह नहीं दी । शायद उनको यह डर था कि गाय का नाम लेने से कहीं कम्युनल बात न बन जाये । इसलिए किसी ने आज तक गाय की तरफ तवज्जह नहीं दी । और उस क्रिमिनल निगलेक्ट का हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं ।

मैं आपके सामने इस गवनमेंट के एक्सपर्ट्स की राय रखना चाहता हूं । वह कहते हैं कि इस देश के अन्दर अगर गाय के लिए ठीक खाने का इन्तिजाम हो तो उसका दूध ५० पर सेंट बढ़ सकता है और बैल की ट्रैक्शन की ताकत ६० पर सेंट बढ़ सकती है । यह केस गवनमेंट का है, अगर कोई इसको चेलेंज करे तो मैं उसके सामने यह चीज रख सकता हूं । लेकिन क्या किया गया गाय के लिए और अब क्या करने जा रहे हैं । इन दस सालों के अन्दर पहला प्लान आया, दूसरा प्लान आया । अब तीसरे प्लान में भी इस बारे में कुछ करने की तजवीज नहीं है । कि गाय के लिए फीड और फाडर का इन्तिजाम किया जाये । पहले प्लान के बारे में सन् १९५७ के प्रतिवेदन में सुफहा १२८ पर इस बारे में उल्लेख किया गया है ।

सन् १९५३ में इस हाउस में एक रिपोर्ट आयी थी । उसमें कहा गया था कि बड़ा अच्छा काम किया है मिनिस्ट्री ने । मैंने उस रिपोर्ट पर एक अमेंडमेंट हाउस में रखा था कि काम बहुत अनसेटिसफैक्टरी हुआ है जहां तक ऐनीमल हसबेंडरी का ताल्लुक है । और वह तरमीम हाउस में मंजूर हुई और उसको उस रिपोर्ट में लिखा गया । लेकिन आज तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया । दूसरी प्लान की अभी रिपोर्ट नहीं आयी है लेकिन इस रिपोर्ट में दिया गया है जो कुछ काम हुआ है ।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

आज तक तो वह सरवे भी कम्पलीट नहीं हुआ है, कुजा यह कि इस सिलसिले में कुछ किया जाता । इन दोनों प्लान्ज के दौरान, १९४७ से ले कर आज तक, इस गवनमेंट ने कैटल के फ़ीड और फ़ाडर के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया । इस के मुताल्लिक आज ५० करोड़ रुपये की रकम रखी जाती है, हालांकि मिनिस्ट्री ने १२० करोड़ रुपये मांगे थे, जिस को पहले ८० करोड़ रुपये दिया गया और अब घटा कर ५० करोड़ रुपये कर दिया गया है । ये ५० करोड़ रुपये बिल्कुल नाकाफ़ी हैं । सिर्फ एक करोड़ रुपया कैटल के फ़ीड और फ़ाडर के लिए रखा गया है । २० करोड़ जानवर हैं, जिस के मायने ये हैं कि सारी प्लान में ५ साल में एक जानवर के फ़ीड और फ़ाडर के लिए ५ नये पैसे और इस तरह एक नया पैसा फ़ी साल खर्च किया जायगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : शेम, शेम ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: उधर स्लाटर-हाउस के लिए एक करोड़ रुपया है । पोलाटिरी जिसके लिये ५ करोड़ रुपये रखे गये हैं पिगरी भेड़ आदि सभी इस धन में शामिल हैं । वह तो बराबर सा हो गया । मैं अर्ज़ करता चाहता हूं कि इस प्राबलम को हल करने का यह तरीका नहीं है । मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब जगह दर्ज होगा कि जब तक देश में अच्छे बैल नहीं होंगे, दूध देने वाली अच्छी गायें नहीं होंगी, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा । इस बात को मानते सब हैं, लेकिन जब करने का मामला आता है, तो चाहे प्राविन्स हो, चाहे सैन्टर, सब से पहले एनिमल हसबैंड्री के एलोकेशन पर एक्स पड़ता है ।

मेरे हाथ में गोसंवर्द्धन कौंसिल की १९५९ की रिपोर्ट है। मैंने इस हाउस में पढ़ कर सुनाया था कि गवनमेंट यह मानती है कि १९५६–५७ में हमारे पास गायों के लिए सिर्फ ३० परसेंट कनसैन्ट्रेट है और ७८ परसेंट चारा है, बाकी हमारे पास नहीं है। इसलिए हमारी गायें भूखी मरती हैं। अगर इस देश में यह सूरत है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्यों ऐसी चीजें, जो उन के लिए कानसैन्ट्रेट हैं, बाहर भेजती है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि करोड़ों रुपये का ऐसा सामान, जो देश में गायों के काम में आ सकता है, सरकार बाहर भेजती है। मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इस साल मुझे इस बात को अर्ज करने का मौका नहीं मिला, इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि गवनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक १९५१ से १९५६ तक ५,१८,००,००० मन हर साल दूध कम हो गया है। मैं ने अपने ज़माने में अपने इलाके में मामूली गाय को पंद्रह बीस सेर दूध देते देखा और एक बैल की जोड़ी को कोई तीस चालीस मन वज़न ढोते देखा। लेकिन आज हालत यह है कि ७ से १० सेर से ज्यादा गाय दूध नहीं देती और वही बैलों की जोड़ी १५ मन से ज्यादा वज़न नहीं ढोती। यह कोई मेरे कहने की बात नहीं है। पिछली दफ़ा मैं ने हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्वोटेशन दिया था, जिन्होंने ऐसी हालत पर फ़िक्र ज़ाहिर किया था।

गवनमेंट चाहे हज़ार स्कीम्ज़ बनाये—ग्रो मोर फूड कैम्पेन के सिलसिले में उस ने इतना रुपया लगा दिया—लेकिन उस को कामयाबी नहीं हो सकती, जब तक कि वह गाय के मुताल्लिक ऐसे प्रोग्राम न बनाये, जिस में उस के फ़ीड और फ़ाडर का इन्तज़ाम हो। गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक जो दूध यहां पैदा होना चाहिए था और नहीं हो सका, उस के हिसाब से आज तक देश का ज्यादा नहीं, तो आठ अरब रुपये का नुकसान हो चुका है। हम कब तक इस नुकसान को सहते चले जायेंगे ? आज हमारा जमींदार पहले से ज्यादा कमज़ोर है, यह बात सच है। आज ज़मींदार की उतनी जान नहीं है। वह अछूत, शिड्यूल्ड कास्ट्स के वे लोग, जिन के बारे में लोग रोज़ ज़िक्र करते हैं, हमारे इलाके में—मुझे बाकी हिन्दुस्तान का पता नहीं है—हमेशा छाछ पी कर तगड़े रहते थे। आज उन को उसी मात्रा में छाछ नहीं मिलती है। मैं कहता हूं कि जहां तक लोगों का सवाल है, उन को वह चीज़ नहीं मिलती है, जो कि उन को मिलनी चाहिए। जो उनकी तन्दुरुस्ती और ताकत की ज़ामिन है।

जहां तक खेती का सवाल है, इस देश में ३२० मिलियन हैक्टेयर पर खेती होती है और सिर्फ २१ हज़ार ट्रैक्टर हैं। यहां पर २१ हज़ार ट्रैक्टर क्या कर सकते हैं ? विलायत में ९ हैक्टेयर पर एक ट्रैक्टर है और यहां ७३०० हैक्टेयर पर एक ट्रेक्टर है। इस देश में खेती होना नामुमकिन है, एग्रीकल्चरल सैल्फ़-सफ़िशेन्सी होना नामुमकिन है, अगर गवर्नमेंट का यही हाल रहा। मैं अर्ज़ करना चाहता हू कि यह बात आज ही नहीं कही जा रही है, हर साल, हर मौके पर जब कभी हमें मौका मिला, हमने गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ़ दिलाई। गवर्नमेंट से कहा गया कि आप इस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मातहत एक एनीमल हसबैंड्री मिनिस्ट्री कायम करो। क्या जवाब मिला ? कहा गया कि हमारे पास पैसा नहीं है। और चीजों के लिये तो पैसा है, लेकिन एक मिनिस्टर की तनख्वाह के लिये पैसा नहीं है। लेकिन अब ज़रा सी तबदीली हुई है। अब थोड़ी सी किरण दिखाई देने लगी है। अब हमें कुछ मिलता नज़र आ रहा है। श्री अजीत प्रसाद जैन ने अपने इस्तीफ़ा देने से पहले एनाऊंस किया और मुझे कहा कि तुम्हारी जो डिमाण्ड है, उसको हम मान रहे हैं। मैंने इस हाउस में इस बारे में एक रेज़ोल्यूशन रखा था। उस रेज़ोल्यूशन के मुताल्लिक उन्होंने कहा कि हम उसको मानेंगे सिवाय स्टेट्यूटरी बनाने के। श्री पाटिल ने बजट के मौके पर इस हाउस में एनाउंस किया कि हम एनिमल हस-

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बैंड्री को नई शक्ल देंगे और गोसंवर्द्धन कौंसिल को, जो अब तक कोई काम नहीं करती थी सिवाय गोपाष्टमी मनाने के, हम ज्यादा पावर देंगे और उसको प्यो‌ली नान आफ़िशियल बाडी बना देंगे । यह शुक्र का मुकाम है और मैं इस मिनिस्ट्री को दाद देता हूं कि उन्होंने हमारी अर्ज़ को कुबूल किया, इस सैंन्स में कि मैंने अर्ज़ की थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फूड और एनिमल हसबैंड्री का चार्ज लें, वह अर्ज़ तो कुबूल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस बात को एग्री किया और हम को गोसंवर्द्धन कौंसिल के लिये एक ऐसा आदमी दिया है, जिसकी देश में इज्जत है और जिस पर हम को पूरा एतमाद है, जो पूरा पैट्रियाटिक है और जो देश को जरूर आगे ले जायगा । वह हैं श्री ढेबर साहब, जो अब गोसंवर्द्धन कौंसिल के प्रेजिडेंट बनाये गये हैं । गोसंवर्द्धन काउन्सिल की शक्ल के बारे में अभी डिसाइड नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि अपने इकरार के मुताबिक श्री पाटिल साहब, जो खुद गोभक्त हैं, मेहरबानी करके इस को ऐसी शक्ल में दें कि सारे देश में एनिमल हसबैंड्री का सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाये । और ब्यूरो केटिक न रहे बल्कि पोपूलर हो जाये । अगर यह चेंज नहीं हुआ,तो हम इस देश में एग्रीकल्चरल सैल्फ-सफ़िशेन्सी हरगिज़ हरगिज़ हासिल नहीं कर सकेंगे । अगर गवर्नमेंट उसको अटेन करना चाहती है, तो उस को जो मुनासिब शक्ल देनी है, वह दी जाये ।

१३ बरस तक गवर्नमेंट ने कुछ ख़र्च नहीं किया । मेरे पास वक्त नहीं है, वर्ना मैं आप को इस के बारे में पढ़ कर सुनाऊं । पहले प्लान में १६० गोसदन खुलने थे, जिस में से २५ खुले । दूसरे प्लान में १६० के ६० रह गये और अब नई प्लान में छः गोसदन खोलने की तजवीज है । पिछले प्लान में ३५० गौशालाओं को मदद दी गई थी और इस नई प्लान में सिर्फ १०० गौशालाओं का ज़िक्र किया गया है । यह कोशिश कर रही है सरकार गोसंवर्द्धन को बढ़ाने के लिये ! एनिमल हसबैंड्री के रिकार्ड्ज़ में दर्ज है कि यहां पर पेडिग्री बुल्ज़ नहीं हैं । जहां पेडिग्री बुल्ज़ २५० होने चाहियें थे, वहां पर एक है । जब तक अच्छे बुल्ज नहीं होंगे, यह नामुमकिन है कि कैटल ब्रीडिंग का काम अच्छी तरह से हो सके । मैं कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल ४७ और ४८ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें दर्ज है कि यह चीज़ बड़ी इम्पार्टेन्स की है और इसके मुताल्लिक काम होना चाहिये । लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी परवाह नहीं की । हमने डिमाण्ड की थी गोसंवर्द्धन कौंसिल की मीटिंग में और अब वह डिमाण्ड रिपीट की जायगी कि जब तक कम से कम १०० करोड़ रुपये गवर्नमेंट कैटल डेवेलपमेंट के लिये नहीं देगी, तब तक इस देश की ठीक तरक्की नहीं होगी । आखिर जानवरों की ब्रीड को बढ़ाना कोई मज़ाक नहीं है । सिर्फ़ एक ही चीज़ नहीं होनी । उसमें कुछ देर लगेगी । आज यह कहा जाता है कि इस देश में बड़े यूज़लैस कैटल हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि वे कहां से आए । १५, १६ बरस से ज्यादा तो किसी कैटल की उम्र नहीं होती। तो क्या सारे के सारे इंडिपेंडेंस के बाद पैदा नहीं हुए हैं और इस गवर्नमेंट के एजिस में पैदा नहीं हुए हैं । अगर गवर्नमेंट ने सही मानों में एनिमल हसबैंड्री का काम करना है और एग्रीकल्चरल सैल्फ-सफ़िशेंसी एटेन करनी है,तो इसकी एक ही तरकीब है और वह यह है कि आईन्दा बुरे कैटल पैदा न हों । इस का प्रोग्राम है कैस्ट्रेशन आफ़ बुल्ज़, लेकिन किसी ने इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया । इस सिलसिले में दस बरस से जो काम जारी है, उसको किसी ने जाकर देखा नहीं । अगर गवर्नमेंट एक कमेटी बिठा कर देखे, तो मालूम होगा कि विलेज स्कीम तथा दूसरे कामों से बहुत लाभ हुआ है । जितना रुपया ख़र्च हुआ है, वह सारे का सारा ज़ाया किया है गवर्नमेंट ने जितनी कार्यवाही हुई है, वह देश के साथ ग़द्दारी की गई है । सच पूछें,तो गोधन की बरबादी के लिये देश कभी नहीं बख्शेगा इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ।

लोगों से कहा जाता है कि को-आपरेशन करो । जब मैं अपने इलाके में जाता हूं, तो वहां के लोग पूछते हैं कि आप लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, यह वनस्पति घी अब तक क्यों चलता है, क्या आप

पंडित नेहरू साहब को नहीं बता सकते। मैं उनको कहता हूं कि मैंने तो बहुत कहा है, लेकिन वह नहीं मानते। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर इस देश में को-आपरेशन फैलाना है, तो गोसंवर्द्धन के ज़रिये गवर्नमेंट को-आपरेटिव फार्मिंग भी कर सकती है और सबसे ज्यादा मिक्स्ड फार्मिंग कर सकती है, जो इस चीज़ का इलाज है। आज अरजन्टाइना, ईजिप्ट में और बहुत से मुल्कों में मिक्स्ड फार्मिंग हो रही है। हमारे एक्सपर्टस कहते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग करो, लेकिन कहां से करेंगे? एनिमल हसबैंड्री की तरक्की बगैर वह नहीं हो सकती है। जब तक गवर्नमेंट एनिमल हसबैंड्री को १०० करोड़ रुपए से कम देगी, तब तक इसके साथ इन्साफ़ नहीं होगा, देश के साथ इन्साफ़ नहीं होगा और साथ ही उसको को-आपरेशन भी नहीं मिलेगा। सीधी तरकीब है को-आपरेशन की। लोग फ़ील करेंगे कि हमारे फ़ायदे के लिये, हमारे गाय-बैलों के लिये इन्तज़ाम होने लगा है। मेरी गुज़ारिश है कि हर एक नुक्ता निगाह से देखें, तो यह बिल्कुल ज़रूरी है कि इसकी एलोकेशन १०० करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिये।

मैं जानता हूं कि जितना वक्त मुझे लेना चाहिये था उससे अधिक मैंने ले लिया है, इसलिये मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं चाहता था कि और भी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करता लेकिन चूंकि समय नहीं है, इस वास्ते उनको मैं कहना नहीं चाहता हूं।

श्री ना० जि० पटेल (बलसार-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : क्या माननीय सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कितनी गायें रखी हुई हैं?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसको आप छोड़ दीजिये कि मैंने कितनी गायें रखी हैं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सारी उम्र मैंने गायें रखी हैं, यह आपको मालूम होना चाहिये।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : एक मर्तबा एक टीन गाये के घी का माननीय सदस्य ने मुझ को भेजा था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर संसद् कार्य मंत्री मुझे माफ करें तो तो मैं एक परसनल रेफ्रेंस कर दूं। वह बिल्कुल वनस्पति नहीं खाते हैं बल्कि वनस्पति के सख्त खिलाफ हैं लेकिन जब वोट देने का वक्त आया तो उन्होंने वनस्पति के हक में वोट डाल दिया क्योंकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं।

†**श्री मुरारका** (झुंझनूं) : मैं उन योजना निर्माताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने योजना का मसविदा तैयार किया है, लोकतन्त्रीय व्यवस्था में सीमित और अविकसित संसाधनों से योजना के लिये आवश्यक राशि प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि एक ओर हम जनता से अधिक बचत करने और पूंजी लगाने को कहते हैं और दूसरी ओर हम जनता के जीवन स्तर में भी वृद्धि करना चाहते हैं। इसी प्रकार एक ओर हम अधिकाधिक कर लगाना चाहते हैं दूसरी ओर उद्योगों के लिये प्रोत्साहन भी देना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये समस्यायें हमें पहिली और दूसरी योजना के दौरान पैदा नहीं हुई, तथापि इस योजना में हमारी अर्थव्यवस्था पर इन समस्याओं का व्यापक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

प्रथम और दूसरी योजना को देखते हुए इस योजना को बहुत महत्वाकांक्षी योजना नहीं कहा जा सकता है। मैं इस योजना के केवल तीन मुख्य पहलुओं को लेना चाहता हूं और वे पहलू हैं कीमतें लक्ष्य एवं संसाधन। जहां तक कीमतों का सम्बंध है माननीय सदस्यों ने इस बात पर असन्तोष प्रकट

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

किया है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर योजना के मसविदे में बहुत कम कहा गया है, मैं उनसे असहमत नहीं हूं तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में थोक वस्तुओं की कीमतों में १७ और फुट कर कीमतों में २३ अंकों की वृद्धि हुई जबकि इस दौरान हमने अपनी अर्थ व्यवस्था में १०,००० करोड़ रुपया मिलाया। यदि हम इस वृद्धि की तुलना अन्य देशों से करें तो यह वृद्धि किसी प्रकार भी अधिक नहीं कही जा सकती है। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि इस तमाम वृद्धि का कारण मुद्रा स्फीति ही नहीं है अपितु उत्पादन शुल्क भी हैं क्योंकि हमने इस दौरान उत्पादन शुल्कों के द्वारा ३०० करोड़ रुपये एकत्र किये हैं। तीसरी योजना में भी करों द्वारा १६५० करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना निर्माताओं का कथन है कि इसमें से अधिकांश अप्रत्यक्ष करों के द्वारा जमा किया जायेगा, इससे स्पष्ट है कि इस बात का प्रभाव कीमतों पर पड़ेगा। अतः हमें देखना है कि कीमतों में वृद्धि मुद्रा स्फीति से होती है या उत्पादन शुल्कों से, अथवा कम उत्पादन और मांग में वृद्धि से। इन सभी बातों पर विचार करने के उपरान्त ही हम कीमतों में नियन्त्रण रखने में समर्थ हो सकते हैं।

यह दुख की बात है कि एक ओर हम बुनियादी उद्योगों की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं दूसरी ओर हम उपभोक्ता उद्योगों की उपेक्षा कर रहे हैं। उदाहरणार्थ कपड़ा जो एक बुनियादी आवश्यकता है उसका उत्पादन घटा है। जहां तक खाद्य उत्पादन का प्रश्न है, पी० एल० ४८० के अधीन समझौते से हम बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे। तथापि इसमें सन्देह है कि हम कपड़े तथा मकानों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होंगे। जहां तक घाटे की अर्थ व्यवस्था का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में लक्ष्य ६०८ करोड़ रुपये तक जो कि हमें पी० एल० ४८० के अधीन उपलब्ध है बढ़ाया जा सकता है।

अब मैं योजना के लक्ष्यों को लेता हूं यद्यपि हम योजना में रखी राशि व्यय कर चुके हैं तथापि कई मामलों में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं इसके उदाहरण देता हूं। पहिला खाद्यान्नों के मामले में हमारा लक्ष्य १९६०–६१ तक ८०५ लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य था, लेकिन हम इस अवधि तक केवल ७३० लाख टन उत्पादन कर पाये। यद्यपि हम इस दौरान ५६० करोड़ रुपया व्यय कर चुके हैं। इसी प्रकार हमारे देश में कपास का उत्पादन १९५९ में १९५५–५६ की अपेक्षा कम था, यद्यपि हमने दूसरी योजना में ६५० लाख गांठों के उत्पादन की योजना बनाई थी। हम कृषि क्षेत्र में ९१५ करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं तथापि अब भी हमारी खेती मानसून के रुख पर ही अधिकांश निर्भर करती है।

इसी प्रकार लोह अयस्क और विद्युत के संबंध में हमने जो लक्ष्य रखे हैं वे भी पूरे नहीं हुए हैं कोयले के सम्बन्ध में उत्पादन का लक्ष्य ६०० लाख टन रखा गया था योजना आयोग ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इस संबंध में यह लक्ष्य ५३० लाख टन से अधिक नहीं बढ़ सकता है। इसी प्रकार हमने दूसरी योजना के अंत तक ४७ लाख टन लोहे के उत्पादन का लक्ष्य रखा था, योजना आयोग ने स्वयं यह बात स्वीकार की है, कि यह उत्पादन २६ लाख टन से अधिक नहीं हो सकता है। हमारे इस्पात संयंत्रों के संबंध में योजना में स्पष्ट कहा गया है कि उनका अबाध और निरंतर संचालन न होने के कारण उनके उत्पादन में कमी हुई है और फलस्वरूप हमें वह लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है जो अन्यथा इनसे होता। इस्पात संयंत्रों के लिये कच्चे माल और लोह अयस्क की कमी हुई। कोयला आवश्यकतानुसार नहीं मिल सका धमन भट्टी संख्या १ और २ में खराबी पैदा हुई और संख्या ३ तो तैयार होने के पश्चात भी कच्चे माल के अभाव में ६ महीने तक बन्द पड़ी रही। सरकार ने तीसरी योजना के दौरान इन परियोजनाओं से ४०० करोड़

रुपये प्राप्त करने की आशा की है तथापि यदि इसी प्रकार उत्पादन में कमी रही तो यह राशि प्राप्त नहीं हो सकती है, अतः इस संबंध में ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

अब मैं संसाधनों को लेता हूं यह कहा गया है कि तीसरी योजना के दौरान ऋणों के ८५० करोड़ रुपये की राशि एकत्र की जायेगी और यह राशि दूसरी योजना के लक्ष्य को देखते हुए कम है। क्योंकि दूसरी योजना में हम इस मद से ८०० करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं। अतः तीसरी योजना में यह लक्ष्य और अधिक रखा जाना था। यह अनुमान लगाया गया है कि करों से १६५० करोड़ रुपये की राशि एकत्र की जायेगी मेरे विचार से यह लक्ष्य बहुत अधिक है। अब मैं विदेशी मुद्रा का प्रश्न लेता हूं आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि पिछले दस वर्षों के दौरान हमारे कुल निर्यात की राशि घटी है। १९५०-५१ में हमारे निर्यात की कुल लागत ६४८.८ करोड़ थी जो १९५९–६० में घट कर ६२३.३ रह गई। तीसरी योजना के दौरान भी हमें अपने निर्यात में अधिक वृद्धि की आशा नहीं दिखाई देती है। हमने तीसरी योजना में यह लक्ष्य ६५० करोड़ से बढ़ा कर ६९० करोड़ रुपया किया है। इससे यह स्पष्ट है कि निर्यात विभाग का कार्य उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। मेरे विचार से इस संबंध में विशेष ध्यान देने और कुछ नयी मदों का निर्यात्त के लिये विकास करना अत्यन्त आवश्यक है जिससे हम इस्पात इत्यादि बुनियादी वस्तुओं का निर्यात करने में सफल हो सकें।

मैं श्री मसानी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि चौथे इस्पात संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार है कि यदि हम चौथा इस्पात संयंत्र भी स्थापित कर सकें तो बहुत शीघ्र ही हम इस्पात के आयात से छुटकारा पाकर इस्पात के निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने के योग्य हो जायगे। अतः यथाशीघ्र चौथी इस्पात परियोजना का काम आरम्भ किया जाये।

†**श्री मानवेन्द्र शाह** (टिहरी गढ़वाल) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि तीसरी योजना दूसरी योजना का ही विस्तृत रूप है, और दूसरी योजना पहली योजना का ही विस्तृत रूप है। अस्तु तीसरी योजना पर विचार करने के पूर्व हमें यह देखना चाहिये कि दूसरी योजना का क्या नतीजा रहा, यह जानने के लिये मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेता हूं।

यह कहा गया है कि दूसरी योजना के अंत तक राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में १८ प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। योजना के आरम्भ के पूर्व उत्तर प्रदेश की आय कुल राष्ट्रीय आय १८.४ प्रतिशत थी, जो १९५८–५९ में घट कर कुल राष्ट्रीय आय का केवल १६ प्रतिशत रह गई है। इससे यह स्पष्ट है कि दूसरे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त अंतर आ गया है। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उत्तर प्रदेश जो एक कृषि प्रधान राज्य है वहां बेकारी बड़ी है, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कृषि के द्वारा प्रतिव्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकती है, अतः देईश का औद्योगीकरण करना आवश्यक है, उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत पीछे छट गया है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने प्रथम दो योजनाओं में ९०० करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र में लगाया है तथापि उत्तर प्रदेश को उसका नगण्य भाग मिला है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मानवेन्द्र शाह]

अब मैं संचार साधनों को लेता हूं। इनसे भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होने में मदद मिलती है। तथापि उत्तर प्रदेश की ओर इस दिशा में भी बहुत कम ध्यान दिया गया, नागपुर योजना में जो लक्ष्य निश्चित किये गये थे उनसे उत्तर प्रदेश में ५१४९ मील सड़कों का कम निर्माण हुआ था।

अब मैं शिक्षा के क्षेत्र को लेता हूं। पश्चिम बंगाल में स्कूल जाने योग्य ६ से ११ वर्ष तक के बालकों का प्रतिशत ८०.३ और ११ से १४ का २१.१ है उत्तर प्रदेश में ६ से ११ वर्ष का प्रतिशत ३२.२ और ११ से १४ वर्ष के बालकों का प्रतिशत केवल १३.७ है। भारत में इसका औसत ६ से ११ वर्ष के बालकों के लिये ५१.२ और ११ से १४ वर्ष के बालकों के लिये १९.२ है। अतः इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी योजना में यह कहा गया है कि देश की राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष ५ प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी इसका यह परिणाम होगा कि जिन राज्यों की हालत पहिले से ही अच्छी है वह और अच्छी होती जायेगी और जिनकी हालत खराब है वह पीछे ही रहते चले जायेंगे। इसीलिये मैंने सभा और योजना आयोग का ध्यान इस ओर दिखाया था कि आयोजन प्रादेशिक आधार पर किया जाय। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने भी अपने भाषण में इसी आधार पर विचार करने की सलाह दी है। मेरा सुझाव है कि योजना के मसौदे पर इसी आधार पर पुर्नविचार किया जाय।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : हम सभी इस बात से सहमत हैं कि देश का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो। हमारी तीसरी योजना का लक्ष्य यह होना चाहिए कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक नर नारी को समुचित तौर पर रोटी, कपड़ा, और मकान प्राप्त हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक यह योजना चले तब तक हम भी इस संसद में बने रहें कहने का तात्पर्य यह है कि अब की बार निर्वाचन नहीं होना चाहिये। तभी हम लोगों को एक विचार धारा के अन्तर्गत ला सकते हैं। साथ ही जिलों का प्रशासन कार्य भी हमें दिया जाना चाहिये और हमारा स्थान मजिस्ट्रेट से ऊपर होना चाहिये। तभी काम अच्छा हो सकेगा। ग्रामीण लोगों में ऐसी भावना भरनी चाहिये कि वे योजना बनाने लगे। सभी से एक सा व्यवहार हो। दक्षिण और उत्तर पूर्व और दक्षिण इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हमारे सामने नहीं आना चाहिए। लोगों को योजना के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी जानीं चाहिए। हमें गांव में लोगों को अपने मामलों को स्वयं सुलझाने का अवसर देना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि स्वराज्य गांवों सेआरम्भ होगा। आचार्य विनोबा भावे भी यही कह रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि जब तक लोगों में इस कार्य के लिए उत्साह नहीं भरा जायेगा तब तक हमारी योजनाओं की सफलता की कोई आशा नहीं की जा सकती। इस कार्य को हमें नीचे से आरम्भ करना होगा।

प्रधान मंत्री समाजवादी ढांचे और सहकारी संस्थाओं की बात करते हैं। मने उन्हें एक योजना बताई थी मालूम नहीं कि वह उस पर अमल क्यों नहीं करते। हमें सभी स्कूलों में डेरी फार्म और कारखानों की व्यवस्था करनी होगी। ताकि विद्यार्थी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उत्पादन कर सकें। उन्हें इन साधनों से अनुशासन सिखाना होगा ताकि उनमें अपने जीवन के आरम्भ में ही सहयोग की भावना जागृत हो सके। स्कूली परीक्षा समाप्त करने के बाद विद्यार्थियों को स्कूल की सम्पत्ति का मिश्रित मालिक बना देना चाहिये। उनमें परिवारिक भावनायें जागृत होंगी। बड़ों के लिए श्रद्धा की भावना का निर्माण होगा हममें नैतिकता की, धर्म की और आचार

†मूल अंग्रेजी में

शास्त्र की बात भी आती रहेगी। हमें प्रगति की ओर बढ़ते हुए हमेशा विश्व बन्धुत्व की भावना को अपने सामने रखना चाहिए। इसी में ही संसार का कल्याण है, लड़ाई झगड़ों से कोई लाभ नहीं हो सकता।

†**श्री भंजदेव** (क्योंझर): तीसरी योजना में कृषि क्षेत्र की ओर बहुत ध्यान दिया गया है। विदेशों से खाद्यान्न मंगवाने में हमारा बहुत सा विदेशी विनियम नष्ट हो जाता है। मेरा सम्बन्ध उस क्षेत्र से है जहां प्रायः बाढ़ें आती हैं। हाल ही में वहां भयंकर बाढ़ आई थी जिसमें योजना की प्रगति को काफी हानि पहुंची। कृषि विकास को काफी क्षति हुई। मेरा निवेदन है कि यदि हमें सम्पूर्ण भारत का विकास अभीष्ट हो तो इसके लिए पिछड़े राज्यों की सहायता करना बड़ा आवश्यक है उनके विकास से अन्ततोगत्वा सारे भारत को ही लाभ होने की सम्भावना हो सकती है। एक बात कहे बिना मैं नहीं रह सकता कि पहली और दूसरी योजनाओं में नियोजन की प्रादेशिक विषमताओं को दूर नहीं किया गया था।

उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है। उसके अपारसाधनों का समुचित रूप में प्रयोग नहीं किया गया। उसकी क्षमता का लाभ नहीं उठाया गया यदि ऐसा किया जाता तो वह आज की पिछड़ी हुई परिस्थिति में न रहता। १९५७ के पश्चात् केवल ४ प्रतिशत लोग ही अपने को अच्छी अवस्था में पाते हैं।

राज्य में कोयला और लौह अयस्क काफी मात्रा में उपलब्ध है, परन्तु परिवहन सुविधाओं का अभाव है। १९५८ और १९५९ में राज्यों में कोयला का उत्पादन ५३.५६ लाख टन से बढ़ कर ६०.९५ हो गया। इसी काल में लोह अयस्क का उत्पादन २१.२४ लाख टन से बढ़ कर २५.४६ लाख टन हो गया है। इसी प्रकार की स्थिति मैंगानीज़ अयस्क की है। इस की विदेशों में काफी मांग है और इस से विदेशी विनियम कमाया जा सकता है। न अच्छी सड़कें हैं और न ही अच्छी रेलें अतः देश के इस विशाल धन का कोई महत्वपूर्ण उपयोग हो नहीं पा रहा। इस के अतिरिक्त हमें परदीप पत्तन के विकास न हो सकने के कारण उड़ीसा को कलकत्ता पत्तन पर निर्भर करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि उड़ीसा राज्य में रेल संचार और परदीप पत्तन के विकास का कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये। इस के बिना विकास का कार्य इस राज्य में समुचित गति से आगे नहीं बढ़ सकता।

भाड़ा बढ़ जाने के कारण प्रधान मंत्री के कथनानुसार शायद रेल की आय जो कि १९५८ में ४६ करोड़ थी १९५९ में ७८ करोड़ हो जायेगी इस आधार पर और अधिक रेलवे संचार का विकास उड़ीसा राज्य में किया जाना चाहिये। इसी प्रकार परदीप पत्तन का प्रश्न है। उसे जयपुर-क्योंझर सड़क से मिलाया जाना चाहिये। राज्य सरकार भी इस के बारे में विचार करती रही है परन्तु साधनों के अभाव ने कुछ पेश नहीं चलने दी। इसी प्रकार इस्पात के उत्पादन की दृष्टि से भी कोयले के परिवहन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिये। इस्पात का उत्पादन उड़ीसा में काफ़ी द्रुतगति से आगे बढ़ रहा है। परिवहन का अभाव ही इस दिशा में उत्पादन लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति की असफलता का कारण रहा है।

एक और बड़ी खेदजनक बात सर्वत्र देखने में आ रही है और वह यह कि लोगों में योजना के प्रति पर्याप्त उत्साह दिखाई नहीं देता। लोगों में अज्ञान और अविश्वास की भावना सर्वत्र दिखाई देती है। उन में योजना में पूरा भाग लेने की कुछ प्रेरणा ही प्राप्त नहीं होती। कीमतों के बढ़ने से

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री भंजदेव]

लोग काफ़ी हताश हो उठे हैं । बेकारी इस निराशा में और वृद्धि कर रही है मूल्यों को स्थिर रखने के सम्बन्ध में सरकार ने अपनी घोषणायें तो कई बार की हैं परन्तु इस दिशा में क्या नीति अपनाई जायेगी । इस के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया । राष्ट्रीय विकास परिषद् की मूल्य समिति अभी इस पर विचार कर रही है । मेरा निवेदन है कि जब तक आप इस समस्या को युद्ध-कालीन स्तर पर नहीं लेते यह कीमतों की समस्या का हल होना सम्भव नहीं । इस सम्बन्ध में 'ईस्टर्न इक्नोमिस्ट' ने अपने एक लेख में सुझाव दिया है कि पी० एल० ४८० के अधीन उपलब्ध राशियों से कीमतों को सिथर रखने में काफी सहायता प्राप्त हो सकेगी ।

अन्त में मैं बेकारी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । तीसरी योजना के प्रारूप के अनुसार १४० लाख नई नौकरियों की व्यवस्था होगी परन्तु १५० लाख बेकारों की संख्या बढ़ जायेगी, शायद वास्तविक संख्या अधिक ही हो । इस दिशा में जो लक्ष्य द्वितीय योजना में निर्धारित किया गया था वह भी पूरा नहीं हो सका । तीसरी योजना में भी स्थिति के सुधरने की आशा नहीं की जा सकती । अतः हमें बेरोजगारी की समस्या का भी समुचित हल ढूंढना है और रोजगार के अधिक अवसरों की व्यवस्था करनी है । ऐसा करने से ही विकास कार्य की गति को ठीक रखा जा सकेगा ।

मेरे क्षेत्र में खनन की भी बहुत बड़ी समस्या है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकारी क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता देने का अर्थ यह है कि इस में भी आर्थिक वास्तविकताओं का ध्यान नहीं रखा गया । इस मामले में गैर सरकारी क्षेत्र के अनुभव की उपेक्षा करना भारी भूल है । कोयला उत्पादन के लक्ष्य भी पूरे नहीं किये जा सके । इस का अधिकांश उत्तरदायित्व सरकार का ही समझा जाना चाहिये । हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की बाढ़ें आई हैं जैसी कि गत एक शताब्दी में नहीं देखी गयीं । मेरा निवेदन है कि उड़ीसा राज्य की भी केन्द्र द्वारा उसी प्रकार सहायता की जानी चाहिये । जिस प्रकार की राजस्थान और आसाम की की जा रही है ।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** (औरंगाबाद—बिहार): प्रथम और द्वितीय योजनाओं के काल में हम काफी आगे बढ़े हैं । खेती, उद्योग तथा अन्य प्रत्येक मामले में योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने पर काफी प्रगति हुई है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि लक्ष्यों की पूर्ति में अवश्य कुछ कमी रह गई है परन्तु फिर भी हताश होने का कोई कारण नहीं । हर बात में समय तो लग ही जाता है । मोटे तौर पर गत १० वर्षों की प्रगति कोई बुरी नहीं है । तीसरी योजना पर किये जाने वाला व्यय पहली तथा दूसरी योजनाओं के कुल व्यय के बराबर है । तीसरी योजना का यहां तक सम्बन्ध है वह तो हमारी आवश्यकताओं की दृष्टि से आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षापूर्ण है । हमें इस बात को भूल नहीं जाना चाहिये कि देश के सामने कितनी समस्यायें हैं और इन सब के होते हुए हम ने जो प्रगति की है, उस सफलता पर हम गौरव कर सकते हैं ।

तीस ी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य तो ठीक हैं परन्तु योजना आयोग से मुझे एक शिकायत है कि नगरीय क्षेत्र की विषमताओं को कम करने का इस में उल्लेख तक नहीं किया गया है । ग्राम्य अर्थ व्यवस्था की विषमताओं को कम करने के लिये जो उपाय किये गये हैं उन का मूल्यांकन भी होना चाहिये । हमें यह सुनिश्चित कर देना है कि धन का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से हो और आर्थिक शक्ति कुछ थोड़े लोगों के हाथ में न चली जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस बात को रोकने के लिये वह क्या कर रही है ? मेरी जानकारी यह है कि बड़े बड़े उद्योगपति छोटे उद्योगों में हस्तक्षेप कर के उन के समाप्त किये जाने का कारण बन रहे हैं । अतः इस बात की आवश्यकता है कि इन छो े छोटे उद्योगों को पनपने एवं उन के विकास का भी अवसर दिया जाये । हम इस बात की व्यवस्था करने में भी सफल नहीं हो सके कि सभी उद्योग व्यवसाय आरम्भ करने वालों को लाइसेंस प्राप्त करने की सामान सुविधायें और अवसर उपलब्ध हों । विदेशी सार्थों को भारत में आ कर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ करने की अनुमति दी जा रही है जिन का उत्पादन देशी-कारखाने काफी अच्छी प्रकार से करते चले आ रहे हैं । विदेशी विनियम की दृष्टि से भी यह बात देश के हित में नहीं जाती । हमें योजना सम्बन्धी नीतियों को कार्यान्वित करते समय काफी सचेत रहना चाहिये । विभिन्न कार्यों का समुचित समन्वय नहीं हो रहा । ऐसा भी प्रतीत होता है कि जिन अधिकारियों को योजना के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है उन्हें योजना की विचार धारा का समुचित ज्ञान नहीं । अतः हमें प्रशासन को ठीक करना चाहिये, अन्यथा सब काम बिगड़े ही रहेंगे ।

बेकारी के प्रश्न को ले लीजिये, २० लाख बेकार व्यक्ति पहले से ही हैं । तीसरी योजना में इस सम्बन्ध में भी लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना दिखाई नहीं देती । दूसरी योजना के अर्न्तगत २० लाख लोगों को रोजगार नहीं मिल सका । बेकारी तेजी से बढ़ती चली जा रही है । हमें इस बढ़ती हुई ेरोजगा ी की समस्या का हल अवश्य निकालना चाहिये । लगभग इसी प्रकार की स्थिति भूमि सुधारों की भी है । आप लोग उच्चतम सीमा निर्धारित तो कर रहे हैं परन्तु भूमिहीन श्रमिकों के लिये रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही । इन लोगों को वर्ष में कुछ मास कार्य मिलता है । उन्हें जो भूमि दी जा रही है, क्या उससे उन के रोजगार का प्रश्न ठीक से हल होता है । कई लोग जिन जमीनों पर बैठे ोटी कमा रहे हैं, उन्हें वहां से उठाया जा रहा है । मेरा विचार है कि योजना बनाने वालों ने इन महत्वपूर्ण बातों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया साथ ही योजना के लिये संसाधनों का अनुमान लगाने में भी उन्होंने आवश्यकता से अधिक आशा-वादिता से काम लिया है । अब सोचने की बात यह है कि क्या हम तीसरी योजना की अपेक्षित विदेशी विनियम की मांग को पूरा कर सकेंगे ?

जहां तक करों का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि प्रत्यक्ष कर लगाने की अब अधिक गुंजाइश नहीं रह गई है । अब तो हमें वस्तुओं पर लगाये जाने वाले करों पर ही निर्भर करना होगा । साथ ही हमें इस बात की कड़ी व्यवस्था करनी होगी कि करों का अपवंचन न हो । योजना आयोग ने भी करों के अपवंचन को रोकने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है । योजना सम्बन्धी कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने की देख रेख करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय नियुक्त किया जाना चाहिये । योजना को सफल बनाने का यही एक समुचित ढंग है ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : अध्यक्ष महोदय, यह लगभग चौथा समय है जबकि जिस समय वक्त पूरा होता है तब मुझे बोलने का मौका मिलता है ।

सब से प्रथम मैं प्लैन बनाने वालों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्हों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुभव और जनता की भावनाओं को समझ कर, तीसरी पंच-वर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की है । ैसे हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में हमें साफ बतलाया है हर एक चीज को, लेकिन आज एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है कि इस रूप

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

रेखा को पढ़ कर वह कोई दूसरी प्लैन तैयार कर सके क्योंकि इस समय हमारा जो एक आर्थिक सवाल है, दूसरे जो हमारे साधन हैं, तीसरे जो हमारी शक्ति है, इन तीन बातों को देख कर प्लैन तैयार की जाती है। जब प्लैन की बातें आती हैं तो दो मुख्य बातें सामने आती हैं और मैं यह मानता हूं कि अगर इन दो बातों की समस्या हल हो जाती है तो सभी यह कहने के लिये तैयार होंगे कि प्लैन ठीक है। हमें आज देखने को मिलता है और जो हमारी समस्यायें हैं उन में से एक तो रोजगार की समस्या है और दूसरे भावों की। इस का जिक्र प्लैन के अन्दर किया गया है। लेकिन मैं तीन रोज से इस सदन में भाषणों को सुन रहा हूं। "किन्तु" या "परन्तु" के साथ किसी ने यह नहीं बताया है कि दरअस्ल इस प्लैन को कामयाब बनाने के लिये उस के यह यह सुझाव हैं और उस तरह से करना चाहिये। बल्कि जिस की मर्जी आई उस ने उस की आलोचना की और मन चाही आलोचना की, जोकि दरअस्ल उन के दिल में न हो, लेकिन दिल के बाहर की आलोचना उन्हों ने की। इस का मतलब यह था कि प्लान को कामयाब करने के लिये जिस भावना की जरूरत है वह पैदा न होने पाये और प्लान कामयाब न हो, मैं समझता हूं यह उन के दिल की बात है। मुझे इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त याद आता है। एक चित्रकार ने एक सुन्दर चित्र बनाया और बना कर रखा और कहा कि अगर किसी को इस चित्र में कोई नुक्स दिखाई दे वह उस जगह पर एक चिन्ह बना दे। नतीजा यह हुआ कि जो देखने आता वह चित्र पर एक चिन्ह बना कर चला जाता चाहे उसे इस बात का पता हो या न हो कि चित्र बनाने की कला क्या है और किस प्रकार से चित्र बनाया जाता है और उस में क्या नुक्स है। किसी ने गाल पर चिन्ह बनाया तो किसी ने नाक पर और सुबह से शाम तक यह होता रहा, परिणाम यह हुआ कि वह चित्र नहीं रहा केवल चिन्ह ही रह गये। और आखिर में हमारे आचार्य जी की तरह एक आदमी आया, उस को सड़क पर डामर पड़ा मिला, उस ने उस को सारे चित्र पर पोत दिया। तो मुझे यह देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे एक बुजुर्ग जिन से हम बहुत सीख सकते हैं उन्हों ने इस तरह की आलोचना की कि जैसे इस प्लान में कुछ भी न हो। यह देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ।

मैं केवल फिगर्स और कागज की बात नहीं करता। मैं कानों तक की बात नहीं करता। मैं तो आंखों देखी बात करता हूं। जो देहातों में और शहरों में जाता है वह देख सकता है कि सन् १९४७ में क्या हालत थी, पहली पंचवर्षीय योजना के बाद देश की क्या हालत थी, दूसरी योजना के अन्दर देश की क्या हालत है। जिस ने भी देश की हालत का अध्ययन किया होगा उस को मानना पड़ेगा कि देश की हालत में काफी परिवर्तन हुआ है। यह ठीक है कि अभी समाजवाद नहीं आ गया है। लेकिन समाजवाद कोई जादू के जोर से नहीं लाया जा सकता, उस में समय लगता है। मैं रूस में घूम कर आया हूं। उन को ४५ वर्ष हो गये लेकिन अभी तक वहां समाजवाद नहीं दिखाई देता। एक आदमी अपनी कमाई में से अपने कुटुम्ब को नहीं खिला सकता है। वहां काफी डिसपैरिटी दिखाई दी। इसी तरह से दुनिया के दूसरे देशों में भी डिसपैरिटी है। तो मेरा कहना यह है कि अभी हमारी आजादी प्रजातंत्र के गर्भ के बाहर आकर घुटनों चल रही है, अभी वह दौड़ नहीं सकती है। इसमें समय लगेगा।

लेकिन सवाल यह आता है कि देश की पंचवर्षीय योजना में देश के हर एक नागरिक को सहयोग देना चाहिये चाहे उस का सम्बन्ध कम्यूनिस्ट पार्टी से हो, या सोशलिस्ट पार्टी से हो या अन्य किसी पार्टी से हो। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम एक ईंट रखते हैं तो हमारी विरोधी पार्टी

के लोग उस ईंट को उखाड़ने की कोशिश करते हैं उस के ऊपर दूसरी ईंट रखने की कोशिश नहीं करते। यह हमारा अनुभव है, और मुझे दुःख है कि मुरारका जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं जोकि उन को नहीं कहनी चाहियें थीं।

लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिये। प्लान पीरियड खत्म होने को है और हम अपने देश की बेकारी की समस्या को हल नहीं कर सके हैं, बन्दी को नहीं रोक सके हैं और तीसरी बात यह है कि टैक्सेशन का बोझ गरीब जनता पर बहुत पड़ा है अमीरों पर कम पड़ा है। इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। अगर हम तीसरी योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो हमको टैक्सेशन बढ़ाना होगा, लेकिन कहां बढ़ाना होगा? हमको यह देखना होगा कि फोड़ा कहां है और उसी जगह नश्तर लगाना होगा। आपको बड़े बड़े पैसे वालों पर टैक्स लगाना होगा। हमारे प्रधान मंत्री ने मंजूर किया है कि नेशनल इनकम बढ़ी है लेकिन वह किसके पास गयी उसकी जांच के वास्ते कमेटी बिठायेंगे। मैं कहता हूं कि कमेटी की क्या जरूरत है, फिगर आपके पास हैं।

सन् १९४७ के पहले हमारे देश में एक्साइज़ ड्यूटी नहीं थी लेकिन जैसा कि मुरारका जी ने बताया अब एक्साइज ड्यूटी लगभग ३८० करोड़ के करीब हो गयी है। और लगभग २५–३० करोड़ एक्साइज़ ड्यूटी सन् १९४८ में टैक्सटाइल मिलों के मालिकों ने माफ करा ली नहीं तो ४०० करोड़ एक्साइज ड्यूटी होती। यह सारी की सारी गरीबों को देनी पड़ती है। पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू में लगभग ६९ करोड़ एक्वसाइज ड्यूटी थी। वह बढ़ कर १८८ करोड़ हो गयी और दूसरी पंच वर्षीय योजना के शुरू में वह १८८ करोड़ थी। आज ३८० करोड़ एक्साइज़ ड्यूटी गरीब जनता से ली जा रही है प्लान को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन मैं मुरारका जी से और मसानी जी से पूछना चाहता हूं कि इनकमटैक्स का क्या हाल है। इनकम टैक्स करीब करीब उतना ही चला आ रहा है। सन् १९४८ में इनकम टैक्स १५८ करोड़ था और आज वह १८७ करोड़ है। कितना फर्क हुआ है? गरीब जनता ने लगभग ४०० करोड़ के एक्साइज़ ड्यूटी के दिए और पैसे वालों ने क्या दिया?

उद्योगों का विकास हो रहा है, प्राइवेट सैक्टर का भी विकास हो रहा है और पब्लिक सेक्टर का भी विकास हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो औद्योगिक विकास प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है वह जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, वह मुनाफा कमाने के लिए हो रहा है, और जहाँ प्राफिट पर थोड़ी भी आँच आती है वहाँ कारखाने बन्द करने की बात आती है। मुरारका जी ने कहा कि टैक्सटाइल का उत्पादन कम हुआ। मैं कहता हूं कि कम नहीं हुआ बल्कि कम किया गया क्योंकि उनको एक्साइज़ ड्यूटी कम करानी थी, और जिस रोज पार्लियामेंट में यह तै हो गया कि एक्साइज़ ड्यूटी कम करनी है, उसी रोज़ टैक्सटाइल में हालत बदल गयी। जब एक्साइज़ ड्यूटी कम नहीं हुई थी उस वक्त कपड़ा भरा पड़ा था। लेकिन आप देखें कि उस वक्त के भाव में और आज के भाव में ६० परसेंट की वृद्धि हो गयी है। तो मैं कहता हूं कि टैक्सटाइल में कमी कहाँ है। वह कमी तो की गयी थी।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको एम्पलायमेंट बढ़ाना है, अगर आपको देश का विकास करना है, अगर आपको देश के अन्दर प्राइसेज बढ़ने नहीं देनी हैं तो सरकार को यह गारंटी देनी चाहिए कि जो कारखाने हैं वह बन्द नहीं होंगे, कोई जमीन जो खेती लायक है उसको पड़ती नहीं रहने दिया जाएगा। आजकल होता यह है कि एक कारखाना खुलता है तो दूसरा बन्द

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

होता है। यह कोई विकास नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि पहली गारंटी देश के श्रमिकों को यह देनी चाहिए कि जो कारखाने चालू हैं उनको किसी भी हालत में बन्द नहीं होने दिया जाएगा।

दूसरी बात है प्राइसेज के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि प्राइसेज ऊंची न जाएं तो भाव नियंत्रण के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से कीमतों को स्थिर रखने की काफी कोशिशें हुई लेकिन उसमें किसान का नुक्सान हुआ। फायदा हुआ बीच के डंडी मारने वाले का जिसने इधर से भी लिया और उधर से भी लिया। इसलिए मैं चाहता हूं वितरण व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि जो चीज़ें जिन्दगी के लिए जरूरी हैं उनका भाव तो स्थिर होना चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अमुक आमदनी वाले व्यक्ति को अमुक तादाद में और अमुक भाव पर चीज़े मिलेंगी। उदाहरण के लिए आप यह निश्चित कर सकते हैं कि तीन सौ तक आमदनी वाले व्यक्ति को ढाई सेर अनाज दिया जाएगा, इतनी दाल आदि दी जाएगी और उसके लिए एक खास भाव निश्चित किया जाना चाहिए। जो पैसे वाले लोग हैं वे तो किसी भी कीमत पर खरीद सकते हैं लेकिन गरीब लोग तो ज्यादा दाम देकर नहीं खरीद सकते। इसलिए गरीब लोगों के लिए यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनकी जिन्दगी की जरूरी चोजों को उनको निश्चित भाव पर दी जाएं। अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि प्राइसेज़ की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। बेकारी के बारे में मैंने अभी निवेदन किया है कि एक तरफ तो सरकार उद्योग बढ़ाती है और दूसरी तरफ़ वे बन्द होते हैं। उस से बेकारी बढ़ती है।

आधुनिकीकरण का सवाल चल रहा है। पुराने कारखानों में नई मशीनरी डाली जाती है, आटोमैटिक मशीनरी डाली जाती है। मेरा निवेदन है कि आटोमैटिक मशीनें डालनी पड़ेंगी और पुरानी मशीनों को निकालना पड़ेगा, इस में कोई शक नहीं। रैशनलाइज़ेशन होगा। लेकिन सरकार यह भी ठहरा दें कि जिस कारखाने में आधुनिकीकरण किया जाये, उस की मशीनरी भी उत्पादन के आधार पर उतनी बढ़ाई जाये कि उस में एम्पलाइमेट कम न हो। होता क्या है कि हमारे यहाँ एक कारख़ाने में तीन हजार आदमी काम करते हैं और ५०० आदमी उस में से कम कर दिए—५०० आदमी रैशनलाइज़ेशन में कम हो गए और ढाई हजार रह गए। दूसरा कारख़ाना खोला गया और उस में नई मशीनरी डाल कर ५०० आदमी लगाए गए। सरकार ने वह ५०० आदमी तो गिन लिए कि ५०० आदमियों को एम्पलायमेंट दिया गया, लेकिन जो ५०० आदमी बेकार हो गए, उन का क्या होगा? इस के अलावा हमारी आबादी भी बढ़ रही है, उस का भी सवाल है। इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर बेकारी का सवाल हल करना चाहिए।

इसके बाद मैं प्राईवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर में जो कुश्ती हो रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें हमें बहुत धोखा हो रहा है और प्राइवेट सैक्टर वाले पब्लिक सैक्टर को पनपने नहीं देते, इस के मेरे पास आंकड़े हैं। नैपा मिल के उत्पादन का टारगेट १०० टन रोज़ाना ठहराया गया है और सरकार ने यह भी ठहराया है कि उसको डबल करना है। अगर नैपा मिल के उत्पादन को डबल किया जाता है, तो जिस प्रकार की लकड़ी की नैपा मिल में ज़रूरत है, उसको प्राप्त करने में नेपा के फ़ारेस्ट में कठिनाई होगी, उतनी लकड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे पता चला है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बिना प्लानिंग कमीशन से पूछे और बिना सैण्ट्रल गर्वनमेंट की राय लिये हुए एक दूसरे सेठ जी को हार्ड-बोर्ड फ़ैक्टरी डालने के लिये उस फ़ारेस्ट से लकड़ी देना तय कर लिया है। एक तो यह पब्लिक

सैक्टर है । उसके लिये जितना रा मैटीरियल चाहिये, वह उस फ़ारेस्ट में नहीं है और उस मिल के उत्पादन को डबल करने की बात चल रही है । दूसरी तरफ़ स्टेट गवनमेंट दूसरे सेठ जी के लिये एक दूसरा कारखाना डालने के लिये बात कर रही है । इसका परिणाम यह होगा कि प्राईवेट सैक्टर वाले को तो रा मैटीरियल मिल जायेगा, लेकिन पब्लिक सैक्टर के कारखाने, नेपा मिल को कितना नुकसान होगा ।

इसी तरह शाहडोल में गवर्नमेंट ने कागज़ की एक फ़ैक्टरी डालने का तय किया है । बांस का फ़ारेस्ट है । एक सेठ जी को वह दे दिया गया और गवर्नमेंट के साथ लिखान हो गया कि ७ रुपए टन के हिसाब से बांस उन्हें दिया जायेगा । उन्होंने क्या किया कि ज़मीन एक्वायर की और सारे का सारा फ़ैंसिंग कर दिया । अभी वहां पर एक ईंट भी नहीं रखी गई, लेकिन बारह महीने से बांस काटा जा जा रहा है और काट काट कर गाड़ियों में ले जाया जा रहा है और ६० रुपए टन के हिसाब से बेचा जा रहा है । कारखाने के नाम से, प्राईवेट सैक्टर के नाम से यह सारे का सारा जो नुकसान हो रहा है, यह सारे देश को, गरीब जनता को हो रहा है और ७ रुपये टन का बांस ग़रीब जनता को पूंजीपतियों से ६० रुपए टन के हिसाब से ख़रीदना पड़ रहा है । इस को देखने की ज़रूरत है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निमाड़ क्षेत्र में सनावत में पब्लिक सैक्टर में एक कारखाना डालने का तय किया गया है । किसानों से ज़मीन भी एक्वायर कर ली गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०/३ भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २५ अगस्त, १९६० / २ भाद्र, १८८२ (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२२१९—४६
तारांकित प्रश्न संख्या	
६८६ विदेशी बैंकरों का आगमन . . .	२२१९–२२
६८७ अलीगढ़ विश्वविद्यालय	२२२२–२६
६८८ बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी मोनोग्राफ . . .	२२२६–२७
६८९ दिल्ली में यातायात	२२२८–२९
६९० ताल्चेर खनन प्रशिक्षण स्कूल	२२२९–३१
६९१ इंजीनियरिंग कालेज, दिल्ली का बोर्ड आफ गवर्नर्स .	२२३१–३२
६९२ साहित्य-रत्न परीक्षा	२२३२–३५
६९३ हार्नेस तथा सैडलरी फैक्टरी, कानपुर . . .	२२३५–३६
६९४ परीक्षा पद्धति	२२३६–३९
६९५ जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय विनियोजनों में असमानता . .	२२३९–४१
६९६ विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति . .	२२४२–४३
६९७ इस्पात का उत्पादन . .	२२४४–४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर . .	२२४६–२३१६
तारांकित प्रश्न संख्या	
६९८ अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सदन, नई दिल्ली . . .	२२४६
६९९ राजस्थान तथा सिक्किम में तांबा . . .	२२४६–४७
७०० पंजाब की सीमा पर तस्कर व्यापार . . .	२२४७
७०१ मजगांव गोदी, बम्बई	२२४७–४८
७०२ कोयला धोने के कारखाने . . .	२२४८
७०३ प्रतिरक्षा संगठन के असैनिक कर्मचारियों के लिये सैनिक शिक्षा .	२२४८–४९
७०४ जाली नोट . .	२२४९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या		
७०५	प्रामाणिक राष्ट्रीय मानचित्रावली	२२५०
७०६	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये कोचिंग क्लासें	२२५०–५१
७०७	विधि मन्त्रियों का सम्मेलन	२२५१
७०८	संघ राज्य क्षेत्रों में इंजीनियरी तथा प्रविधिक कर्मचारी	२२५२
७०९	केरल की सरकारी सेवाओं का एकीकरण	२२५२–५३
७१०	कानपुर मिल मालिकों से धन की वसूली	२२५३
७११	उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले	२२५३–५४
७१२	भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये प्राप्त की गई भूमि	२२५४
७१३	सैनिकों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण	२२५४–५५
७१४	पाकिस्तान में भारतीय सहकारी समितियों का जमा धन	२२५५
७१५	जीवन बीमा निगम	२२५५–५६
७१६	सोवियत रूस में प्राच्य सम्मेलन	२२५६–५७
७१७	त्रिपुरा में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक	२२५७
७१८	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें	२२५७
७१९	मनीपुर में जनता की सरकार	२२५८–५९
७२०	बुनियादी शिक्षा साहित्य समिति	२२५९
७२१	जीवन बीमा निगम द्वारा धन का विनियोजन	२२५९
७२२	महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६	२२५९–६०
७२३	कोणार्क तथा रत्नगिरि में पुरातत्वीय संग्रहालय	२२६०
७२४	भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण	२२६०–६१
७२५	पदाधिकारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति	२२६१
७२६	हरी के नामक गांव में बम विस्फोट	२२६१
७२७	भारत-स्टैनवाक परियोजना	२२६२
७२८	उच्च शिखर रक्षक उपकरण	२२६२
७२९	मिस्र के न्यूबियन स्मारक	२२६२
७३०	दुर्गापुर में कोयला धोने का कारखाना	२२६२–६३
७३१	भारतीय नौसेना के जहाजों की सद्भाव यात्रा	२२६३
७३२	"आनन्द बाजार पत्रिका" में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन	२२६३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

७३३ अंग्रेजी—हिन्दी का प्रामाणिक शब्द कोष २२६३—६४
७३४ पुरातत्व विभाग का पश्चिमोत्तर सर्कल २२६४
७३५ वाई० एम० सी० ए०, लन्दन को अनुदान २२६४—६५
७३६ इण्डिया आफिस लाइब्रेरी २२६६
७३७ दिल्ली में अपराध २२६५—६६
७३८ बाल साहित्य . . २२६६—६७
७३९ सरकारी ठेकों के बारे में विधान . . २२६७
७४० एक यूरोपीय फर्म से गोला बारूद आदि की खरीद २२६७
७४१ शिक्षा का स्तर २२६८
७४२ लौह अयस्क . . . २२६८
७४३ छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लोहा तथा इस्पात २२६८—६९
७४४ धातु मिश्रित तथा औजारी इस्पात संयंत्र परियोजना के बारे में प्रतिवेदन . २२६९
७४५ राष्ट्रीय सेनाछात्र दल . २२७०
७४६ इथोपिया में भारतवासियों द्वारा विनियोजन २२७०
७४७ उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम . २२७१
७४८ सोने का पकड़ा जाना २२७१—७२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३६३ समुद्र सीमा शुल्क विभाग के क्लकटरों की भर्ती . . २२७२
१३६४ महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिये जल व्यवस्था . . २२७२
१३६५ दिल्ली में जुए के मामले . २२७३
१३६६ दिल्ली में लड़कियों की शिक्षा २२७३
१३६७ तम्बाकू की खेती . २२७३
१३६८ सोने का तस्कर व्यापार . . २२७३—७४
१३६९ विद्यार्थियों के लिये कुल विदेशी मुद्रा . २२७४
१३७० आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, लखनऊ २२७४
१३७१ स्त्रियों के लिये पोलीटैक्निक . २२७४—७५
१३७२ पुरातत्व विभाग के सर्कल सुपरिन्टेंडेंट . २२७५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३७३ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अनुदान . . २२७५
१३७४ दिल्ली में आनरेरी मजिस्ट्रेट . . . २२७५-७६
१३७५ दिल्ली में कृत्रिम नभोमण्डल (प्लेनेटेरियम) २२७६
१३७६ प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण २२७६
१३७७ नई दिल्ली में बाल भवन . . २२७६-७७
१३७८ विश्वविद्यालयों में आयोजना एकक (प्लानिंग यूनिट्स) . २२७७
१३७९ दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय २२७७
१३८० पंजाब में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां . २२७७-७८
१३८१ पंजाब में सम्पदा शुल्क . . २२७८
१३८२ १९५९-६० में उत्तर प्रदेश में राजस्व २२७८
१३८३ उत्तर प्रदेश में स्कूल होस्टल . २२७८-७९
१३८४ उत्तर प्रदेश में योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां २२७९
१३८५ उत्तर प्रदेश की इस्पात और लोहे की आवश्यकता . २२८०
१३८६ दिल्ली में भिक्षावृत्ति . २२८०
१३८७ बहुउद्देश्यीय स्कूल . २२८०-८१
१३८८ दिल्ली में अपराध . . २२८१
१३८९ भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय . २२८१
१३९० केन्द्रीय औजार तथा सेवा प्रयोगशाला . २२८२
१३९१ दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों में प्रकाश व्यवस्था २२८२
१३९२ संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा २२८२
१३९३ बुनियादी स्कूलों के लिये दस्तकारी के सामान के उत्पादन के लिये अनुसन्धान योजनायें २२८३
१३९४ बुनियादी स्कूल के विषयों के लिये स्रोत ग्रन्थ २२८४
१३९५ बाल साहित्य २२८५
१३९६ इमारती लकड़ी की नीलामी २२८५
१३९७ सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद २२८६
१३९८ उड़ीसा में गतीश्वर मन्दिर . २२८६
१३९९ हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्तियां . . २२८६-८७
१४०० प्रतिरक्षा सामान का आयात . . २२८७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४०१	पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् .	२२८७
१४०२	नगरपालिका के मेहतर . .	२२८८
१४०३	उड़ीसा की शिक्षा विकास योजनायें .	२२८८
१४०४	उड़ीसा की सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान	२२८८–८९
१४०५	केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था, धनबाद	२२८९
१४०६	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में कर्म समिति	२२८९–९०
१४०७	प्रतिरक्षा संस्थापनों में औद्योगिक कर्मचारी	२२९०
१४०८	हिमाचल प्रदेश में बहु विवाह	२२९०
१४०९	अवैध शराब बनाना	२२९०–९१
१४१०	इस्पात के उपोत्पाद . .	२२९१
१४११	शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में विशेष समिति .	२२९१
१४१२	क्षमा और दण्ड परिहार . .	२२९२
१४१३	देहरादून में प्रौढ़ अंधों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र .	२२९२
१४१४	आन्ध्र प्रदेश में एस्बेस्टस के निक्षेप . .	२२९३
१४१५	दिल्ली में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां	२२९३
१४१६	दिल्ली में अध्यापन की शिक्षा	२२९३–९४
१४१७	दिल्ली में बहुउद्देश्यीय स्कूल	२२९४
१४१८	मनीपुर में कूकी लोग . . .	२२९४
१४१९	दिल्ली में अवैध शराब तैयार करना और बेचना .	२२९४–९५
१४२०	आर्थिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि	२२९५
१४२१	विकलांग व्यक्तियों के लिये रोजगार दफ्तर	२२९६
१४२२	नई दिल्ली में एक लड़की की बरामद .	२२९६
१४२३	दिल्ली में विमुक्त जातियों के लिये खेल कूद का साज सामान	२२९६–९७
१४२४	दिल्ली में विमुक्त जातियां .	२२९७
१४२५	हरिजनों को चिकित्सा सहायता .	२२९७
१४२६	अंधों के लिये मशीनें . . .	२२९७–९८
१४२७	जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान किये गये मृत्यु दावे .	२२९८
१४२८	माउण्ट आबू में सर्वेक्षण विभाग .	२२९८
१४२९	ताल्चेर कोयला खान .	२२९८–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४३०	सरकारी पदाधिकारी	२२९९
१४३१	आन्ध्र प्रदेश में श्रमिक और समाज सेवा शिविर	२२९९–२३००
१४३२	आयकर की बकाया रकम	२३००
१४३३	टैक्नीकल शिक्षकों के वेतन-क्रम	२३००
१४३४	तिहाड़ जेल में अभियोगाधीन व्यक्ति	२३०१
१४३५	पल्लू गांव बीकानेर में किला	२३०१–०२
१४३६	अफीम का तस्कर व्यापार	२३०२
१४३७	मंत्रियों का दौरा	२३०२
१४३८	त्रिपुरा प्रशासन द्वारा परिपत्र	२३०२–०३
१४३९	त्रिपुरा में गुहों का आतंक	२३०३
१४४०	उत्तरी अन्दमान द्वीप समूह में माया बन्दर बांध	२३०४
१४४१	हिमाचल प्रदेश में हाई स्कूल	२३०४
१४४२	भारत में विदेशी छात्र	२३०४–०५
१४४३	सरकारी गोपनीयता अधिनियम, १९२३ के अधीन मामले	२३०५
१४४४	पंजाब उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें	२३०५
१४४५	याचिकायें	२३०५
१४४६	चीन द्वारा इस्तैमाल किये गये सशस्त्रास्त्र	२३०६
१४४७	अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद्	२३०६
१४४८	विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक	२३०६–०७
१४४९	दिल्ली में शराब की अनधिकृत बिक्री	२३०७
१४५०	युवक छात्रावास	२३०७
१४५१	पाकिस्तान से सुई गैस	२३०७–०८
१४५२	राष्ट्रीय सेवा	२३०८
१४५३	हाई स्कूल के विद्यार्थियों की सामाजिक व आर्थिक दशा	२३०८
१४५४	तम्बाकू की खेती	२३०८–०९
१४५५	जनपथ, नई दिल्ली के समीप मूर्ति	२३०९
१४५६	सिंगरेनी कोयला खान के लिये रज्जुपथ	२३१०
१४५७	दिल्ली के स्कूलों में खेल-कूद	२३१०
१४५८	दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों की आवश्यकता	२३१०–११
१४५९	दिल्ली में अध्यापकों की कमी	२३११
१४६०	दिल्ली में शिक्षा	२३११–१२

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख——	२३१२

अध्यक्ष महोदय ने अन्तर्कालीन संसद् के सदस्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति के निधन का उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर तक मौन खड़े रहे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	२३१२

अड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अनुपस्थिति की अनुमति	२३१२–१३

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई :——

(१) श्री बालासाहब सालुंके

(२) श्रीमती इला पालचौधरी

(३) श्री लैसराम अचौसिंह

(४) श्री लीलाधर कटकी

(५) श्री जोगेन्द्र सेन मण्डी

(६) श्री प्रभु नारायण सिंह

(७) श्री पोकर साहेब

(८) श्री तेवर

(९) श्री अर्जुनसिंह भदौरिया

(१०) श्री अशण्णा

(११) श्री लक्ष्मण सिंह

(१२) डा० क० ब० मेनन

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव	२३१३——६१

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्तावों पर, जो २२–८–६० को प्रस्तुत किये गये थे आगे चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरुवार २५ अगस्त, १९६०/३ भाद्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि——

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

GMGIPND—LS III—1011 (Ai) LSD –(J.C. No. 12554-60-61)— 26-9-60—135.